सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2012-13

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.)

भारत सरकार

एन.डी.एम.ए. भवन, ए–1, सफदरजंग एनक्लेव,

नई दिल्ली – 110 029

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

वार्षिक रिपोर्ट
2012-2013

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.)
भारत सरकार
एन.डी.एम.ए. भवन, ए–1, सफदरजंग एनक्लेव,
नई दिल्ली–110 029

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
	संक्षेपाक्षर	III-VI
अध्याय 1	प्रस्तावना	1 - 3
अध्याय 2	कार्यकलाप एवं उद्देश्य	5 - 6
अध्याय 3	उल्लेखनीय घटनाएं	7 - 13
अध्याय 4	नीति, योजनाएं और दिशानिर्देश	15 - 21
अध्याय 5	क्षमता विकास	23 - 32
अध्याय 6	जागरुकता सृजन	33 - 34
अध्याय 7	आपदा जोखिम प्रशमन परियोजनाएं	35 - 41
अध्याय 8	राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल : आपातकालीन कार्रवाई को मजबूत करना	43 - 50
अध्याय 9	प्रशासन एवं वित्त	51 - 53
	अनुबंध – I	54
	अनुबंध – II	55 - 56

संक्षेपाक्षर

ए.ई.सी.	परमाणु ऊर्जा आयोग
ए.ई.आर.बी.	परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड
ए.ई.एस.	एक्यूट इन्सेफिलाइटिस सिन्ड्रोम
ए.आई.आई.एम.एस.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)
ए.एन.एम.	सहायक नर्स एवं दाई
ए.आर.सी.	प्रशासनिक सुधार आयोग
ए.आर.एम.वी.	दुर्घटना राहत चिकित्सा वैन
ए.एस.एच.ए.	मान्यताप्राप्त सामाजिक चिकित्सा कार्यकर्ता (आशा)
ए.टी.सी.एन.	नर्स हेतु उन्नत अभिघात देखभाल
ए.टी.एल.ए.एस.	उन्नत अभिघात जीवन सहायता (एटलस)
ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू.	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
बी.ए.एन.आई.एस.एस.	डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर राष्ट्रीय समाज विज्ञान संस्थान
बी.ए.आर.सी.	भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
सी.बी.डी.एम.	समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन
सी.बी.डी.आर.एम.	समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन
सी.बी.ओ.	समुदाय आधारित संगठन
सी.बी.आर.एन	रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय एवं नाभिकीय
सी.बी.टी.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण
सी.सी.ई.ए.	आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति
सी.डी.	नागरिक सुरक्षा
सी.डी.एम.	रासायनिक आपदा प्रबंधन
सी.आई.आई.	भारतीय उद्योग परिसंघ
सी.एम.ई.	सैन्य इंजीनियरी महाविद्यालय
सी.पी.एम.एफ.	केंद्रीय अर्ध सैन्य बल
सी.आर.एफ.	आपदा राहत कोष
सी.एस.सी.	सामुदायिक सेवा केंद्र
सी.एस.आई.आर.– एन.जी.आर.आई.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद– राष्ट्रीय भू–भौतिकीय अनुसंधान संस्थान
सी.एस.एस.आर.	क्षतिग्रस्त संरचना संबंधी खोज एवं बचाव

डी.डी.एम.ए.	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
डी.एम.	आपदा प्रबंधन
डी.पी.आर.	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डी.आर.डी.ई.	रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान
डी.आर.डी.ओ.	रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
डी.आर.आर.	आपदा जोखिम न्यूनीकरण
ई.एफ.सी.	व्यय वित्त समिति
ई.ओ.सी.	संकटकालीन प्रचालन केंद्र
ई.आर.सी.	संकटकालीन कार्रवाई केंद्र
ई.डब्ल्यू.	पूर्व–चेतावनी
एफ.एफ.टी.पी.	आमने–सामने प्रशिक्षण कार्यक्रम
एफ.आई.सी.सी.आई. (फिक्की)	भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य संगठन परिसंघ (फिक्की)
जी.आई.एस.	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
जी.पी.एस.	वैश्विक अवस्थिति प्रणाली
जी.एस.डी.एम.ए.	गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
हजकेम	खतरनाक रसायन
एच.एफ.ए.	ह्योगो कार्रवाई रूपरेखा
एच.पी.सी.	उच्चाधिकार प्राप्त समिति
आई.ए.एन.	एकीकृत एम्बुलेन्स नेटवर्क
आई.ए.एस.	भारतीय प्रशासनिक सेवा
आई.सी.पी.	घटना नियंत्रण चौकी
आई.ई.सी.	सूचना, शिक्षा एवं संचार
आई.जी.एन.ओ.यू.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)
आई.आई.टी.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आई.आई.टी.एफ.	भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला
आई.एम.सी.	अंतर मंत्रालयीन समिति
आई.एम.डी.	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग
आई.एन.एस.ए.आर.ए.जी.	अंतरराष्ट्रीय खोज एवं बचाव सलाहकार समूह
आई.एन.टी.ए.सी.एच.	भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट
आई.आर.एस.	घटना कार्रवाई प्रणाली
आई.आर.टी.	घटना कार्रवाई टीम
आई.टी.	सूचना प्रौद्योगिकी
आई.यू.ए.सी.	अंतर विश्वविद्यालय त्वरित्र केंद्र
जे.ई.	जापानी इंसेफिलाइटिस
जे.एन.यू.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय

एल.बी.एस.एन.ए.ए.	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी
एम.ए.एच.	वृहत दुर्घटना संकट
एम.एफ.आर.	चिकित्सा प्राथमिक सहायता कर्मी
एम.एच.ए.	गृह मंत्रालय
एम.आई.एस.पी.	न्यूनतम प्रारंभिक सेवा पैकेज
एम.ओ.डी.	रक्षा मंत्रालय
एम.ओ.एच.आर.डी.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
एम.ओ.यू.	समझौता ज्ञापन
एम.पी.सी.एस.	बहु–उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय
एम.पी.एम.सी.एम.	चिकित्सा तैयारी एवं बड़ी दुर्घटना प्रबंधन
एन.ए.सी.ओ.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन
एन.सी.सी.एफ.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि
एन.सी.एम.सी.	राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति
एन.सी.आर.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एन.सी.आर.एम.पी.	राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना
एन.डी.सी.आई.	राष्ट्रीय आपदा संचार आधारढांचा
एन.डी.सी.एन.	राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क
एन.डी.एम.ए.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एन.डी.एम.पी.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना
एन.डी.आर.एफ.	राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल
एन.ई.सी.	राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति
एन.ई.आर.एम.पी.	राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना
एन.एफ.आर.एम.पी.	राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम प्रशमन परियोजना
एन.जी.ओ.	गैर सरकारी संगठन
एन.आई.डी.एम.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
एन.आई.एम.एच.ए.एन.एस.	राष्ट्रीय मनोचिकित्सा एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस)
एन.एल.आर.एम.पी.	राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना
एन.पी.डी.एम.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति
एन.एस.ए.	राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
ओ.एफ.सी.	ऑप्टिकल फाइबर केबिल
पी.एच.सी.	संसद भवन परिसर
पी.आई.बी.	सार्वजनिक निवेश बोर्ड
पी.पी.पी.	सार्वजनिक निजी सहभागिता
पी.आर.आई.	पंचायती राज संस्थाएं
पी.एस.एस.एम.एच.एस.	मनो–सामाजिक सहयोग एवं मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं
पी.टी.एस.डी.	पोस्ट–ट्रॉमेटिक तनाव विकार

आर.एंड डी.	अनुसंधान एवं विकास
आर.एफ.पी.	प्रस्ताव हेतु अनुरोध
आर.एच.	जनन–स्वास्थ्य
एस. एंड टी.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
एस.डी.एम.ए.	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एस.डी.एम.पी.	राज्य आपदा प्रबंधन योजना
एस.डी.आर.एफ.	राज्य आपदा कार्रवाई बल
एस.ई.सी.	राज्य कार्यकारिणी समिति
टी.आई.एफ.ए.सी.	प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान तथा प्राक्कलन परिषद
यू.एल.बी.	शहरी स्थानीय निकाय
यू.एम.एच.पी.	शहरी मानसिक चिकित्सा कार्यक्रम
यू.एन.	संयुक्त राष्ट्र
यू.एन.पी.ए.	संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष
यू.एन.आई.सी.ई.एफ.	संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष
यू.एस.ए.आई.डी.	संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय विकास अभिकरण
यू.टी.	संघ राज्य क्षेत्र
डब्ल्यू.एच.ओ.	विश्व स्वास्थ्य संगठन

1 प्रस्तावना

असुरक्षितता विवरण

1.1 भारत, भिन्न–भिन्न प्रकार के जोखिम और अनेक आपदाओं का शिकार बनने वाला देश है। इसका 58.6 प्रतिशत से अधिक भू–भाग साधारण से लेकर अति उच्च तीव्रता के भूकम्प का क्षेत्र है तथा इसकी भूमि का 490 लाख हैक्टेयर बाढ़ ग्रस्त और नदी कटाव वाला क्षेत्र है। इसकी कुल 7,516 कि.मी. लंबी समुद्री तटरेखा में से 5,700 कि. मी. के लगभग भू–भाग में चक्रवातों और सुनामी की आशंका बनी रहती है। इसके कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल में से 68% भाग सूखा–ग्रस्त है; और इसके पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और हिमस्खलन का जोखिम रहता है। इसके अतिरिक्त, भारत रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय और नाभिकीय संकट (सी.बी.आर.एन.) तथा अन्य मानव–जनित आपदाओं के प्रति भी संवेदनशील है। मायापुरी, नई दिल्ली में विकिरण से हुई दुर्घटना और लेह में बादल फटने की घटना इन जोखिमों की हल्की सी याद दिलाती हैं कि यह देश ऐसी आपदाओं का शिकार हो सकता है।

1.2 भारत में आपदाओं की जोखिम, जनांकिकीय और सामाजिक–आर्थिक अवस्थाओं में तेज गति से होने वाले बदलावों, अनियोजित नगरीकरण, उच्च जोखिम क्षेत्रों में विकास, पर्यावरण क्षरण, जलवायु परिवर्तन, भू–गर्भीय संकट, भौमिक खतरों, महामारियों और संक्रामक रोगों से संबद्ध बढ़ती संभावनाओं से और भी अधिक वृद्धि हुई है। स्पष्टतः इन सब बातों से ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जहां आपदाएं भारत की अर्थव्यवस्था, इसकी आबादी और अनवरत विकास के लिए संकट बन जाती हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) की उत्पत्ति

1.3 भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के महत्त्व को राष्ट्रीय प्राथमिकता का मानते हुए, अगस्त, 1999 में एक उच्चाधिकार समिति का गठन एवं गुजरात भूकंप के बाद 2001 में आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी के बारे में सिफारिशें करने के लिए तथा कारगर प्रशमन तंत्र का सुझाव देने के लिए आपदा प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय समिति का भी गठन किया था। तथापि, हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद भारत सरकार ने देश के विधायी इतिहास में एक ठोस कदम उठाया तथा भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में समग्र और समेकित कदम उठाने और उसे कार्य रूप देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक संसदीय अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) का गठन

1.4 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 30 मई, 2005 को भारत सरकार के कार्यकारी आदेश द्वारा किया गया था। तत्पश्चात् 23 दिसंबर, 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया गया और 27 सितंबर, 2006 को इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकरण को अधिसूचित किया गया।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) का संघटन

1.5 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) के अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और माननीय उपाध्यक्ष श्री एम. शशिधर रेड्डी विधायक हैं जिनके साथ आठ अन्य सदस्य हैं। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को केंद्रीय कबीना मंत्री का दर्जा प्राप्त है और प्राधिकरण के सदस्यों को केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है।

1.6 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) के वर्तमान सदस्य (उनके द्वारा एन.डी.एम.ए. में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि सहित) निम्नानुसार हैं :

क) श्री एम. शशिधर रेड्डी – 05 अक्तूबर, 2005

ख) श्री बी. भट्टाचार्जी – 21 अगस्त, 2006

ग) श्री जे. के. सिन्हा – 18 अप्रैल, 2007

घ) मेजर जनरल (डॉ.) जे. के. बंसल – 06 अक्तूबर, 2010

ड.) श्री टी. नंदकुमार– 08 अक्तूबर, 2010

च) डॉ. मुजफ्फर अहमद – 10 दिसंबर, 2010

छ) श्री के. एम. सिंह – 14 दिसंबर, 2011

ज) प्रो. हर्ष कुमार गुप्ता – 23 दिसंबर, 2011

झ) श्री विनोद के. दुग्गल– 22 जून, 2012

विहंगावलोकन

1.7 विगत वर्षों में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण रोकथाम, तैयारी और प्रशमन पर अधिक जोर देते हुए, राहत केंद्रित दृष्टिकोण के स्थान पर समग्र दृष्टिकोण अपनाने के आमूलचूल परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने में सफल रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक उपलब्धि यह रही है कि उसने आपदा–विनिर्दिष्ट, विषयक और अन्य विविध मुद्दों का समावेश करते हुए दिशानिर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का दृष्टिकोण अनुरेखीय और उत्तरोत्तर सुधारों के स्थान पर ढांचागत सुधार और क्रमिक परिवर्तनों की दिशा पर केंद्रित रहा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र एक प्राधिकारी होने के बजाए एक सुविधा–प्रदाता का अधिक रहा है जिसके अंतर्गत उसने देश में समुत्थान शक्ति को सुदृढ़ करने की दिशा में समर्थकारी वातावरण निर्मित करने के लिए अन्य हितधारकों को अपनी सहायता प्रदान की है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा पर कार्रवाई करने के लिए एक वास्तविक विशेषीकृत बल के रूप में राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन.डी.आर.एफ.) को स्थापित करने के लिए अत्यावश्यक प्रोत्साहन भी प्रदान किया है तथा यह सुनिश्चित करने पर सर्वोच्च प्राथमिकता दी है कि वह अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षित और सुसज्जित हो।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) के सदस्यों के उत्तरदायित्व

1.8 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों को उनकी विषय–विशेषज्ञता के आधार पर आपदा–विनिर्दिष्ट कार्य–क्षेत्र सौंपे गए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और सदस्यों को अपना कार्य करने के लिए विषय–विशेषज्ञों और वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों का सहयोग प्रदान कराया जाता है। ये कार्य–क्षेत्र निम्न प्रकार हैं :

क्रम सं.	सदस्य का नाम	कार्य क्षेत्र	राज्य
1.	श्री बी. भट्टाचार्जी	i) नाभिकीय और विकिरणकीय आपातस्थितियां ii) पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी, जी.आई.एस. iii) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार iv) माइक्रोजोनेशन v) भूमंडलीय ताप एवं जलवायु परिवर्तन	i) पश्चिम बंगाल ii) ओडिशा iii) अंडमान और निकोबार द्वीप–समूह
2.	श्री के. एम. सिंह	i) राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन.डी.आर.एफ.) ii) राज्य आपदा कार्रवाई बल (एस.डी.आर.एफ.)	i) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य
3.	श्री टी. नन्दकुमार	(i) राष्ट्रीय नीति और योजनाएं (ii) सूखा (iii) जोखिम अंतरण (बीमा) (iv) आपदा जोखिम न्यूनीकरण (v) यू.एन. एजेन्सियों के साथ तालमेल (अन्य अंतरराष्ट्रीय / द्विपक्षीय अभिकरण) (vi) नई पहलें	i) बिहार ii) झारखंड iii) केरल iv) लक्षद्वीप।

क्रम सं.	सदस्य का नाम	कार्य क्षेत्र	राज्य
4.	मेजर जनरल डॉ. जे. के. बंसल (सेवानिवृत्त)	i) सी.बी.आर.एन. (आतंकवाद पहलू) ii) मनो–सामाजिक देखभाल	i) मध्य प्रदेश ii) राजस्थान iii) छत्तीसगढ़।
5.	डॉ. मुजफ्फर अहमद	i) चिकित्सा संबंधी तैयारी ii) रासायनिक औद्योगिक आपदा प्रबंधन iii) सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन (सी.बी.डी.एम.) iv) गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.)	i) जम्मू और कश्मीर ii) आंध्र प्रदेश iii) तमिलनाडु iv) पुडुचेरी।
6.	प्रो. हर्ष के. गुप्ता	i) भूकम्प और ii) सुनामी	i) उत्तर प्रदेश ii) महाराष्ट्र iii) गोवा।
7.	श्री जे. के. सिन्हा	i) नागरिक सुरक्षा ii) अग्निशमन सेवा iii) घटना कार्रवाई प्रणाली iv) राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.) राष्ट्रीय बचत सेवा (एन.एस.एस.) नेहरू युवा केंद्र संगठन (एन.वाई.के. एस.) v) कृत्रिम कवायद (मॉक ड्रिल)/अभ्यास	i) कर्नाटक ii) गुजरात iii) दादर और नागर हवेली iv) दमन और दीव
8.	श्री वी.के. दुग्गल	i) बाढ़ ii) चक्रवात तथा iii) शहरी बाढ़ iv) भूस्खलन तथा हिमस्खलन v) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान vi) जागरुकता सृजन एवं मीडिया	i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एन.सी.आर.) ii) हिमाचल प्रदेश iii) उत्तराखंड iv) पंजाब v) हरियाणा vi) चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र (यू.टी.)

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सचिवालय

1.9 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का संगठनात्मक ढांचा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मई, 2008 में अनुमोदित किया गया था। सचिवालय के अध्यक्ष सचिव होते हैं और उनके साथ पांच संयुक्त सचिव/सलाहकार होते हैं जिनमें से एक वित्तीय सलाहकार होता है। उसमें दस संयुक्त सलाहकार (निदेशक/उप निदेशक स्तर के) और चौदह सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के) होते हैं और उनकी सहायता के लिए सहायक अधिकारी तथा स्टाफ होता है। आपदा प्रबंधन एक विशिष्ट विषय है, अतः यह भी सुनिश्चित किया गया है कि विशेषज्ञों की विशेषज्ञता संविदात्मक आधार पर उपलब्ध हो। संगठन के काम में अनेक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी भी सहायता प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संगठन की विस्तृत चर्चा *'प्रशासन एवं वित्त'* नामक एक पृथक अध्याय में की गई है।

2 कार्यकलाप एवं उद्देश्य

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकलाप

2.1 भारत में आपदा प्रबंधन की शीर्ष संस्था के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उत्तरदायित्व आपदाओं के बारे में समयबद्ध और कारगर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए नीति, योजना और दिशानिर्देश निर्धारित करना है। इसके विधायी कार्यों में निम्नलिखित कार्य करने का उत्तरदायित्व भी सम्मिलित है :

(क) आपदा प्रबंधन के विषय में नीतियां बनाना;

(ख) राष्ट्रीय योजना को और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा राष्ट्रीय योजना के अनुसार तैयार की गई योजनाओं को अनुमोदित करना;

(ग) राज्य योजना बनाने के लिए राज्य प्राधिकारियों के पालन हेतु दिशानिर्देश निर्धारित करना;

(घ) आपदा निवारण के उपायों को समेकित करने तथा विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा के प्रभाव का प्रशमन करने के प्रयोजनार्थ भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपनाए जाने वाले दिशानिर्देश निर्धारित करना ;

(ङ) आपदा प्रबंधन की नीति और योजना के प्रवर्तन और कार्यान्वयन में समन्वय करना ;

(च) आपदा प्रशमन के प्रयोजनार्थ धनराशि की व्यवस्था की सिफारिश करना ;

(छ) बड़ी आपदाओं से प्रभावित अन्य देशों को ऐसी सहायता सुलभ कराना जैसी केंद्रीय सरकार द्वारा तय की जाए;

(ज) आपदा निवारण के लिए, अथवा आपदा के संकट की स्थिति से या आपदा से निपटने के लिए प्रशमन, अथवा तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए ऐसे अन्य कदम उठाना जो एन.डी.एम.ए. आवश्यक समझे;

(झ) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) के कामकाज के लिए व्यापक नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करना;

(ञ) आपदा की स्थिति की आशंका या आपदा से निपटने के लिए विशेष कार्रवाई के प्रयोजन के लिए अधिनियम के अधीन गठित राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन.डी.आर.एफ.) पर प्रमुख अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण रखना;

(ट) आपदा की स्थिति की आशंका या आपदा में बचाव तथा राहत के लिए सामान या सामग्री की आपातकालीन प्राप्ति के लिए संबंधित विभाग या प्राधिकारी को प्राधिकृत करना;

(ठ) आपदा प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करना।

2.2 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सभी प्रकार की आपदाओं से, चाहे वे प्राकृतिक हों या मानव जनित, निपटने के लिए अधिदेश प्राप्त है। जबकि ऐसी अन्य आपातस्थितियों जिनमें सुरक्षा बलों तथा/अथवा आसूचना अधिकरणों का प्रबलता से संलिप्त होना अपेक्षित है जैसे आतंकवाद (बगावत के विरुद्ध कार्रवाई), कानून और व्यवस्था की स्थिति, क्रमिक बम विस्फोट, विमान अपहरण, विमान दुर्घटना, सी.बी.आर.एन. हथियार प्रणाली, खान आपदा, पत्तन और बंदरगाह की आपातस्थिति, जंगल की आग, तेल क्षेत्र में आग और तेल बिखरने, से वर्तमान तंत्र अर्थात् राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एन.सी.एम.सी.) द्वारा निपटना जारी रहेगा।

2.3 तथापि, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सी.बी.आर.एन. आपातस्थितियों के बारे में दिशानिर्देश बनाएगा, प्रशिक्षण और तैयारी की गतिविधियों को सुकर बनाएगा। प्राकृतिक और मानव–जनित आपदाओं के लिए जैसे चिकित्सा तैयारी, मनो–सामाजिक देखभाल और ट्रॉमा, समुदाय आधारित आपदा तैयारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण तैयारी, जागरुकता अभियान चलाना आदि विविध विषयों पर संबंधित हितधारकों की भागीदारी में एन.डी.एम.ए. का भी ध्यान आकृष्ट करेगा। आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के पास उपलब्ध संसाधन, जो आपातकालीन

सहायता कार्यकलाप के लिए सक्षम हैं, आसन्न आपदा/आपदाओं के समय आपातस्थिति से निपटने के लिए सभी स्तरों पर नोडल मंत्रालयों/अभिकरणों को उपलब्ध कराए जाएंगे।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की दूरदृष्टि (विजन)

2.4 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिदेश और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, 2009 से उत्पन्न दूरदृष्टि (विजन) निम्न प्रकार हैं :

"आपदा प्रबंधन–रोकथाम, प्रशमन, तत्परता एवं कार्रवाई प्रेरित संस्कृति के माध्यम से समग्र, सक्रिय, बहु–आपदा केंद्रित और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति का विकास करते हुए एक सुरक्षित तथा आपदा से निपटने में पूर्ण सक्षम भारत का निर्माण करना शामिल है।"

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एन.पी.डी.एम.), 2009 के लक्ष्य

2.5 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के लक्ष्य निम्न प्रकार हैं :

(क) सभी स्तरों पर ज्ञान, नवाचार और शिक्षा के माध्यम से रोकथाम, तैयारी और समुत्थान की संस्कृति को बढ़ावा देना।

(ख) प्रौद्योगिकी, पारंपरिक बुद्धिमत्ता और पर्यावरणीय संरक्षण पर आधारित प्रशमन उपायों को प्रोत्साहित करना।

(ग) आपदा प्रबंधन सरोकारों को विकासात्मक योजना में पूरी तरह शामिल करना।

(घ) सक्षम नियामक वातावरण और एक अनुपालनात्मक व्यवस्था का सृजन करने लिए संस्थागत और प्रौद्योगिकीय–विधिक ढांचों को स्थापित करना।

(ङ) आपदा जोखिमों की पहचान, आकलन और अनुवीक्षण करने के लिए प्रभावी तंत्र सुनिश्चित करना।

(च) सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रत्युत्तरपूर्ण और बाधा–रहित संचार से युक्त समकालीन पूर्वानुमान एवं शीघ्र चेतावनी प्रणालियां विकसित करना।

(छ) समाज के कमजोर वर्गों की जरूरतों के अनुकूल कारगर कार्रवाई और राहत सुनिश्चित करना।

(ज) अधिक सुरक्षित ढंग से जीने के लिए आपदा–समुत्थानशील इमारतें खड़ी करने को एक अवसर के रूप में मानते हुए पुनर्निर्माण कार्य हाथ में लेना।

(झ) आपदा प्रबंधन के लिए मीडिया के साथ उत्पादक और सक्रिय (प्रोडक्टिव एंड प्रोएक्टिव) सहभागिता को बढ़ावा देना।

3 उल्लेखनीय घटनाएं

प्रस्तावना

3.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के ऐसे कार्यकलाप जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, आगामी पैराग्राफों में दिए गए हैं। ये विशेष रूप से वर्ष के दौरान किए गए महत्त्वपूर्ण कार्यकलाप, बड़ी आपदाओं के प्रति की गई कार्रवाई, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की उपलब्धियां और विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों के आगमन के संबंध में हैं।

आपदा न्यूनीकरण, जापान पर तृतीय विश्व मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

3.2 श्री एम. शशिधर रेड्डी, उपाध्यक्ष, एन.डी.एम.ए., भारत सरकार ने 3 और 4 जुलाई, 2012 को सम्मेलन में टोहोकू, जापान में आपदा न्यूनीकरण पर विश्व मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस सम्मेलन को निम्नलिखित उद्देश्यों से विदेश कार्य मंत्रालय, जापान सरकार द्वारा आयोजित किया गया था:

- वृहत पूर्वी जापान में आए भूकंप सहित हाल ही में बड़े पैमाने पर प्राकृतिक आपदाओं से सीखे सबकों को साझा करना।
- समुत्थानशील समाजों के निर्माण के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित प्रमुख विषयों पर मंत्री–स्तरीय विचार–विमर्श आयोजित करना।
- 2015 में आपदा न्यूनीकरण में तृतीय विश्व सम्मेलन (जिसकी मेजबानी करने के लिए जापान ने अपनी इच्छा की घोषणा की है) में पोस्ट–ह्योगो रूपरेखा (एच.एफ.ए.) स्थापित करने संबंधी विचार–विमर्श का समर्थन करना।

3.3 सम्मेलन, जापान के उस हिस्से में आयोजित किया गया जो सुनामी के बाद 11 मार्च, 2011 को ग्रेट ईस्ट जापान में आए भूकंप के बाद पूरी तरह तबाह हो गया था।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का 8वां स्थापना दिवस

3.4 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 28 सितंबर, 2012 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया था। उद्घाटन सत्र में श्री एम. शशिधर रेड्डी, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किए गए योगदान और कार्रवाई के साथ–साथ तैयारी और न्यूनीकरण की ओर बराबर ध्यान देने के महत्व को रेखांकित किया। समारोह के मुख्य अतिथि श्री पवन कुमार बंसल, जल संसाधन और संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री ने उल्लेख किया कि जल संसाधन मंत्रालय और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, केन्द्रीय जल आयोग आदि जैसी सभी तकनीकी एजेंसियों सहित एन.डी.एम.ए. के बीच एक घनिष्ठ रिश्ता है। उन्होंने प्राधिकरण द्वारा अब तक किए गए कार्य की सराहना की और इसे भावी प्रयासों की शुभकामनाएं दी।

3.5 समारोह के विशेष अतिथि श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन, गृह राज्य मंत्री ने विकास योजनाओं में आपदा जोखिम में न्यूनीकरण उपायों, क्षमता निर्माण और देश के समुत्थान के महत्व के बारे में विस्तृत चर्चा की। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को उसके द्वारा अब तक किए गए प्रशंसनीय कार्यों के लिए बधाई दी और विभिन्न प्रचालनों के दौरान एन.डी.आर.एफ. के प्रयासों की सराहना की।

3.6 उद्घाटन सत्र के बाद, बाढ़, सुनामी और चक्रवात आपदाओं पर तीन तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। विशेषज्ञों के पैनल ने अभ्यावेदन (प्रेजेन्टेशन) प्रस्तुत किए जिनकी अध्यक्षता राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विषय–सदस्यों ने की थी। इसके बाद, प्रतिभागियों के साथ वार्तालाप सत्र आयोजित किया गया था। ऐसे अंतरालों पर चर्चा की गई जिन पर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत थी और ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान की गई है जिनका भविष्य में निराकरण करना जरूरी है।

3.7 इस समारोह में भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों/आपदा प्रबंधन के सचिवों, एन.डी.आर.एफ., एन.आई.डी.एम., संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.) एजेंसियों और अन्य तकनीकी एजेंसियों ने भाग लिया।

एन.डी.एम.ए. द्वारा 32वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में भागीदारी

3.8 एन.डी.एम.ए. ने आम जनता, छात्रों और विभिन्न हितधारकों में विभिन्न प्रकार की आपदाओं के प्रबंधन के बारे में जागरुकता लाने के लिए 14 से 27 नवंबर, 2012 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 32 वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आई.आई.टी.एफ.), 2012 में भाग लिया।

3.9 प्राधिकरण ने तीन संगठनों –एन.डी.एम.ए., एन.डी.आर.एफ. और एन.आई.डी.एम., जो आपदा प्रबंधन के कार्य में संलग्न हैं, की गतिविधियों को सृजन करने के लिए आई.आई.टी.एफ. में हॉल नं. 6 में एक रोचक सूचना पवेलियन प्रदर्शित की है। श्री एम. शशिधर रेड्डी, उपाध्यक्ष, एन.डी.एम.ए. ने 14 नवंबर, 2012 को एन.डी.एम.ए. पवेलियन का उद्घाटन किया। एन.डी.एम.सी. पवेलियन में निरंतर दृश्य–श्रव्य प्रस्तुतियों के साथ–साथ आगंतुक लोगों को विभिन्न प्रकार के आपदा प्रबंधन संबंधी सामग्री वितरित की गई। करीब एक लाख लोगों ने पवेलियन का दौरा किया और एन.डी.एम.ए. द्वारा जनता के बीच जागरुकता फैलाने की इस पहल की सराहना की।

3.10 आई.आई.टी.एफ. 2012 में एन.डी.एम.ए. पवेलियन को डॉ. डी. पुरंदेश्वरी, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री द्वारा 27 नवम्बर 2012 को प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए विशेष प्रशस्ति पदक से सम्मानित किया गया।

श्री पी. जी. धर चक्रवर्ती, सचिव, एन.डी.एम.ए., डॉ. डी. पुरंदेश्वरी, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री से पुरस्कार प्राप्त करते हुए

राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन.डी.आर.एफ.) का 8वां स्थापना दिवस

3.11 एन.डी.आर.एफ. ने डिगबेरिया, मध्यमग्राम, पश्चिम बंगाल में 22 जनवरी, 2013 को 8वां स्थापना दिवस मनाया। महामहिम श्री एम. के. नारायणन, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, एन.डी.आर.एफ. स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। श्री एम. शशिधर रेड्डी, उपाध्यक्ष, एन.डी.एम.ए. विशेष अतिथि थे। महामहिम श्री एम. के. नारायणन, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने अपने संबोधन में देश में एन.डी.आर.एफ. द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण और पेशेवर तरीके से किया गया कार्य है। उन्होंने इस अवसर पर विशेष सेवाओं के लिए विशिष्ट राष्ट्रपति पुलिस पदक और एन.डी.आर.एफ., नागरिक सुरक्षा और अग्निशमन सेवाओं के अधिकारियों को उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक भी प्रदान किए।

3.12 8वें स्थापना दिवस के अवसर पर, एन.डी.एम.ए., एन.डी.आर.एफ., मुख्यालय दिल्ली के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी, नागरिक सुरक्षा के वरिष्ठ अधिकारी, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से वरिष्ठ राज्य के अधिकारी भी उपस्थित थे। डॉ. पी.एम. नायर, आई.पी.एस., महानिदेशक, एन.डी.आर.एफ. ने दर्शकों के लिए एन.डी.आर.एफ. की सक्षमता और तैयारियों से अवगत कराया।

आपदा से निपटने की तैयारी पर भारत–जापान सहयोग और जन–नेटवर्क

3.13 आपदा प्रबंधन के लिए, सभी हितधारकों के बीच समन्वय महत्वपूर्ण है। विश्व बैंक ने ग्रेट ईस्ट जापान में भूकंप के बाद प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में मुद्दे पर प्रकाश डाला और 11 मार्च, 2011 को ग्रेट ईस्ट जापान में आए भूकंप के बाद सभी हितधारकों के बीच समन्वय के अभाव के बारे में बताया जिससे जापान के टोहुकू क्षेत्र में अप्रत्याशित सुनामी और नाभिकीय आपातस्थिति उत्पन्न हुई। इसके मद्देनजर, कंस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में 5 मार्च, 2013 को 'इंडिया–जापान को–ऑपरेशन ऑन डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस एण्ड पीपुल्स नेटवर्क' विषय पर सम्मेलन आयोजित किया। श्री एम. शशिधर रेड्डी, उपाध्यक्ष, एन.डी.एम.ए. ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का विषय "इंडियन फुटप्रिंट इन जापान्स अर्थक्वेक/सुनामी आफ्टरमैथ–दी अनटोल्ड स्टोरी" था। इसका आयोजन मुख्य रूप से कमांडेंट आलोक अवस्थी, जिन्हें सर्वप्रथम विदेशी अभियान हेतु जापान में आई. तिहरी आपदा के पश्चात तैनात किया गया था, नेतृत्व में भेजी गई एन.डी.आर.एफ. की टीम को सम्मानित करने हेतु किया गया था।

3.14 श्री एम. शशिधर रेड्डी, उपाध्यक्ष, एन.डी.एम.ए. और जापान की राष्ट्रीय संसद द्वारा नियुक्त डॉ. कियोशि कुरूकावा, अध्यक्ष, फुकुशिमा न्यूक्लिअर एक्सिडेंट इनवेस्टिगेशन कमीशन

ने समारोह में इस टीम को सम्मानित किया। इस अवसर पर, श्री रेड्डी ने जापान में किए गए सफल बचाव और राहत अभियानों के लिए टीम के प्रत्येक सदस्य को हार्दिक बधाई दी है।

3.15 श्री तमाकी सुकाडा, मंत्री, जापानी दूतावास, नई दिल्ली ने राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन.डी.आर.एफ.) के कर्मियों की प्रशंसा की और उनके प्रति आभार व्यक्त किया और भारत के साथ स्वस्थ संबंधों का वायदा किया। प्रो. डी.पी. त्रिपाठी, सांसद और सदस्य, विदेश कार्य संबंधी संसदीय समिति ने भी एन.डी.आर.एफ. के कर्मियों को बधाई दी। उद्घाटन सत्र के दौरान श्री के.एम. सिंह, सदस्य, एन.डी.एम.ए. और श्री आलोक अवस्थी और एन.डी.एम.ए. एवं जापानी दूतावास के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

जापानी इंसेफेलाइटिस (जे.ई.)/एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (ए.ई.एस.) पर एन.डी.एम.ए. की पहल

उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस/एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के रोकथाम और नियंत्रण हेतु सामाजिक एकजुटता अभियान।

3.16 उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने विगत हाल ही में भारत में जे.ई./ए.ई.एस. के मामलों के संदर्भ में रोग का अधिकतम बोझ वहन किया है। एन.डी.एम.ए. द्वारा अगस्त 2011 में गोरखपुर में बाढ़ प्रबंधन पर आयोजित कार्यशाला में की गई सिफारिशों में से एक सिफारिश उत्तर प्रदेश राज्य में जे.ई./ए.ई.एस. की रोकथाम और नियंत्रण के लिए ठोस कार्रवाई करना थी।

3.17 एन.डी.एम.ए. ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में जे.ई./ए.ई.एस. की इस समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें चार प्रभागों अर्थात् गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, और देवीपट्टन में 15 जिलों को कवर करने के लिए "हर परिवार लड़ेगा आपदा से" नारे से सामाजिक एकजुटता अभियान की शुरूआत शामिल थी। अभियान के लिए अपनायी गई बहु–आयामी कार्यनीति में जिला स्तर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को प्रशिक्षित करना, जिन्होंने बाद में ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया, इसके बाद बेहतर साफ–सफाई और स्वच्छता के संबंध में सामान्य करने और न करने योग्य सरल बातों पर पुनःजोर देते हुए घरेलू स्तर पर सुग्राहीकरण और जागरुकता फैलाना; और साथ–साथ राज्य सरकार स्वास्थ्य तंत्र से रोकथाम और निगरानी उपायों का समर्थन करना शामिल है, जिससे प्रभावित जिलों में मामलों की सूचना शीघ्र मिली और टीकाकरण कवरेज में वृद्धि हुई। सामाजिक एकजुटता अभियान के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.) सामग्री (मटीरियल), तकनीकी संगठनों जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष (यूनिसेफ) के परामर्श से एन.डी.एम.ए. द्वारा विकसित की गई थी। इस अभियान को नवंबर, 2011 और मई, 2012 के बीच सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया था और इसके परिणामस्वरूप, बीमारी के मामलों की काफी अधिक सूचना मिली जिससे राज्य के लक्षित क्षेत्रों में निगरानी–तंत्र मजबूत हुए; साथ ही 4000 मास्टर प्रशिक्षक अभियान में शामिल हुए, मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा जमीनी स्तर पर 1 लाख जमीनी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया और उन्होंने घर–घर जाकर रोगों के बारे में संदेश पहुंचाकर 1 करोड़ से अधिक परिवारों से संपर्क किया। अभियान का मार्च, 2013 में 7 और जिलों में विस्तार किया गया था। इसी बीच, भारत के प्रधानमंत्री ने जे.ई./ए.ई.एस. की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करने के लिए उपाय/सिफारिशें सुझाने के लिए एक मंत्री–समूह गठित किया, जिसके परिणामस्वरूप अक्तूबर, 2012 माह में मंत्रिमंडल द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 5 प्रकोपग्रस्त राज्यों के 60 जिलों को लक्षित करते हुए देश में जे.ई./ए.ई.एस. की रोकथाम और नियंत्रण के लिए 4038 करोड़ रुपये की व्यापक बहु–आयामी योजना का अनुमोदन किया गया। राज्य ने एन.डी.एम.ए. से इस अभियान को सर्वाधिक प्रभावित 22 जिलों में दोहराने का अनुरोध किया जिसके लिए एन.डी.एम.ए. में योजना बनाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। एन.डी.एम.ए. द्वारा बनाए और कार्यान्वित किए गए अभियान के इस मॉडल से प्राप्त फीडबैक, मामलों की शीघ्र पहचान और जे.ई./ए.ई.एस. के कारण मृत्यु की संख्या में कमी के संदर्भ में ही अत्यधिक सकारात्मक नहीं है, बल्कि इस मुद्दे के अधिक सक्रिय रूप से निवारण के लिए सामुदायिक और राज्य प्रशासन स्तर पर अधिक जागरुकता एवं सुग्राहीकरण के संदर्भ में भी सकारात्मक है।

3.18 इस अभियान के एक भाग के रूप में, ब्लॉक स्तर पर 4000 मास्टर प्रशिक्षकों और एक लाख प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया जिनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों के अलावा, स्वास्थ्य कार्यकर्ता जैसे सहायक नर्स व दाई (एएनएम), मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा), राज्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता शामिल थे। ये लोग अंततः लोगों को जे.ई./ए.ई.एस. की रोकथाम व नियंत्रण में अपनी मदद स्वयं करने में सहायता देने के लिए लोगों में किए जाने वाले उपायों के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए इन जिलों में प्रत्येक घर तक जाएंगे।

न्यूनतम प्रारंभिक सेवा पैकेज (एम.आई.एस.पी.) – संकट/आपदा स्थितियों में प्रजनन स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करना।

3.19 प्राकृतिक और मानव–जनित जोखिमों की गंभीरता को स्वीकार करते – विशेष रूप से, महिलाओं और किशोरों जैसे सर्वाधिक वंचित और कमजोर समूहों में, एन.डी.एम.ए. ने भारत में संकट/आपात की स्थितियों में प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य (आर.एच.) से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के प्रयास शुरू किए हैं। एन.डी.एम.ए., संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यू.एन.एफ.पी.ए.) के सहयोग से राज्य और जिला स्तरीय स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन योजना प्रक्रिया में आपात स्थितियों में न्यूनतम प्रारंभिक सेवा पैकेज की अवधारणा को एकीकृत करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है।

3.20 न्यूनतम प्रारंभिक सेवा पैकेज का उद्देश्य मानव बस्तियों में जनन स्वास्थ्य/यौन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को प्रभावी ढंग से निवारण और उन से जुड़ी जरूरतों पर संबंधी कार्रवाई करने के लिए आपदा प्रबंधकों की क्षमता को बढ़ाना है। बिहार और ओडिशा राज्यों, दोनों में राज्यों में नीतिगत स्तरीय अनुमोदन बैठकों और जिला स्तरीय अनुकूलन (ओरियंटेशन) से स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन योजनाओं में एम.आई.एस.पी. को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गोवा, अपनी स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन योजनाओं में एम.आई.एस.पी. को शामिल करने वाला पहला राज्य है और यह आशा है कि समुचित समयावधि में, आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सभी राज्यों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के भीतर एम.आई.एस.पी. शामिल हो जाएगा।

3.21 आपदा स्थितियों में न्यूनतम प्रारंभिक सेवा पैकेज संबंधी क्षमता निर्माण के कार्य की शुरूआत एन.डी.एम.ए. द्वारा 2011 में सभी राज्यों से सरकारी पदाधिकारियों से मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए दो राष्ट्रीय क्षमता विकास कार्यशाला के आयोजन से हुई, जिसके बाद 2012 में, भारत के विभिन्न राज्यों में क्षमता विकास को सुकर बनाने के संदर्भ में, वैश्विक न्यूनतम प्रारंभिक सेवा पैकेज सुविधादाता मैनुअल के अनुकूलन की प्रक्रिया की गई। अनुकूलन प्रक्रिया में राष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक टीम ने सहायता प्रदान की, जिसकी एक संयुक्त समीक्षा कार्यशाला में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के प्रतिनिधियों द्वारा, समीक्षा की गई थी।

3.22 न्यूनतम प्रारंभिक सेवा पैकेज की अनुमोदन बैठकें 22 मई 2012 को ओडिशा, 25 जून, 2012 को पटना, 20 और 21 दिसंबर, 2012 को गोवा सरकार के साथ आयोजित की गई थीं जिनमें राज्य के प्रधान सचिवों, वरिष्ठ अधिकारियों, डॉ. मुजफ्फर अहमद, सदस्य, एन.डी.एम.ए. और संयुक्त सचिव, एन.डी.एम.ए. शामिल थे।

भूकंप से निपटने के लिए बहु–राज्यीय तैयारियां

एमडब्ल्यू मंडी में भूकंप परिदृश्यः बहु–राज्यीय अभ्यास और जागरुकता अभियान

3.23 हिमालयी बेल्ट, जो कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है, भूकंपीय दृष्टि से बहुत सक्रिय क्षेत्र है। 1897 और 1950 के बीच 53 वर्ष की छोटी सी अवधि के दौरान, इस क्षेत्र में चार बड़े भूकंप, (शिलांग 1897; कांगड़ा 1905; बिहार–नेपाल 1934 और असम 1950) आए हैं जिनकी तीव्रता 8 से अधिक रही जिनसे काफी अधिक विनाश हुआ। हालांकि, 1950 के बाद से ऐसा कोई भूकंप नहीं आया है।

3.24 अध्ययनों से संकेत मिलता है कि हिमालयी क्षेत्र में 8 या इससे अधिक तीव्रता के भूकंप उत्पन्न करने के लिए काफी दवाब जमा है। दुर्भाग्य से, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि यह भूकंप कहां और कब होगा। रूसी वैज्ञानिकों के एक समूह ने लंबी समयावधि में आनेवाले भूकंप के पूर्वानुमान के लिए एल्गोरिथ्म विकसित किया है जिसमें विश्व भर में 8+ तीव्रता वाले भूकंपों से पूर्व चट्टानों में गतिशीलता का पूर्वव्यापी विश्लेषण किया जाता है। इस एल्गोरिथ्म के आधार पर, जिसके बारे में 70% सफलता का दावा किया जाता है, वैज्ञानिकों ने हिमाचल प्रदेश में एक ऐसे क्षेत्र की पहचान की है जहां 2016 के अंत तक किसी भी समय एम 8 अथवा इससे अधिक तीव्रता का भूकंप आ सकता है। यह भविष्यवाणी उचित न्यूनीकरण और कार्य–योजना तैयार करने की जरूरत को रेखांकित करती है।

3.25 ऐसी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की वर्तमान तैयारियों का आकलन करने न्यूनीकरण उपायों के महत्व के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए, एन.डी.एम.ए. ने "एमडब्ल्यू मंडी अर्थक्वेक सिनारियोः मल्टी स्टेट एक्सरसाइज एण्ड अवेयरनेस कैंपेन" परियोजना शुरू की। इस परियोजना का उद्देश्य तीन उत्तर–पश्चिम भारतीय राज्यों और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में विशाल भूकंप के परिणामों की वैज्ञानिक समझ को प्रदान करना है। इस कार्रवाई के उद्देश्य ऐसे भूकंप के संभावित प्रभावित होने के विस्तार, भूकंप के समुदायों, इमारतों, महत्वपूर्ण सुविधाओं, महत्त्वपूर्ण अवसंरचना (जैसे परिवहन, संचार, बिजली, पानी की आपूर्ति आदि), औद्योगिक सुविधाओं पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिणामों को समझना और ऐसी किसी घटना के प्रभावों और विभिन्न सरकारी पदाधिकारियों, विभागों और हितधारकों की तैयारियों का आकलन करना है।

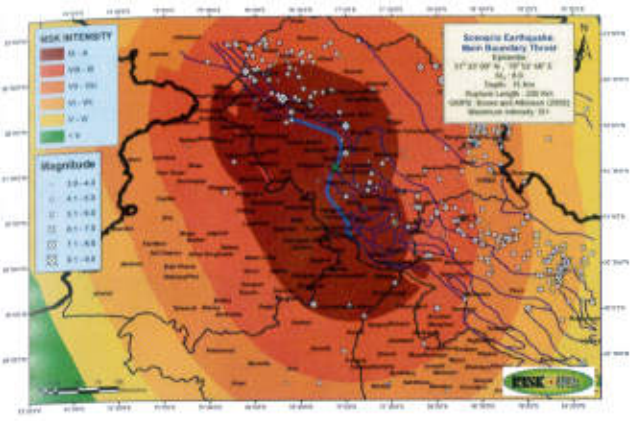

भूकंप परिदृश्य

3.26 दिसंबर 2011 में, 1.30 करोड़ रुपए की परिदृश्य विकास परियोजना को मंजूर किया गया था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.)–मुंबई और आई.आई.टी. –मद्रास ने इस परियोजना के लिए काल्पनिक भूकंप परिदृश्य की तैयारी की। चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के साथ–साथ पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों ने इस परियोजना के कार्यकलापों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

3.27 परियोजना को शुरू करने के लिए, तीन राज्यों के मुख्य मंत्रियों और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के साथ उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित की थीं जिनमें उपाध्यक्ष, एन.डी.एम.ए., श्री शशिधर रेड्डी ने भाग लिया। क्षमता निर्माण गतिविधियों में इमारतों और पानी के टैंकों की तीव्र रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारी विभागों के इंजीनियर, वास्तुकार और संबंधित कर्मचारी शामिल थे। टेबल–टॉप एक्सरसाइज और मॉक ड्रिल, के बाद घटना कार्रवाई प्रणाली संबंधी प्रशिक्षण दिया गया था। स्कूली बच्चों और राज्य के अधिकारियों के लिए सुग्राहीकरण कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ के साथ साझेदारी से व्यापक मीडिया योजना तैयार और कार्यान्वित की गई थी, जिसे भूकंप के खतरों और सुरक्षा उपायों के संबंध में जनता को जागरुक करने में सहायता करने के लिए एन.डी.एम.ए. द्वारा वित्तपोषित किया गया था और तकनीकी तौर पर सहायता दी गई थी। जागरुकता पैदा करने के लिए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो स्पॉट्स, रैलियों, नुक्कड नाटकों, कार्निवल, होर्डिंग और पोस्टर आदि का इस्तेमाल किया गया। मशहूर भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा और ओलंपिक रजत पदक विजेता विजय कुमार ने क्रमशः चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए सद्भावना राजदूत (गुडविल एम्बेसडर) के रूप में जागरुकता अभियान में भाग लिया।

3.28 परियोजना में निष्पादित एक प्रमुख कार्यकलाप, तीन शहरों चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली तथा शिमला में 13 फरवरी, 2013 को बहु–राज्यीय मेगा मॉक एक्सरसाइज का आयोजन था, जिनमें इन राज्यों और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में कार्रवाई तंत्र और अंतर एवं बाहरी–विभागीय समन्वय का मूल्यांकन किया गया था।

3.29 "एमडब्ल्यू 8 मंडी अर्थक्वेक सिनारियोः मल्टी स्टेट एक्सरसाइज एण्ड अवेयरनेस कैंपेन" पथ प्रदर्शक (पायोनियरिंग) परियोजना थी जिसका उद्देश्य प्रदेशों को उच्च तीव्रता के भूकंप का सामना करने के लिए बेहतर आपदा तैयारियों के लिए अपने संसाधनों में तालमेल कायम करना था। इस प्रयास में इंजीनियरों के समुच्चय (पूल) का निर्माण और आर वी. एस. तकनीक के उपयोग और निर्मित वातावरण के जोखिम के आकलन के लिए इसकी प्रयोजनीयता के संबंध में जागरुकता पैदा करना शामिल है। राज्य के प्रमुख अधिकारियों को घटना कार्रवाई प्रणाली (आई.आर.एस.) संबंधी प्रशिक्षण दिया गया था और आपातस्थितियों से निपटने के लिए सुव्यवस्थित संगठनात्मक ढांचा विकसित करने के बारे में अधिसूचित किया गया। इस परियोजना में निम्नलिखित की जरूरत पर जोर दिया गयाः

- अद्यतन राज्य और जिला आपदा प्रबंधन योजना।
- व्यापक संसाधन सूची जिसमें मानव संसाधन, तकनीकी संसाधनों और सैन्य संसाधन को शामिल किया गया हो।
- प्रौद्योगिकी का इष्टतम उपयोग।
- विकास योजना में जोखिम न्यूनीकरण को मुख्य स्थान देना।
- घरेलू (होम) बिल्डर्स को भूकंपरोधी निर्माण तकनीक में सलाह/मार्गदर्शन के लिए योजना कार्यक्रम।
- भवन–निर्माण के उप–नियमों का पालन और उच्च जोखिम वाले समुत्थान मानकों के प्रति विद्यालयों,

स्वास्थ्य इकाइयों आदि सहित समुदाय हेतु अवसंरचना का विकास ताकि आपदा स्थितियों में इनका सामुदायिक आपातकालीन आश्रयस्थल के रूप में उपयोग किया जा सके।

3.30 परियोजना में राज्य और जिला, दोनों स्तरों पर सुप्रशिक्षित जनशक्ति से लैस अत्याधुनिक आपातकालीन प्रचालन केन्द्रों (ई.ओ.सी.) की स्थापना की तात्कालिक आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। इससे समुदाय में जागरुकता आई और आपदा प्रबंधन की खूबियां पहलू और कमजोरी और अधिक योजना निर्माण की जरूरत सामने आई। इसके अलावा, इससे आपदा प्रबंधन के लिए तैयारी–संस्कृति को बढ़ावा मिला।

कश्मीर विश्वविद्यालय में शहरी भूकंप जोखिम न्यूनीकरण पर कार्यशाला

3.31 एन.डी.एम.ए. ने 13–15 अक्तूबर, 2012 को शहरी भूकंप जोखिम न्यूनीकरण पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और कश्मीर विश्वविद्यालय के सहयोग में श्रीनगर में एक संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला के दौरान जम्मू–कश्मीर के भूकंप जोखिम प्रशमन और असुरक्षितता के विषयों पर प्रशिक्षण देने के लिए एन.डी.एम.ए. द्वारा देश भर से बहुत से प्रख्यात वक्ताओं को कश्मीर विश्वविद्यालय में बुलाया गया था।

3.32 इस कार्यशाला में राज्य से लोगों की भारी संख्या ने हिस्सा लिया। राज्य सरकारी एजेंसियों, शिक्षा संस्थानों और नागरिक समाज से 300 से अधिक प्रतिभागियों ने तकनीकी सत्रों में भाग लिया।

3.33 आधे दिन के सत्र में शिक्षकों के साथ–साथ 2000 से अधिक स्कूली बच्चों ने भाग लिया। दो विषयगत फिल्में; वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद–राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (सी.एस.आई.आर.–एन.जी.आर.आई.) द्वारा "अर्थक्वेक्स एण्ड एसेन्शियल्स ऑफ सेफ्टी" और सूचना प्रौद्योगिकी, पूर्वानुमान और आकलन परिषद (टी.आई.एफ.ए.सी.) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा "अर्थक्वेक: नेचर्स फ्यूरी" प्रदर्शित की गई थीं। बच्चों का उत्साह और उनकी जिज्ञासा सराहनीय थी। फिल्मों के बाद प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया था। एन.डी.आर.एफ. द्वारा बच्चों के सामने जान बचाने के कौशलों (करतबों) पर सजीव प्रदर्शन किया गया।

एन.डी.आर.एफ. द्वारा दिए गए सजीव प्रदर्शन को देखते बच्चे

3.34 तीन–दिवसीय कार्यशाला सत्र में निम्नलिखित पर सूचना प्रदान की गई:

- पृथ्वी के व्यवहार के पीछे विज्ञान, जिनमें इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक समुदाय द्वारा एक साथ मिलकर भूकंप विज्ञान पर अधिकाधिक जानकारी हासिल करने के प्रयासों पर चर्चा की।
- कक्षा अध्ययनों अथवा कार्यशाला के जरिए हासिल ज्ञान पर आधारित लघु हस्तक्षेपों के माध्यम से बेहतर क्षमता निर्माण में शिक्षा और ज्ञान का महत्व।
- आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए जम्मू–कश्मीर सरकार के कार्यक्रम और प्रयास।
- जम्मू और कश्मीर राज्य को भूकंप के प्रति असुरक्षितता और इसके प्रभाव को कम करने के लिए अपनाए जाने वाले उपाय।
- इंजीनियरों और वास्तुकारों के लिए उचित लाइसेंस व्यवस्था वाली प्रौद्योगिकी की आवश्यकता।
- तकनीकी–कानूनी और तकनीकी–वित्तीय व्यवस्थाओं के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अनुकूल वातावरण के निर्माण की आवश्यकता।
- भूकंपरोधी निर्माण के लिए आधुनिक तकनीक के साथ पारंपरिक निर्माण प्रणाली की पुनःस्थापना।
- मजबूत ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी.पी.एस.) और भूकंप नेटवर्क के महत्त्व और लाभ।
- सी.एस.आई.आर. – एन.जी.आर.आई. की जम्मू–कश्मीर क्षेत्र में एक मजबूत जीपीएस और भूकंप नेटवर्क

स्थापित करने की योजनाएं जिससे इस क्षेत्र में भूकंप की प्रवृत्ति, संकुचन, अगले बड़े भूकंप के संभावित प्रदेश और आकार की स्थिति को समझने में मदद मिलेगी।

- अस्पताल संबंधी तैयारियां और मामलों का अध्ययन।

3.35 जम्मू–कश्मीर में भूकंप से निपटने के लिए बेहतर तरीकों के लिए "आगे की योजना (वे अहेड)" के संबंध में पैनल चर्चा के साथ यह कार्यशाला संपन्न हुई।

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन – भारत कार्यशाला 2012

3.36 होटल अशोक, नई दिल्ली में 8 नवंबर 2012 को "पूर्वी एशिया शिखर–सम्मेलन (ई.ए.एस.)–इंडिया वर्कशॉप 2012: बिल्डिंग ए रिजनल फ्रेमवर्क फोर अर्थक्वेक रिस्क मैनेजमेंट" के उद्घाटन सत्र के दौरान अपने प्रमुख भाषण में कहा, –परस्पर जुड़े एक विश्व में, एक देश की आपदा कई अन्य देशों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है – अलग–थलग रहने वाले देश प्रभावित नहीं होते। आपदा, राजनीतिक सीमाओं को नहीं पहचानती जैसा 2005 में जम्मू में भूकंप के दौरान देखा गया था, जब इसका प्रभाव केवल कश्मीर में ही नहीं बल्कि सीमा–पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और अफगानिस्तान में भी महसूस किया गया था। पूर्वी एशिया शिखर–सम्मेलन (ई.ए.एस.) एक ऐसा मंच है जिसे आरंभ में पूर्वी एशियाई प्रदेश के 16 देशों के नेताओं द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। 2011 में छठे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र और रूस के शामिल होने से इसकी सदस्यता बढ़कर 18 देशों की हो गई है।

3.37 केंद्रीय गृह मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे ने इस दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया और कामना की कि तकनीकी सत्रों के दौरान जानकारी साझा करने और विचारोत्तेजक चर्चाओं से भूकंप जोखिम प्रबंधन के लिए एक क्षेत्रीय रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी।

4 नीति, योजनाएं और दिशानिर्देश

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एन.पी.डी.एम.)

4.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एन.पी.डी.एम.) (18 जनवरी, 2010 को जारी) आपदाओं के तत्काल प्रबंधन के संबंध में पूर्ववर्ती कार्रवाई केंद्रित दृष्टिकोण के स्थान पर रोकथाम, तैयारी और प्रशमन के तरीके पर बल देते हुए आपदा के समग्र प्रबंधन दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन को दर्शाती है। यह नीति दस्तावेज सहभागिता की प्रक्रिया द्वारा तैयार किया गया है तथा इसमें विभिन्न हितधारकों के विस्तृत सुसंगत सुझावों और सिफारिशों को शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति की मुख्य बातें

4.2 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति में तीव्रता से कार्य करने में समर्थ बनाने वाला इस प्रकार का वातावरण तैयार करने का प्रयास किया गया जिसे राजनीतिक निकाय द्वारा संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है। जो इस प्रकार की आपदाओं, जिनसे अतीत में भारी जान–माल की क्षति हुई, तथा समाज की आर्थिक आधारशिला डगमगा गई, से निपटने में एक भिन्न दृष्टिकोण का शुभारंभ होना घोषित करती है। इसमें इस तथ्य को समझना भी इंगित है कि आपदाएं न केवल आर्थिक और विकासात्मक वृद्धि को ही अवरुद्ध करती हैं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के वातावरण को भी गंभीरता से प्रभावित करती हैं।

4.3 इस नीति दस्तावेज की केंद्रीय विषय–वस्तु का यह विश्वास होना है कि एक ऐसा आपदा समुत्थानशील समाज, जिसमें एक नवसृजित आपदा प्रबंधन संरचना मौजूद हो जो अनेक क्षेत्रों में तालमेल के साथ काम कर सके, राष्ट्रीय दूरदृष्टि (विजन) साकार करने में सहायक होगा। एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण आपदा प्रबंधन की दिशा में विकसित होगा जिसमें विभिन्न स्तरों पर रणनीतिपरक सहभागिता निर्मित करने पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति को समाविष्ट करने वाली विषय–वस्तु निम्न प्रकार से है :–

(i) सी.बी.डी.एम. (समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन) जिसके अंतर्गत नीति, योजनाओं और निष्पादन का लाभ सबके लिए शामिल हो (लास्ट माइल इंटीग्रेशन)।

(ii) सभी क्षेत्रों में क्षमता का विकास।

(iii) विगत पहलों और सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों का समेकन।

(iv) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर अभिकरणों का सहयोग।

(v) बहु–क्षेत्रीय तालमेल।

4.4 इस नीति दस्तावेज में संस्थागत, कानूनी और वित्तीय व्यवस्थाएं; आपदा रोकथाम, प्रशमन और तैयारी, प्रौद्योगिकीय–विधिक व्यवस्था, कार्रवाई, राहत और पुनर्वास, पुनर्निर्माण और पुनर्बहाली क्षमता विकास, ज्ञान प्रबंधन और शोध तथा विकास भी शामिल हैं। इसमें उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जहां कार्रवाई आवश्यक है तथा उस संस्थागत तंत्र पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है जिसके माध्यम से ऐसी कार्रवाई की जा सकती है।

4.5 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एन.पी.डी.एम.) का उद्देश्य सामुदायिक संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.), स्थानीय निकायों और सिविल सोसाइटी की संलिप्तता के माध्यम से आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति एक ऐसा आधारभूत दस्तावेज है जिस पर राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर दिशानिर्देश एवं योजनाएं आधारित होंगी।

राष्ट्रीय योजना

4.6 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के खण्ड 11 में प्रावधान है कि 'संपूर्ण देश के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना नामक एक योजना तैयार की जाएगी। राष्ट्रीय योजना राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा राष्ट्रीय नीति को ध्यान में रखते हुए और राज्य सरकारों तथा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञ निकायों या संगठनों के परामर्श से तैयार की जाएगी जिसका राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन किया जाएगा'। एन.डी.एम.ए. और एन.ई.सी. में विचार–विमर्श के पश्चात् यह

निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय योजना निम्नलिखित तीन खंडों में होंगी :–

- राष्ट्रीय कार्रवाई योजना जिसका विस्तार सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और संबद्ध अभिकरणों तक होगा जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की आपदाएं शामिल होंगी, यह गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की जाएगी। इस योजना को तैयार करने के लिए एन.ई.सी. द्वारा गृह मंत्रालय में एक अंतर मंत्रालयीन केंद्रीय दल पहले ही गठित किया जा चुका है।
- प्रशमन और तैयारी की योजना विनिर्दिष्ट आपदाओं को शामिल करते हुए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा अन्य अभिकरणों द्वारा तैयार की जाएगी।
- राष्ट्रीय मानव संसाधन तथा क्षमता निर्माण योजना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा तैयार की जाएगी जिसमें अनेक सेक्टरों/प्रसंग आधारित विषयों की प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण जरूरतों का समाधान किया जाएगा।

4.7 इन योजनाओं को बनाने के लिए दिशानिर्देश और प्ररूपों (फॉर्मेट) पर एन.डी.एम.ए. में विचार–विमर्श किया गया तथा उन्हें गृह मंत्रालय, संबंधित मंत्रालयों/विभागों एवं एन.आई.डी.एम. को अग्रेषित कर दिया जाएगा।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

4.8 राज्य सरकारें राज्य और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सुसंगत आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के उपबंध 1 अगस्त, 2007 से प्रवृत्त हैं। सभी 28 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में खबर है कि उन्होंने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुसार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित कर लिए हैं। कुछ राज्यों में, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का गठन कार्य पूरा नहीं हुआ है।

राज्य आपदा प्रबंधन योजनाएं (एस.डी.एम.पी.)

4.9 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के खण्ड 23 के अनुसार प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जिला प्रबंधन योजना तैयार की जानी अपेक्षित है। राज्य योजना राज्य कार्यकारिणी समिति (एस.ई.सी.) द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए गए दिशानिर्देशों को ध्यान में रखकर तथा स्थानीय प्राधिकरणों, जिला प्राधिकरणों और जन प्रतिनिधियों से ऐसा परामर्श करके जो राज्य कार्यकारिणी समिति ठीक समझे, तैयार की जाएगी। राज्य योजना राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एस.डी.एम.ए.) द्वारा अनुमोदित की जाएगी। उसकी हर वर्ष समीक्षा की जाएगी और उसे अद्यतन किया जाएगा। एन.डी.एम.ए. ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के खण्ड 6 (2) (घ) के अनुसार जुलाई, 2007 में राज्य आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी के लिए दिशानिर्देश जारी किए। एन.डी.एम.ए. ने पूरी सक्रियता से कार्रवाई करते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नीचे दर्शाए गए रूप में उनकी आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने में समर्थ बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2009–2010 में वित्तीय सहायता सुलभ कराने के लिए "आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने की स्कीम" की युक्ति बनाई :–

श्रेणी I (10,62,500/–रुपए की सहायता)	श्रेणी II (8,62,500/–रुपए की सहायता)
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार, पुडुचेरी	छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, चण्डीगढ़, दमन एवं दीव, दादरा एवं नागर हवेली, लक्षद्वीप

4.10 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से नियमित रूप से संपर्क बनाए रखे हुए है तथा उन्हें नियमित कार्यशालाओं, समीक्षा बैठकों और वीडियो सम्मेलनों के माध्यम से राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी पर सलाह दे रहा है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं की तैयारी विभिन्न चरणों में है।

राज्य आपदा प्रबंधन योजना की प्रास्थिति

श्रेणी	एस.डी.एम.पी. की प्रस्थिति	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम
क	तैयार (फाइनल) एस.डी. एम. पी.	**राज्य** 1. अरुणाचल प्रदेश 2. असम 3. गोवा 4. गुजरात 5. हिमाचल प्रदेश 6. नगालैण्ड 7. पश्चिम बंगाल
ख	मसौदा एस. डी. एम. पी.	**राज्य** 1. आंध्र प्रदेश 2. छत्तीसगढ़ 3. झारखंड 4. कर्नाटक 5. मिजोरम 6. पंजाब 7. राजस्थान 8. सिक्किम 9. तमिलनाडु 10. त्रिपुरा 11. उत्तर प्रदेश
ग	तैयार नहीं	1. बिहार 2. हरियाणा 3. जम्मू एवं कश्मीर 4. केरल 5. मध्य प्रदेश 6. महाराष्ट्र 7. मणिपुर 8. मेघालय 9. ओडिशा 10. उत्तराखंड
		संघ राज्य क्षेत्र 11. अंडमान एवं निकोबार द्वीप–समूह 12. चंडीगढ़ 13. दादरा एवं नागर हवेली 14. दमन एवं दीव 15. दिल्ली 16. लक्षद्वीप 17. पुडुचेरी

दिशानिर्देश

4.11 उद्देश्यों को योजनाओं में रूपांतरित करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने विभिन्न (प्रशासनिक, अकादमिक, वैज्ञानिक और तकनीकी) संस्थाओं, जो राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर काम कर रही हैं, की मदद से अनेक प्रयासों को शामिल करते हुए मिशन–आधारित दृष्टिकोण को अपनाया है। नीति के रूप में, केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्यों को, अन्य सभी हितधारकों के अलावा, दिशानिर्देश बनाने में शामिल किया गया है। ये दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट आपदाओं और प्रसंगों पर आधारित होंगे (जैसे

दिशानिर्देश तैयार करने की प्रक्रिया

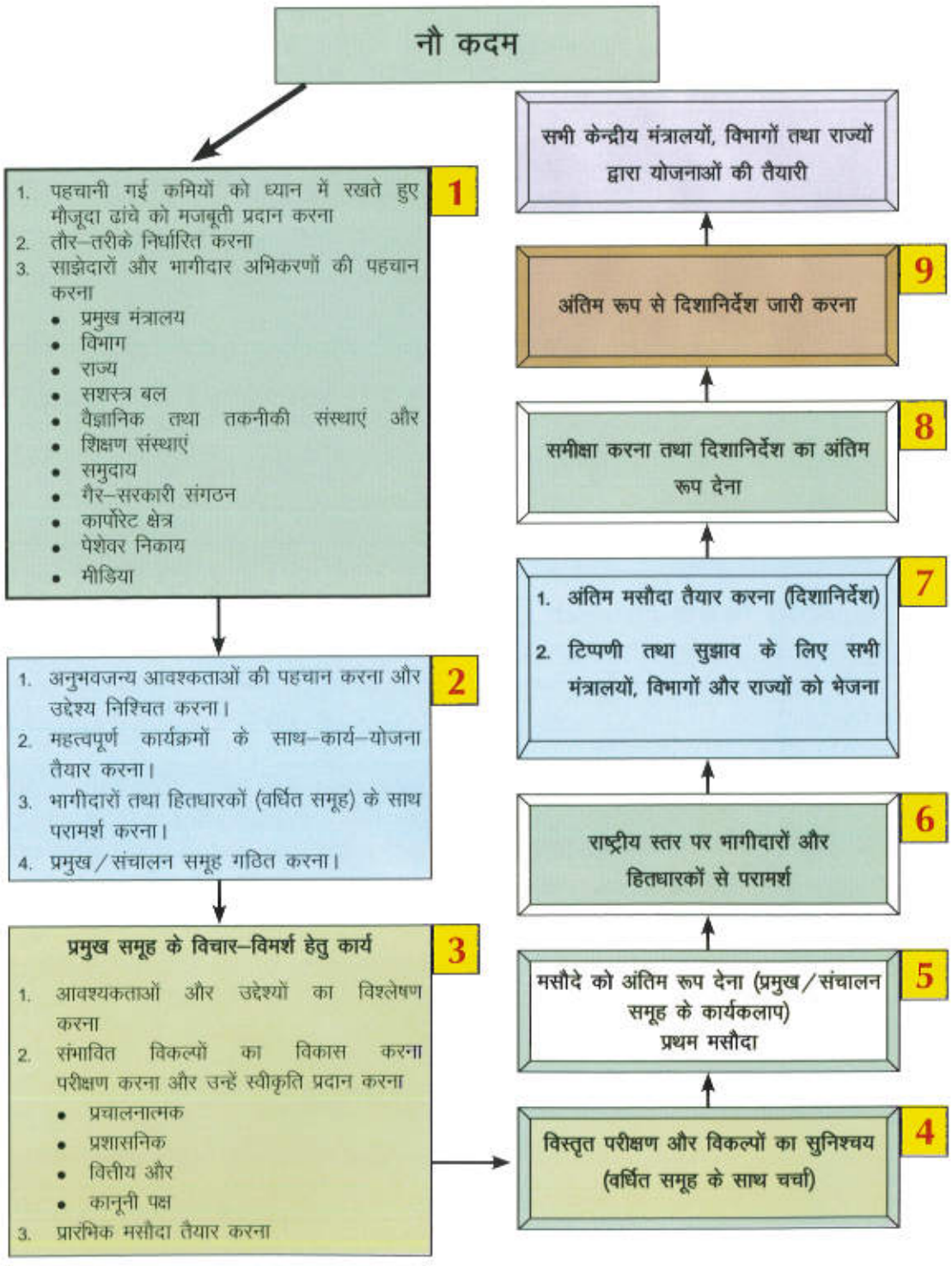

चित्र 4.1

क्षमता विकास और जन जागरुकता) जो योजनाओं की तैयारी का आधार बनेंगे। इन दिशानिर्देशों की तैयारी में विषय की जटिलता पर निर्भर करते हुए 12 से 18 मास का न्यूनतम समय लगा। दिशानिर्देश बनाने में अपनाए गए दृष्टिकोण में भागीदारों के साथ सहभागिता और परामर्श प्रक्रिया के नौ चरण शामिल हैं, जैसाकि चित्र 4.1 में दर्शाया गया है।

4.12 इस प्रक्रिया में निम्नलिखित कदम शामिल हैं :

- केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों, वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं आदि सहित विभिन्न अभिकरणों द्वारा अब तक किए गए कार्यों/उपायों के आपदावार किए गए अध्ययनों की त्वरित समीक्षा।
- प्रचालनात्मक, प्रशासनिक, वित्तीय और विधिक मुद्दों से संबंधित शेष कार्यों की पहचान।
- गंतव्य कार्य योजना तैयार करना, जिसमें सुगम मानीटर करने को सुकर बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों को उचित प्रकार से दर्शाया गया हो।
- उद्देश्यों और लक्ष्यों के रूप में, अल्पावधि एवं दीर्घावधि में गंतव्य की पहचान जिनकी विधिवत् प्राथमिकता महत्त्वपूर्ण, अनिवार्य और ऐच्छिक रूप में दर्शाकर हासिल की जाएं।
- चार महत्त्वपूर्ण प्रश्नों, अर्थात् क्या किया जाना है? किस प्रकार किया जाना है? कौन करेगा? और कब तक किया जाना है?, के उत्तर दिए जाएं।
- एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया जाए, जो इस कार्य योजना के प्रचालनीकरण की देखभाल करे।

4.13 एन.डी.एम.ए. द्वारा पिछले वर्षों के दौरान निम्नलिखित दिशानिर्देश तथा अन्य रिपोर्टें जारी किए गए –

एन.डी.एम.ए. द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों की सूची

क्रम सं.	विवरण
1.	भूकंप
2.	सुनामी
3.	चक्रवात
4.	बाढ़
5.	शहरी बाढ़
6.	सूखा
7.	भूस्खलन
8.	नाभिकीय और विकिरणकीय आपातस्थितियां
9.	रासायनिक आपदा (औद्योगिक)
10.	रासायनिक (आतंकवाद) आपदा
11.	चिकित्सा तैयारी एवं बड़ी दुर्घटना का प्रबंधन
12.	जैव आपदा
13.	मनो–सामाजिक सहायता
14.	राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं का प्रतिपादन
15.	घटना कार्रवाई प्रणाली
16.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना और संचार प्रणाली
17.	अग्निशमन सेवाओं का स्तर निर्धारण, उपस्कर की किस्म और प्रशिक्षण

अन्य उपलब्ध रिपोर्टों की सूची

क्रम सं.	विवरण
1.	नागरिक सुरक्षा का पुनर्गठन
2.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) की कार्यप्रणाली
3.	स्वास्थ्य से परे विश्वव्यापी महामारी
4.	पी.ओ.एल. टैंकरों के परिवहन हेतु सुरक्षा और सावधानी का सुदृढ़ीकरण
5.	नगर जलापूर्ति और जलाशयों के संकट
6.	आपदा के कारण मृत हुए लोगों के शवों का प्रबंधन कार्य
7.	आपदा के प्रति कार्रवाई हेतु प्रशिक्षण प्रणाली
8.	नागरिक सुरक्षा तथा संबद्ध संगठनों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण हेतु पुस्तिका: भाग I एवं II

वर्ष 2012–13 के दौरान तैयार और जारी किए गए दिशानिर्देश तथा अन्य रिपोर्टें

4.14 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रिपोर्ट की अवधि के दौरान निम्नलिखित दिशानिर्देश और रिपोर्टें जारी की हैं :–

अग्निशमन सेवाओं के स्तर निर्धारण, उपस्कर की किस्म और प्रशिक्षण पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों और नागरिक सुरक्षा तथा संबद्ध संगठनों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण हेतु पुस्तिका का विमोचन।

4.15 श्री एम. शशिधर रेड्डी, उपाध्यक्ष एन.डी.एम.ए. ने 13 अप्रैल, 2012 को अग्निशमन सेवाओं के स्तर निर्धारण, उपस्कर की किस्म और प्रशिक्षण पर राष्ट्रीय आपदा प्रबधन दिशानिर्देशों का विमोचन किया। इस अवसर पर, उन्होंने इंगित किया कि स्थायी अग्निशमन सलाहकार समिति के अनुसार निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर हमारे देश में अग्निशमन केंद्र के संबंध में 97.54%, आग बुझाने तथा अग्नि बचाव वाहनों के संबंध में 80.04% और अग्निशमन कार्मिकों की 96.28% कमी है जो सबके लिए बड़ी चिंता का विषय है। दिशानिर्देशों में अग्निशमन सेवाओं के स्तर निर्धारण, उपस्कर की किस्म और प्रशिक्षण के संबंध में अग्निशमन सेवाओं के पुनर्गठन के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। राज्यों को एन.डी.एम.ए. द्वारा किए गए उल्लिखित प्रयासों से लाभ मिलेगा। इन अग्निशमन सेवाओं के स्तर निर्धारण, उपस्कर की किस्म और प्रशिक्षण के दिशानिर्देशों के अलावा श्री रेड्डी ने नागरिक सुरक्षा तथा संबद्ध संगठनों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण हेतु पुस्तिका का भी विमोचन किया।

4.16 इन कमियों को ध्यान में रखकर, एन.डी.एम.ए. ने अग्निशमन सेवाओं की पुनर्संरचना के लिए निधियों के आवंटन हेतु 13वें वित्त आयोग के पास जोरदार दलील पेश की है। इसके प्रत्युत्तर में वित्त आयोग ने उन राज्यों, जिन्होंने आयोग के पास विशिष्ट प्रस्ताव भेजे थे, को विशेष तौर पर अनुदान सहायता आवंटित की है। इसके अलावा, 13वें वित्त आयोग ने, 12वें वित्त आयोग द्वारा किए गए आवंटन की तुलना में, स्थानीय निकायों को देने वाले अनुदानों को दोगुना कर दिया है। लगभग 15,000 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं, जिनमें से कुल 23,000 करोड़ रु. एक प्रत्यक्ष अनुदान तथा शेष 8,000 करोड़ रु. एक कार्य–निष्पादन अनुदान के रूप में, आठ शर्तों के अनुपालन के अधीन, उपलब्ध कराए जाने हैं। इनमें से एक शर्त यह है कि 10 लाख से अधिक की आबादी वाले सभी नगर निगमों द्वारा अपने संबंधित कार्य क्षेत्र के लिए एक अग्नि खतरा बचाव कार्रवाई और प्रशमन योजना का होना आवश्यक है।

अस्पताल सुरक्षा पर राष्ट्रीय नीति दिशानिर्देशों को बनाने की तैयारी

4.17 भुज भूकंप में सिविल अस्पताल का ढहना (2001), अहमदाबाद सिविल अस्पताल में आतंकवादी हमला (2008), लेह में बादल फटने के दौरान लेह सिविल अस्पताल का ढहना (2010), और ए.एम.आर.आई. अस्पताल, कोलकाता में आग का लगना (2011) ऐसी घटनाएं हैं जिनमें बड़ी संख्या में मौतें हुई और लोग घायल हुए और इनसे न केवल हमारे अस्पतालों की आपदाओं/आपातस्थितियों के दौरान असुरक्षितता फोकस में आई बल्कि पर्याप्त क्षमताओं, योजना और तैयारी का भी अभाव दिखा। अतः एन.डी.एम.ए. फिलहाल अस्पताल सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय नीति दिशानिर्देश तैयार करने में लगा है। व्यापक उद्देश्य अस्पताल सुरक्षा और ऑन–साइट आपातस्थितियों से निपटने, खामियों की पहचान, मौजूदा कोडों तथा अन्य कानूनी प्रावधानों की समीक्षा तथा ऐसे माहौलों में सभी सुरक्षा मानकों की बेहतर मॉनीटरिंग और पर्यवेक्षण हेतु कदम उठाने की सिफारिश करने के लिए नीति दिशानिर्देशों को तैयार करना है।

आपदा राहत हेतु न्यूनतम मानकों पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का प्रतिपादन

4.18 आपदा राहत के दौरान सुरक्षित भोजन, साफ पानी, उचित साफ–सफाई की व्यवस्था आपदा पीड़ितों के अच्छे स्वास्थ्य और किसी संक्रामक बीमारी से बचने के लिए परम महत्त्व है। विशेषज्ञों की एक विचारोत्तेजक बैठक का आपदा राहत हेतु जल, भोजन चिकित्सा कवर, साफ–सफाई तथा आश्रय के न्यूनतम मानक पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के प्रतिपादन के लिए आयोजन किया गया। विधवाओं तथा अनाथ बच्चों के लिए, उनकी विशेष समस्याओं एवं असुरक्षितता को ध्यान में रखकर, विशेष व्यवस्था करने पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं बाल मंत्रालय, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, राष्ट्रीय मनोचिकित्सा एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस), राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जे.एन.यू.), रक्षा मंत्रालय, रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला, डी.जी.ए.एफ.एम.एस., एसओएस बाल ग्राम, यूनिसेफ, स्फिअर इंडिया और इस क्षेत्र में कार्यरत अन्य संगठनों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। सभी विशेषज्ञों से उनके विचारों को जानने के लिए एक मसौदा पत्र परिचालित किया गया है। अतिरिक्त विचार–विमर्श और मसौदा को अंतिम रूप देने (फाइनल करने) के लिए उनके विचारों (इनपुट्स) को दिशानिर्देश के दस्तावेज में शामिल किया जाएगा।

समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति दिशानिर्देश

4.19 एन.डी.एम.ए. का मानना है कि देश में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के पर्याप्त समाधान हेतु सभी स्तरों पर समुदाय जोखिम समुत्थानशीलता की मजबूती के संबंध में प्रयासों में निवेश करना उपयुक्त होगा। चूंकि समुदाय प्रथम प्रतिक्रियादाता की भूमिका अदा करता है, इसलिए यह महत्त्वपूर्ण है कि समुदाय स्तर पर, विशेषतः देश के अति संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले अति असुरक्षित समुदायों के वर्गों के बीच, पर्याप्त जागरुकता और तैयारी है। अतः सी.बी.डी.एम. पर राष्ट्रीय नीति दिशानिर्देशों के प्रतिपादन की प्रक्रिया एन.डी.एम.ए. द्वारा प्रारंभ की जा चुकी है। इन दिशानिर्देशों में सामुदायिक संगठन और संलिप्तता हेतु मौजूदा प्रक्रमों को मजबूत करने और आपदा प्रबंधन के सभी चरणों में समुदायों की भूमिका को परिभाषित किया जाएगा। दिशानिर्देशों में कतिपय मुख्य कार्य–बिंदु और एस.ओ.पी. को निर्दिष्ट किया जाएगा जो समुदायों को अपनी संबंधित भूमिकाओं को निभाने में समर्थ बनाएगा और क्षमता निर्माण के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा जिससे जोखिम समुत्थानशील समुदायों का निर्माण और बेहतर रणनीति की पुनर्बहाली नीति (बिल्ड बैक बैटर स्ट्रेटजी) को अपनाना सुकर होगा।

5 क्षमता विकास

प्रस्तावना

5.1 क्षमता विकास के रणनीतिक तरीके पर हितधारकों की सक्रिय और उत्साहवर्धक सहभागिता से ही कारगर ढंग से काम किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में जागरुकता सृजन अभियान चलाना, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास (आर.एंड.डी.) आदि शामिल हैं। इसमें समुचित संस्थागत रूपरेखा, प्रबंधन प्रणालियां और आपदाओं का कारगर निवारण तथा निपटने के लिए संसाधनों के आबंटन करना भी शामिल है।

5.2 क्षमता विकास के तरीके में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- प्रादेशिक विविधता और बहु–संकटीय संवेदनशीलताओं की दृष्टि से उनकी विनिर्दिष्ट जरूरतों के लिए, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियां विकसित करने के लिए, प्रशिक्षण को प्राथमिकता देना।
- राज्यों और अन्य हितधारकों के सहयोग से, जिसमें राज्य और स्थानीय स्तर के प्राधिकारी कार्यान्वयन प्रभारी हों, परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियों की अवधारणा बनाना।
- बेहतर कार्य–निष्पादन के रिकॉर्ड वाली ज्ञान–आधारित संस्थानों की पहचान करना।
- अंतरराष्ट्रीय और प्रादेशिक सहयोग को बढ़ावा देना।
- पारंपरिक और संसार की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों को अपनाना।
- योजनाओं को परखने के लिए टेबल टॉप अभ्यासों, अनुरूपणों (सिमुलेशंस), मॉक ड्रिलों तथा कौशल विकास पर जोर देना।
- राज्य/जिला/स्थानीय स्तरों पर विभिन्न आपदा कार्रवाई दलों का क्षमता विश्लेषण।

इग्नू की सहभागिता में पंचायती राज संस्थाएं (पी.आर.आई.) और शहरी स्थानीय निकाय (यू.एल.बी.) के क्षमता निर्माण पर प्रायोगिक (पायलट) परियोजना

5.3 इस वर्ष के दौरान एक प्रमुख कार्यकलाप 11 संकट प्रवण राज्यों अर्थात्– महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, उड़ीसा और गुजरात, के 54 जिलों में जिला स्तर पर सरकारी अधिकारियों, पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों में संयुक्त रूप से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के सहयोग से आपदा प्रबंधन में क्षमता निर्माण पर प्रायोगिक परियोजना शुरू करने की पहल करना था।

5.4 क्षमता विकास हेतु पहचान किए गए (निर्धारित) राज्य और जिले ये हैं :

- आंध्र प्रदेश – अनंतपुर, महबूब नगर, श्रीकाकुलम, नैल्लोर, प्रकाशम।
- असम–धेमाजी, लखीमपुर, बारपेटा, धुबरी, कछार।
- बिहार–सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, सुपौल, मधेपुरा।
- हरियाणा – गुड़गांव, पानीपत, अम्बाला, यमुना नगर, रोहतक।
- हिमाचल प्रदेश – कुल्लू, किन्नौर, चम्बा, कांगड़ा, मनाली।
- केरल–इडुक्की, वायानाड, मलप्पुरम, एर्नाकुलम ओर पलक्काड़।
- महाराष्ट्र – नाशिक, रायगढ़, ठाणे, पुणे, सतारा।
- उड़ीसा–गंजम, भद्रक, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, बालासौर।
- त्रिपुरा – उत्तरी त्रिपुरा, दक्षिणी त्रिपुरा, पूर्वी त्रिपुरा (ढलाई), पश्चिम त्रिपुरा।
- उत्तराखंड – बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुदप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी।

- पश्चिम बंगाल – बांकुरा, दक्षिणी दीनाजपुर, मुर्शिदाबाद, बुर्दवान, पूर्वी मेदिनीपुर।

5.5 कुल मिलाकर, 16,479 भागीदारों की लक्षित संख्या में से 16,200 भागीदारों ने एफ.एफ.टी.पी. में भाग लिया। इग्नू ने मसौदा रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी है जो अंतिम मुद्रण (फाइनल प्रिंटिंग) हेतु प्रक्रियाधीन है।

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एल.बी.एस.एन.ए.ए.) में आपदा प्रबंधन केन्द्र में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.)/केन्द्रीय सेवा के क्षमता निर्माण हेतु वृहत्तर परियोजना।

5.6 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन सेंटर, एन.आई.ए.आर. और एल.बी.एस.एन.ए.ए., मसूरी के सहयोग से लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में आपदा प्रबंधन सेंटर में एल.बी.एस.एन.ए.ए.में आई.ए.एस. और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या (रिफ्रेशर) एवं उन्नयनकारी (ओरियंटेशन) कार्यक्रम में नियमित नवीनताओं के साथ आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने हेतु आई.ए.एस./केन्द्रीय सेवा के क्षमता निर्माण हेतु एक वृहत्त योजना शुरू की है। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी अधिकारी, जिन्हें जिला कलक्टरों के रूप में तैनात किया जा सकता है, डी.एम. में न्यूनतम स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डी.आर.आर.) संबंधी नीति विकल्पों के बारे में जागरुकता पर फोकस होगा। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी ने आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों/मॉड्यूलों में भाग लेने वाले 1048 भागीदारों को दर्शाते हुए मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

अन्य पहलें

5.7 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने विभिन्न संगठनों जैसे कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ (फिक्की), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), आई.आई.टी., भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) आदि द्वारा आयोजित अनेक डी.एम. से संबंधित घटनाओं के संचालन को सुकर बनाया है। इनमें से कई घटनाएं अन्तर्राष्ट्रीय आपातकालीन औषधीय सम्मेलन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सेमिनार, रसायन, पेट्रो–कैमिकल्स में आपातकालीन योजना एवं आपदा प्रबंधन; आदि के संबंध में थीं। वर्ष 2012–13 के दौरान कुल 17 सेमिनार/संगोष्ठियां आयोजित की गई थीं।

5.8 सरकारी अधिकारियों, उद्योगों, अन्य हितधारकों में समुदाय तक पहुंच बनाने के लिए तैयारी–संस्कृति का भाव पैदा करने के लिए देश भर में विभिन्न प्रकार की आपदाओं अर्थात् भूकंप, तूफान, बाढ़, अग्नि एवं रसायन (औद्योगिक) आपदाओं, आदि पर कई टेबल टॉप एवं कृत्रिम अभ्यास शुरू किए गए हैं। क्षमता विकास कार्यक्रम भी (कृत्रिम, टेबलटॉप और आई.आर.एस.) पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और चण्डीगढ़ के 16 डिवीजनों में आयोजित किए गए थे। वर्ष के दौरान ऐसे कुल 47 अभ्यास संचालित किए गए थे।

5.9 पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ–साथ गोरखपुर के विभिन्न जिला मुख्यालयों में जे.ई./ए.ई.एस. के संबंध में सामाजिक एकजुटता/जागरुकता के लिए मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की पहल के अनुसार शुरू किए गए थे।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय एवं नाभिकीय (सी.बी.आर.एन.) आपातस्थितियों पर फोकस के साथ क्षमता निर्माण प्रयास।

विकिरण पर्यावरण मूल्यांकन, माप एवं इसके प्रभाव पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन (रेडएनवायरेन–2012)

5.10 विकिरण पर्यावरण मूल्यांकन, माप एवं इसके प्रभाव (रेडएनवायरेन–2012) पर लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 12.04.2012 को अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। अपने मुख्य संबोधन में मेजर जनरल (डॉ.) जे. के. बंसल ने सभा को सूचित किया कि आज के औद्योगिक क्रांति के माहौल में रेडियोन्यूक्लाइड को खाद्य सामग्री को रोगाणुमुक्त बनाने, स्टेरलाइजिंग चिकित्सा उपकरण, तेल एवं संवेदनशील धुआं खोज–यंत्रों में इस्तेमाल किया जाता है, नाभिकीय सामग्री को भी रोग निदान एवं रोगों के उपचार में, कृषि उपज में सुधार लाने, बिजली पैदा करने तथा वैज्ञानिक जानकारी बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है। विकिरण के स्रोतों का अनुप्रयोग प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और तदन्तर नाभिकीय दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ रही है। उन्होंने 1986 में चर्नोबिल 1 नाभिकीय रिएक्टर दुर्घटना और फुकुशिमा नाभिकीय संयंत्र दुर्घटना, 2011 का उदाहरण दिया। डर्टी बम भी विकिरण पैदा कर सकता है। डर्टी बम/सूटकेस न्यूक का आंतकियों द्वारा इस बात में फायदा लिया जाता है कि आतंकवाद, राज्य प्रायोजित एक व्यापक कार्यकलाप है और आतंकवादियों को शत्रु राज्यों से वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्राप्त होती है। इसलिए बम/सूटकेस न्यूक के ब्यौरों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। उन्होंने उल्लेख किया कि परिदृश्य चाहे जो भी हो, नाभिकीय एजेंट की विनाशक शक्ति विशाल होती है। इसमें मानव एवं अन्य जीवित प्राणियों, पेड़–पौधों, जीव–जन्तुओं एवं वायु, जल एवं मृदा सहित पर्यावरण का जबरदस्त नुकसान होगा। बेहतर

निवारक प्रयासों के होते हुए भी नाभिकीय होगा। नाभिकीय आपदा की संभावना को पूरी तरह से दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए, नाभिकीय आपातस्थितियों का सामना करने के लिए तैयारी पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना रूपरेखा के महत्वपूर्ण भाग के रूप में विचार किया जाना चाहिए। आपातकालीन कार्रवाई योजनाओं को सभी स्तरों पर अर्थात् सामुदायिक, जिला, राज्यों एवं राष्ट्र स्तर पर पूर्णतया तैयार किया जाना चाहिए।

संसद भवन परिसर (पी.एच.सी.) के सुरक्षा कर्मचारियों के लिए सी.बी.आर.एन. आपातकालीनस्थितियों से निपटने के लिए सी.बी.आर.एन. सुरक्षा एवं तैयारी पर छठा प्रशिक्षण कार्यक्रम।

5.11 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 13 और 14 जून, 2012 को संसद भवन परिसर (पी.एच.सी.) के सुरक्षा कर्मचारियों के लिए सी.बी.आर.एन. आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए सी.बी.आर.एन. सुरक्षा एवं तैयारी का छठा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपाध्यक्ष, श्री शशिधर रेड्डी, एन.डी.एम.ए. द्वारा किया गया था। अपने उद्घाटन भाषण में उपाध्यक्ष ने पी.एच.सी. के सी.बी.आर.एन. सुरक्षा की जरूरत पर जोर दिया और एन.डी.एम.ए. के नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम करने की प्रतिबद्धता को दोहराया।

5.12 सी.बी.आर.एन. प्रशिक्षण कार्यक्रम का अवलोकन करते हुए मेजर जनरल (डॉ.) जे. के. बंसल, सदस्य, एन.डी.एम.ए., ने सी.बी.आर.एन. सुरक्षा, जांच एवं विसंदूषण उपकरण के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। लगभग 70 भागीदारों ने कार्यक्रम में भाग लिया। सी.बी.आर.एन. के विशेषज्ञों को एन.डी.एम.ए., रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बी.ए.आर.सी.) आदि से आमंत्रित किया गया था।

एन.डी.आर.एफ. के चिकित्सा अधिकारियों के लिए सी.बी.आर.एन. प्रशिक्षण कार्यक्रम

5.13 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 31 जुलाई से 02 अगस्त, 2012 तक सी.बी.आर.एन. परिदृश्य में आपातकालीन चिकित्सा कार्रवाई पर एन.डी.आर.एफ. के चिकित्सा डॉक्टर और पैरा मेडिक्स स्टाफ का तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया। इसमें 4 सी.बी.आर.एन. प्रशिक्षित एन.डी.आर.एफ. बटालियन हैं। एन.डी.आर.एफ. ने मायापुरी विकिरण दुर्घटना, मुम्बई पोर्ट क्लोरीन रिसाव और गाजियाबाद के पास पाए गए खतरनाक रसायन को कारगर रूप से व्यवस्थित किया था। श्री एम. शशिधर रेड्डी, उपाध्यक्ष, एन.डी.एम.ए. के एन.डी.आर.एफ. के डॉक्टरों एवं पैरा मेडिक्स स्टाफ के लिए शुरू किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए सी.बी.आर.एन. दुर्घटनाओं में उपचार की विशेष चिकित्सा सुविधाएं एवं विशेषज्ञता की जरूरत पर जोर दिया है। श्री के. एम. सिंह, सदस्य, एन.डी.एम.ए. ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि सभी भागीदारों को देश के अलग–अलग भाग में स्थित सभी सी.बी.आर.एन. बटालियनों से बुलाया गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुरक्षा, जांच एवं विसंदूषण हेतु अपेक्षित सी.बी.आर.एन. उपकरण के व्याख्यान एवं व्यावहारिक प्रदर्शन को शामिल किया गया। किसी सी.बी.आर.एन. संभावित घटना की स्थिति में चिकित्सा कार्रवाई हेतु सभी डॉक्टरों एवं पैरा मेडिक्स कर्मचारियों को तैयार रखने के लिए मॉक ड्रिल भी शुरू किया गया था। मुख्य संबोधन करते समय, मेजर जनरल (डॉ.) जे. के. बंसल, सदस्य, एन.डी.एम.ए. ने दुर्घटना स्थान पर मामले को कैसे संभाला जाए और विसंदूषण को कैसे ठीक किया जाए, के संबंध में कार्यप्रणाली को स्पष्ट किया। सुरक्षा उपकरण, जैसे कि फेस मॉस्क, दस्ताने एवं बूट के इस्तेमाल को प्रदर्शित किया गया। विकिरण के साथ–साथ रासायनिक एजेंटों की मॉनीटरिंग को पाठ्यक्रम के दौरान पूरी तरह शामिल किया गया था। विशेष जांच, जैसे कि रेडियो

बॉयो–डोजीमेटरी, विकिरण हेतु डि–कॉरपोरेशन ड्रग्स के इस्तेमाल एवं खतरनाक रसायनों के लिए एन्टीडॉट्स पर भी कार्यक्रम के दौरान चर्चा की गई थी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, डी.आर.डी.ओ., सशस्त्र बलों, बी.ए.आर.सी., एपेक्स ट्रॉमा सेंटर, एम्स एवं दिल्ली अग्निशमन सेवा से सैद्धान्तिक व्याख्यानों के लिए विशेषज्ञों एवं संकाय सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। सभी व्याख्यान व्यावहारिक प्रदर्शन के साथ थे ताकि व्याख्यानों के दौरान प्राप्त सैद्धान्तिक जानकारी को व्यावहारिक प्रदर्शन (प्रैक्टिकल डिमांस्ट्रेशन) के दौरान प्रयोग किया जा सके।

सी.बी.आर.एन. सुरक्षा, रोकथाम, प्रशमन एवं तैयारी

5.14 मेजर जनरल (डॉ.) जे. के. बंसल, सदस्य, एन.डी.एम.ए. ने महानिदेशक, पुलिस, चण्डीगढ़ के साथ चण्डीगढ़ शहर की पुलिस बल को प्रशिक्षण देने के लिए सी.बी.आर.एन. परिदृश्य के प्रत्युत्तर में सी.बी.आर.एन. सुरक्षा, निवारण, प्रशमन एवं तैयारी के संबंध में एक बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान, जैव विज्ञान एजेंटों का पता लगाने के लिए सी.बी.आर.एन. संरक्षात्मक उपकरण जैसे कि फेस मास्क, दस्ताने, कैमिकल मानीटरिंग, विकिरण मीटर एवं फील्ड किट्स के प्रापण पर चर्चा की गई थी।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किसी पुलिस मुख्यालय में सी.बी.आर.एन. सेमिनार

5.15 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 27 सितम्बर, 2012 को पुलिस मुख्यालय में दिल्ली पुलिस के लिए "सी.बी.आर.एन. परिदृश्य रोकथाम एवं प्रशमन पर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया। "सी.बी.आर.एन. परिदृश्य का अवलोकन" पर मुख्य भाषण मेजर जनरल (डॉ.) जे. के. बंसल, सदस्य, एन.डी.एम.ए. द्वारा दिया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि सी.बी.आर.एन. एजेंटों का कैसे पता लगाया जा सकता है; फेस मास्क, दस्तानों, बूट एवं विसंदूषण जैसे संरक्षात्मक उपकरण का प्रयोग कैसे किया जाता है। उन्होंने सी.बी.आर.एन. चोटों के उपचार के बारे में चर्चा की, जिसमें विशेष जांच, जैसे कि रेडियो–बॉयो–डोजीमेटरी, खतरनाक रसायनों के लिए विकिरण एवं एन्टीडॉट्स के लिए डि–कारपोरेशन ड्रग्स का इस्तेमाल शामिल है। कार्यक्रम में श्री नीरज कुमार, पुलिस आयुक्त सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की जागरुकता एवं सुग्राहीकरण हेतु बहुत उपयोगी था, जिसने सभी पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए कार्ययोजना हेतु एक रास्ता तैयार किया जिससे कि वे ऐसी किसी संभाव्य घटना से निपटने में सक्षम हो सकेंगे। विशेषज्ञ संकाय सदस्य को डी.आर.डी.ओ. और इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलिरेटर सेंटर (आई.यू.ए.सी.) से आमंत्रित किया गया था। सैद्धान्तिक व्याख्यानों के साथ डी.आर.डी.ओ. द्वारा सी.बी.आर.एन. उपकरण का व्यावहारिक प्रदर्शन किया गया था। सी.बी.आर.एन. उपकरण एवं विकिरण की मॉनीटरिंग के साथ–साथ रासायनिक एजेंटों को रक्षा अनुसंधान विकास स्थापना (डी.आर.डी.ई.) द्वारा प्रदर्शित किया गया था। प्रस्ताव किया गया था कि ऐसे प्रशिक्षणों को सतत् जारी रहना चाहिए; जहां कई पुलिस अधिकारियों एवं अन्य कार्मिकों को प्रशिक्षित किए जाने की जरूरत है और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों को नियमित रूप से संचालित किए जाने की जरूरत है। दिल्ली पुलिस को भी ऐसी संभावित घटनाओं को तत्काल एवं कारगर तरीके में निपटाने के लिए सी.बी.आर.एन. उपकरण से सुसज्जित किए जाने की जरूरत है।

विकिरणकीय एवं नाभिकीय आपातस्थितियां : निपटने की तैयारी एवं बचाव उपाय

5.16 22 नवम्बर, 2012 को मेजर जनरल (डॉ.) जे. के. बंसल, वी.एस.एम., सदस्य, एन.डी.एम.ए. ने "विकिरण विज्ञान एवं नाभिकीय आपातकालीन स्थितियों; तैयारी एवं बचाव उपाय" पर सत्र की अध्यक्षता की। मुम्बई में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय विकिरण विज्ञान सम्मेलन के दौरान नाभिकीय कैंसर संस्थान, यू.एस.ए. से डॉ. नॉर्मन कोलमैन द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया था। प्रारंभिक टिप्पणियों में सदस्य, एन.डी.एम.ए. ने नाभिकीय दुर्घटनाओं से निपटने एवं विकिरण के जख्मों के उपचार के लिए चिकित्सा सुविधाओं के सृजन हेतु चिकित्सा डॉक्टरों के प्रशिक्षण की जरूरत पर प्रकाश डाला।

जैव आतंकवाद निवारण एवं प्रशमन में पुलिस एवं सुरक्षा बलों में क्षमता निर्माण

5.17 29 नवम्बर, 2012 को "जैव आतंकवाद निवारण एवं प्रशमन में पुलिस एवं सुरक्षा बल में क्षमता निर्माण" पर कार्यदल की बैठक मेजर जनरल (डॉ.) जे.के. बंसल, सदस्य, एन.डी.एम.ए. की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में गृह मंत्रालय केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.), आसूचना ब्यूरो (आई.बी.), एन.डी.आर.एफ., पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी.पी.आर.डी.), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन.आई.ए.), डी.आर.डी.ओ., पशुपालन डेरी एवं मत्स्य पालन विभाग (डी.ए.एच.डी.एफ.), दिल्ली जल बोर्ड (डी.जे.बी.) तथा जैव प्रौद्योगिकी स्कूल, जे.एन.यू. से प्रतिनिधियों एवं विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस बैठक के दौरान, जैव आतंकवाद निवारण एवं प्रशमन पर पुलिस एवं सुरक्षा बलों के विभिन्न क्षमता निर्माण

एवं प्रशिक्षण पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई थी। बैठक में एन.डी.एम.ए., सी.बी.आई. एवं इंटरपोल प्रशिक्षण सहयोग पर भी चर्चा की गई और इसे अंतिम रूप दिया गया। प्रशिक्षण सहयोग के अलावा, कार्य दल ने क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए एक व्यापक कार्ययोजना को भी तैयार किया।

आपदा प्रबंधन : सशस्त्र बलों के लिए उभरती चुनौतियां

5.18 मेजर जनरल (डॉ.) जे. के. बंसल, ने एम.एच.ओ.डब्ल्यू., मध्य प्रदेश में आर्मी वार कॉलेज का दौरा किया और 5 जून, 2012 को आपदा प्रबंधन : सशस्त्र बलों के लिए उभरती चुनौतियों पर सेना के अधिकारियों एवं संकाय सदस्यों को आख्यान दिया। व्याख्यान के दौरान सदस्य, एन.डी.एम.ए. ने आपदा प्रबंधन में सशस्त्र बलों की भूमिका पर प्रकाश डाला। कुछ उभरती चुनौतियों, जैसे कि सी.बी.आर.एन. पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने सी.बी.आर.एन. आपातकालीन स्थितियों के अन्वेषण, संरक्षण एवं कार्रवाई हेतु प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के क्षेत्र में सशस्त्र बलों द्वारा विशेष पहल करने की मांग की।

5.19 मेजर जनरल (डॉ.) जे. के. बंसल, ने 5 जून, 2012 को एम.एच.ओ.डब्ल्यू. में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान (बी.ए.एन.आई.एस.एस) का दौरा किया। सदस्य, एन.डी.एम.ए. ने श्री आर.एन. बैरवा, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) महानिदेशक, बी.ए.एन.आई.एस.एस के साथ आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के बारे में और सामाजिक सेवाओं के संकाय सदस्यों के जरिए समुदाय आधारित मनोवैज्ञानिक देखभाल कामगार सृजित करने के बारे में चर्चा की। सदस्य, एन.डी.एम.ए. ने प्रकाश डाला कि बी.ए.एन.आई.एस.एस. क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

5.20 मेजर जनरल (डॉ.) जे. के. बंसल ने एम.एच.ओ. डब्ल्यू. में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का दौरा किया तथा संकाय अध्यक्ष डॉ. एस.एन.एस. परमार एवं संकाय सदस्यों के साथ परस्पर बातचीत की। सदस्य ने पशुधन पर आपदा के प्रभाव को काम करने के लिए संयुक्त प्रणाली स्थापित करने के लिए पशु चिकित्सकों, पशुधन किसानों एवं उद्योगों के क्रॉस सेक्टोरल सुग्राहीकरण को आवश्यक बताया।

दिल्ली पुलिस के लिए सी.बी.आर.एन. सुरक्षा, तैयारी एवं कार्रवाई पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

5.21 30 जनवरी, 2013 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिल्ली पुलिस के लिए सी.बी.आर.एन. सुरक्षा, तैयारी एवं कार्रवाई पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन उपाध्यक्ष द्वारा किया गया था। अपने उद्घाटन भाषण में उपाध्यक्ष ने पुलिस बल की सी.बी.आर.एन. सुरक्षा की जरूरत पर प्रकाश डाला और दिल्ली पुलिस के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की प्रतिबद्ध ता को दोहराया। उन्होंने उल्लेख किया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पूरे देश में विकिरण मानीटरिंग उपकरण लगी 1000 पुलिस वैनों को मुहैया कराने की पहल की है, जिसमें से 60 स्वयं दिल्ली में होंगे। सी.बी.आर.एन. प्रशिक्षण कार्यक्रम का अवलोकन करते हुए, मेजर जनरल (डॉ.) जे. के. बंसल, सदस्य, एन.डी.एम.ए. ने सी.बी.आर.एन. संरक्षण, जांच एवं विसंदूषण उपकरण के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण की अत्यावश्यकता पर जोर दिया। लगभग 50 भागीदारों ने कार्यक्रम में भाग लिया। सी.बी.आर.एन. विशेषज्ञों को एन.डी.एम.ए., डी.आर.डी.ओ. एवं बी.ए.आर.सी. आदि से संकाय सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया था।

आपदा के दौरान मनोवैज्ञानिक सहायता एवं मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं

5.22 दिसम्बर, 2012 को आपदा के दौरान मनोवैज्ञानिक सहायता एवं मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं पर एक कार्यशाला राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में आयोजित की गई थी। अपने प्रमुख भाषण में, मेजर जनरल (डॉ.) जे. के. बंसल ने प्रकाश डाला कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों एवं राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों एवं जिलों के लिए आपदा में मनोवैज्ञानिक सहायता एवं मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश पहले ही जारी किए थे। उन्होंने कहा कि दिशानिर्देशों को आपदा के मामले में मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्ययोजनाएं तैयार करने हेतु सभी हितधारकों को भेज दिए गए हैं। तथापि, इसमें विभिन्न संगत सेक्टरों, विभाग एवं अन्य हितधारकों में मनोवैज्ञानिक सामाजिक सहायता एवं मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं (पी.एस.एस.एम.एच.एस.) के बारे में जागरुकता, प्रशिक्षण एवं

पुनः प्रशिक्षण सृजित करने की अपरिहार्य जरूरत है।

5.23 मेजर जनरल (डॉ.) जे. के. बंसल ने कहा कि कार्यशाला, दिशानिर्देशों में अभिज्ञात महत्वपूर्ण मामलों को हल करने के लिए व्यावहारिक रूप से अनुप्रयोज्य उपायों पर विस्तार हेतु जानकारी में वृद्धि करेगी। यह विभिन्न हितधारकों द्वारा शुरू किए गए दिशानिर्देश–पहलों की मुद्दे पश्चात् पुनरीक्षा करके दिशानिर्देशों को लागू करने को सुनिश्चित करने के प्रमुख उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम होगा। कार्यशाला, आपदा के मामले में, क्षमता निर्माण, असुरक्षित वर्गों की देखभाल और प्रभावी मनोवैज्ञानिक देखभाल प्रदान करने के लिए मनोवैज्ञानिक कार्यकर्ताओं को शामिल करने के लिए रूपरेखा तैयार करने की एक पैनल चर्चा के साथ संपन्न हुई।

ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट के संबंध में क्षमता निर्माण

5.24 ट्रांसपोर्ट एवं अन्य संबंधित आपदाओं के कारण अभिघात (ट्रॉमा), भारत में मृत्यु संख्या दर एवं अस्वस्थता दर के प्रमुख कारणों में से एक कारण है। अस्पताल पूर्व देखभाल, असल में, भारत में, अधिकांश ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में विद्यमान नहीं है और दुर्घटना में महत्त्वपूर्ण समय की अवधारणा (गोल्डन आवर कंसेप्ट) का क्रियान्वयन अभी एक अप्राप्त लक्ष्य है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रभावी उन्नत इन–हॉस्पिटल ट्रॉमा देखभाल सुविधा प्रदान करने के लिए मानव संसाधन (डॉक्टर्स एवं नर्स) तैयार करके देश में चोट/ट्रॉमा से संबंधित मृत्यु दर संख्या/अस्वस्थता दर को कम करने के उद्देश्य से भारत में उन्नत ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट के लिए क्षमता निर्माण पर जे.पी.एन. एपेक्स ट्रॉमा सेंटर, एम्स, नई दिल्ली के सहयोग से एक प्रदर्शनात्मक परियोजना शुरू की है।

5.25 परियोजना ने बिहार, असम और आन्ध्र प्रदेश से लगभग 117 विशेषज्ञों (डॉक्टर) एवं 229 स्वास्थ्य पेशेवरों को वृहत्त चरण में प्रशिक्षित किया है, जिसमें उन्नत ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट (ए.टी.एल.एस.) पाठ्यक्रम के लिए 129 डॉक्टरों की भागीदारी, ग्रामीण ट्रॉमा टीम विकास पाठ्यक्रम के लिए 135 भागीदार और नर्सों के लिए उन्नत ट्रॉमा देखभाल (ए.टी.सी.एन.) पाठ्यक्रम के लिए 53 नर्सें शामिल हैं।

5.26 परियोजना में परिकल्पित है कि राज्य विभिन्न श्रेणी के विशेषज्ञ डॉक्टरों, नर्सों एवं पैरामेडिक्स के लिए स्थानीय साइटों पर भी प्रशिक्षण को शुरू करेंगे। चालू योजना अवधि में परियोजना को 10 और असुरक्षित राज्यों में प्रदान करने के प्रयास वर्तमान में प्रगति पर हैं।

अभिघात (ट्रॉमा) प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन

5.27 जे.पी.एन. एपेक्स ट्रॉमा सेंटर, एम्स ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से माह नवम्बर, 2012 में नई दिल्ली में ट्रॉमा देखभाल एवं प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें कई राज्यों से प्रस्तुतीकरण सहित मेडिकल एवं पैरामेडिकल द्वारा भाग लिया गया था। सम्मेलन का उद्देश्य ट्रॉमा लाइफ स्पोर्ट प्रक्रियाओं के संबंध में सुग्राहीकरण का निर्माण करना था और ट्रॉमा देखभाल एवं प्रबंधन पर महत्वपूर्ण कौशल प्रदर्शित करना था।

अस्पताल सुरक्षा, बड़ी दुर्घटना प्रबंधन एवं अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना पर क्षमता निर्माण

5.28 अस्पतालों एवं चिकित्सा संस्थानों की विभिन्न आन्तरिक एवं बाहरी आपातकालीन कार्रवाई क्षमताओं के निर्माण की दिशा में अस्पताल के पदाधिकारियों को अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना बड़ी दुर्घटना प्रबंधन और अस्पताल सुरक्षा में क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम प्रदान किया जा रहा है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि सभी अस्पतालों में आपदा प्रबंधन योजनाएं होनी चाहिए जिनकी समय–समय पर मॉक ड्रिल द्वारा जांच की जानी चाहिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने वर्ष 2012–13 के दौरान 600 से अधिक वरिष्ठ अस्पताल पदाधिकारियों के लिए ऐसे प्रशिक्षणों की शृंखला शुरू की है, जिन्हें श्रीनगर में (जून, 2012), गुवाहाटी (सितम्बर, 2012), लद्दाख (अक्तूबर, 2012), दिल्ली (नवम्बर, 2012), लखनऊ (जनवरी, 2013) और पटना (फरवरी, 2013) में शुरू किया गया था।

5.29 अस्पतालों को बड़ी दुर्घटना प्रबंधन एवं अस्पताल सुरक्षा के लिए तैयार करने की दिशा में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्यों के स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के क्षमता विकास हेतु तीव्र प्रयास किए हैं और इस संबंध में कार्यशालाओं को 28 मई, 2013, को एन.आई.एच.एफ.डब्ल्यू., दिल्ली में 09–14 जून, 2012 को श्रीनगर में, 05–10 अक्टूबर, 2012 को, लेह में, 9–10 नवम्बर, 2012 को दिल्ली में और 17–19 सितम्बर, 2012 को गुवाहाटी में आयोजित किया गया था।

भारत में बड़े शहरों में आपातकालीन प्रबंधन अभ्यास : शहरी आपातकालीन कार्रवाई को सुदृढ़ बनाने की दिशा में

5.30 भारत में बड़े शहर, शहरों को विशाल जनसंख्या के लिए जाना जाता है, हैं, जो प्रतिदिन प्राकृतिक एवं मानव–जनित जोखिमों की संभावित घटना की आशंका, जिसमें आतंकी हमले और आपातिक घटनाएं शामिल हैं, जो

क्षणभर में लोगों को बर्बाद कर सकती हैं, में जीते हैं। कई दृष्टान्तों में आपातकालीन कार्रवाई मशीनरी, जटिल स्वरूप के खतरों तथा तैयारी एवं कार्रवाई पर क्षमताओं एवं मानक प्रचालन कार्रवाई की कमी के संबंध में इन घटनाओं को सुलझाने में, पूरी तरह सफल नहीं है।

5.31 समन्वय प्रणालियों के अभाव और उपयुक्त कार्रवाई क्षमताओं की कमी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपातकालीन प्रबंधन प्रक्रियाओं के मॉडल को क्रियान्वित करना शुरू किया, जो बड़ी दुर्घटना प्रबंधन और तैयारी पर विशेष ध्यान देने के साथ आपातकालीन/आपदा में शामिल उत्तरदायित्व क्षमता निर्माण एवं विविध हितधारकों के ग्रुप (आपातकालीन कार्रवाईकर्ता) के अंतः एजेंसी समन्वय को सुदृढ़ करने पर ध्यान केन्द्रित करता है। यह भारतीय संदर्भ में अति सुसंगत है, जहां तीव्र गति के विकास और शहरीकरण ने ऐसी स्थिति पैदा की है जहां भारत में स्तर–1 और स्तर–2 के अधिकांश शहर आपदाओं/संकटों के सवंर्धित जोखिमों का सामना कर रहे हैं और इसमें इन शहरों को पर्याप्त रूप में उनके अनुरूप तैयार किए जाने की सख्त जरूरत है। उम्मीद है कि यह तरीका स्थानीय रूप से प्रचालित बहु–विषयक, आपातकालीन प्रबंधन कार्यकलापों की वहनीय प्रतिबद्धता सृजित करने का काम करेगा और समयोपरि एक वैधता–पूर्ण मॉडल बनेगा जिसे आसानी से दूसरे शहरों में पुनः प्रयोग किया जा सकता है। यह बाद में, तैयारी योजना पर आपातकालीन कार्रवाई करने वाले समुदाय, क्षमता निर्माण और सभी ई.एस.एफ. (आपातकालीन सहायता कार्य) की पद्धति तथा किसी भी बड़ी दुर्घटना के प्रबंधन हेतु एक समन्वित कार्रवाई शुरू करने के लिए शहर के सभ्य समाज संगठनों के बीच एक संरचित व्यवस्थापन प्रदान करेगा।

5.32 मॉडल को गुवाहाटी में (नवम्बर, 2012) और दिल्ली (दिसम्बर, 2012) में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। शहरों में, प्रत्येक शहर ने आपातकालीन तैयारी एवं कार्रवाई के क्षेत्र में प्रशिक्षकों के रूप में 1000 से अधिक विभिन्न हितधारकों के समुच्चय का क्षमता निर्माण, विभिन्न देखा है। हितधारकों ने टेबलटॉप और फील्ड अनुरूपण भी (शहरव्यापी कवायद) शुरू किया, जिसने एक समन्वित तरीके में आपातकालीन तैयारी एवं कार्रवाई पर एस.ओ.पी. के अभ्यास में सक्षम बनाया है। ई.एम.ईएक्स. को क्रियान्वित करने के लिए अपनाया गया मॉडल राज्य/शहर स्तर पर प्रशिक्षकों के संसाधन पूल के सृजन पर निर्भर करता है, जो बाद में प्रशिक्षण को स्थानीय स्तरों पर और प्रदान कर सकता है।

5.33 असम सरकार ने 28 अक्तूबर से 4 नवम्बर, 2012 तक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अन्य मुख्य संगठनों की भागीदारी में गुवाहाटी आपातकालीन प्रबंधन अभ्यास, 2012 का आयोजन किया।

आपातकालीन स्थितियों में जन स्वास्थ्य

5.34 जल आपूर्ति, सफाई एवं जन स्वास्थ्य (डब्ल्यू.ए.एस.एच.) लोगों के स्वास्थ्य एवं समग्र कल्याण को सुनिश्चित करने में, विशेष रूप से शान्ति के समय के साथ–साथ संकट के समय महिलाओं और बच्चों में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आपदा प्रभावित समुदायों के लिए सुरक्षित पेय जल एवं सफाई की उपलब्धता को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, जैसा कि वॉश सुविधाओं की कमी संभवतः महामारियों के प्रकोप को बढ़ा सकती है। आपातकालीन स्थितियों में वॉश पर राज्य स्तरीय कार्यशालाएं एवं एक्सपो, जो प्राकृतिक आपदाओं के लिए विशेष रूप से 2012 में अति असुरक्षित 3 राज्यों नामतः बिहार, पश्चिम बंगाल और आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ के लिए संचालित की गई थी। राज्य स्तरीय कार्यशालाओं एवं एक्सपो का प्रयोजन आपातकालीन वॉश के लिए जिम्मेदार सरकारी विभागों की क्षमता, विशेष रूप से पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस.एस./स्वास्थ्य की क्षमता को एक व्यापक रेंज की आपातकालीन स्थितियों वॉश से संबंधित मुद्दों के लिए इंजीनियरों, स्वास्थ्य अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को सामने रखकर सुदृढ़ बनाना था। इसने संबंधित राज्य स्तर पर संकटों एवं आपातकालीन स्थितियों के दौरान वॉश की प्राथमिकता–जरूरतों एवं मुख्य मुद्दों के संबंध में बेहतर समझ पैदा की।

भारत में पी.एच.आई.ई. पर जानकारी एवं क्षमता निर्माण

5.35 राष्ट्रीय स्तर पर एक कोर ग्रुप का गठन, जिसमें क्षेत्र से विशेषज्ञ और प्रैक्टिश्नर शामिल हैं, नवम्बर, 2012 में भारत में "आपातकालीन स्थितियों में जन स्वास्थ्य" क्षमता विकास के लिए संयुक्त कार्य विकास के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वाधान में किया गया था। इसमें उन हितधारकों के साथ ठोस बातचीत की गई थी, जिन्होंने सभी मुख्य हितधारकों के विचारार्थ मसौदा कार्यनीति एवं सुझाए गई कार्ययोजना का विकास किया।

आपातस्थितियों में पोषण की समस्या के समाधान के लिए बहु–हितधारक की कार्रवाई

5.36 एन.डी.एम.ए. ने भारत में स्फेयर इंडिया, राष्ट्रीय संयुक्त मानवतावादी एजेंसियों और वेल्दंगरहिल्फे के सहयोग से इस वर्ष विभिन्न सरकारी एवं गैर–सरकारी

हितधारकों को सामूहिक रूप से कार्यनीति बनाने तथा देश में "आपातस्थितियों में पोषण" को हल करने के लिए कार्रवाई करने हेतु एक सामान्य कार्ययोजना विकसित करने के लिए एक साथ लाने हेतु दो राष्ट्रीय परामर्श सत्र आयोजित किए। विभिन्न सरकारी मंत्रालयों, डब्ल्यू.सी.डी. से राज्य सरकार के अधिकारियों और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एन.जी.ओ. से अधिकारियों ने इन विस्तृत चर्चाओं में भाग लिया।

रासायनिक औद्योगिक आपदा प्रबंधन

5.37 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं एन.आई.सी. के साथ विभिन्न राज्यों के रासायनिक औद्योगिक केंद्र के लिए जी.आई.एस. प्लेटफॉर्म पर औद्योगिक हबों के चारों ओर संसाधन मैपिंग के साथ आपातकालीन योजना एवं कार्रवाई (जी.ई.पी.आर.) के लिए डेटाबेस तैयार करने में सहयोग कर रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एम.ओ.ई.एफ., एन.आई.सी. तथा राज्य द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई दो राज्य स्तरीय कार्यशालाओं को क्रमशः हैदराबाद और जयपुर में संचालित किया गया। विभिन्न आपातकालीन सहायता कार्यों से लगभग 200 हितधारकों को जी.आई.एस. आधारित आपातकालीन योजना एवं कार्रवाई से संबंधित अनिवार्य बातों पर आयोजित कार्यशालाओं में प्रशिक्षित किया गया था।

5.38 फिक्की के सहयोग से जागरुकता एवं क्षमता निर्माण द्वारा सम्मेलन एवं कार्यशालाएं आयोजित किए गए हैं। विभिन्न औद्योगिक केन्द्रों (इंडस्ट्रियल हब्स) से हितधारकों को औद्योगिक आपदा एवं दुर्घटनाओं को रोकने एवं नियंत्रण पर जागरुकता फैलाने के लिए एक साझा मंच पर लाया गया। रासायनिक आपदा प्रबंधन पर सम्मेलन मुम्बई, चण्डीगढ़ में जून 2012 को और हैदराबाद में नवम्बर, 2012 को आयोजित किए गए थे। लगभग कुल 1500 हितधारकों को इन सम्मेलनों में सी.आई.डी.एम. के अनिवार्य पहलुओं पर सुग्राही बनाया गया है। एन.डी.एम.ए. ने एक कोर ग्रुप का भी गठन किया जो पत्तनों में खतरनाक सामग्री के निपटान पर कार्य कर रहा है।

स्कूल सुरक्षा पर क्षमता निर्माण

5.39 स्कूल सुरक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहां राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 22 राज्यों, 43 जिलों में प्रदर्शनात्मक परियोजना "राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा परियोजना" शुरू की। कुड्डालोर, पुड्डूचेरी में कार्यशाला को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा ए.आई.डी.एम.आई., अहमदाबाद एवं पुड्डूचेरी की राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था।

5.40 स्कूल सुरक्षा पर राष्ट्रीय नीति दिशानिर्देश को इस समय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार किया जा रहा है। दिशानिर्देशों का उद्देश्य बच्चों के लिए अधिक सुरक्षित शिक्षण माहौल के सृजन में मदद करना है और स्कूल सुरक्षा के संबंध में विशिष्ट कार्यों पर प्रकाश डालना है जिन्हें विभिन्न हितधारकों द्वारा शिक्षा प्रदान करने के लिए मौजूदा ढांचे के भीतर शुरू किया जा सकता है।

5.41 वर्ष 2012 में स्कूल सुरक्षा और आपदा से निपटने की तैयारी पर प्रशिक्षण कार्यशालाओं को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जम्मू एवं कश्मीर (श्रीनगर एवं लद्दाख), असम (गुवाहाटी) और दिल्ली में वरिष्ठ शिक्षा पदाधिकारियों एवं अध्यापकों के लिए संचालित किया गया है।

पशुधन क्षेत्र में क्रॉस सेक्टोरल आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यनीतियों पर ग्रीष्मकालीन (समूह) स्कूल

5.42 मेजर जनरल (डॉ.) जे. के. बंसल ने बिहार पशुचिकित्सा कॉलेज, पटना का दौरा किया और 29 मई, 2012 को "पशुधन क्षेत्र में क्रॉस सेक्टोरल आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यनीतियों पर ग्रीष्मकालीन स्कूल" का उद्घाटन किया। अपने महत्वपूर्ण संबोधन में सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भारत के कृषि संबंधी क्षेत्र में पशुधन ने महत्व पर और इस पर आपदा के परिणामी प्रतिकूल प्रभाव पर प्रकाश डाला। जैविक आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का, जिसमें पशुधन के आपदा प्रबंधन पर एक महत्वपूर्ण अध्याय है, उल्लेख करते हुए, उन्होंने पशुधन की आपदाओं को कम करने के लिए एक वहनीय एकीकृत कार्यनीति तैयार करने की मांग की। सदस्य, एन.डी.एम.ए. ने उभरते जूनोसिस, जैसे कि स्वाइन फ्लू (एच. 1 एन. 1 और बर्ड फ्लू (एच. 5 एन. 1) का मानव स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा पहलुओं पर इसके गम्भीर प्रभावों से बचने के लिए इसके निपटान हेतु संयुक्त अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रचालनात्मक एकीकरण की जरूरत पर जोर दिया।

आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन – 18 दिसम्बर, 2012 को "तैयारी एवं राहत संबंधी छद्म (फॉर्जिंग) भागीदारी"

5.43 "लगभग 71 प्रतिशत लघु उद्योगों/व्यवसायों के पास कोई आपदा प्रबंधन योजना नहीं है और उनमें से 43 प्रतिशत ने कभी भी उन पर आपदा के प्रहार के बाद भी इसे पुनः शुरू नहीं किया," श्री एम. शशिधर रेड्डी, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में यह कहा। भारतीय उद्योग महासंघ (सी.आई.आई.) ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से 18–19 दिसम्बर, 2012 को भारत हैबिटाट सेंटर में "तैयारी एवं राहत संबंधी फॉर्जिंग भागीदारी" पर प्रकाश डालते हुए आपदा प्रबंधन पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया।

5.44 उद्घाटन सत्र में श्री टी. के. ए. नायर, भारत को माननीय प्रधानमंत्री के सलाहकार, श्री वी. के. दुग्गल, सदस्य, एन.डी.एम.ए., श्री सुबोध भार्गव, पूर्व अध्यक्ष, सी.आई.आई. और अध्यक्ष, सी.आई.आई, राष्ट्रीय विकास पहल संबंधी परिषद और अध्यक्ष, टाटा कम्युनीकेशन लि. और श्री सुधीर कपूर, अध्यक्ष, सी.आई.आई, क्षेत्रीय सी.एस.आर. संबंधी समिति (एन.आर.) और प्रबंध निदेशक एवं सी.ई.ओ., कन्ट्री स्ट्रेटेजी इंडिया ने भी भाग लिया। अपने मुख्य भाषण में, श्री नायर ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकलापों की सराहना की और उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए उनकी सराहना की।

दिल्ली आपातकालीन प्रबंधन अभ्यास (डी.ई.एम.ईएक्स) 2012–"दिल्ली में शहरी आपातकालीन तैयारी एवं कार्रवाई को सुदृढ़ बनाने के संबंध में", 04 दिसम्बर, 2012

5.45 दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डी.डी.एम.ए) ने 9 अगस्त से 9 दिसम्बर, 2012 तक दिल्ली में एक दिल्ली आपातकालीन प्रबंधन अभ्यास (डी.ई.एम.ईएक्स.) संचालित किया। मुख्य कार्यकलापों में, 29 नवम्बर से 2 दिसम्बर, 2012 तक दिल्ली में विभिन्न स्थानों में विभिन्न विषयों पर 16 शैक्षणिक ट्रैक (कोर्स) आयोजित करना शामिल है, जिसमें 3 दिसम्बर, 2012 को टेबलटॉप अभ्यास और 4 दिसम्बर, 2012 को आपदा अनुरूपण अभ्यास तथा 5 दिसम्बर 2012 को हॉट–वॉश अभ्यास पर चर्चा की गई। अभ्यास को 4 दिसम्बर, 2012 को दिल्ली राज्य के सभी 11 राजस्व जिलों में 32 अलग–अलग स्थानों में संचालित किया गया था।

5.46 डी.ई.एम.ईएक्स., 2012 को शुरू करने के लिए तैयारियों का काम अगस्त, 2012 में विभिन्न स्तरों में प्रासंगिक योजनाओं की तैयारी की शुरूआत के साथ प्रारंभ किया गया था, जिनमें अस्पताल आकस्मिकता योजना और आपदा प्रबंधन संबंधी प्रारंभिक कार्यशालाओं की श्रृंखला, अन्तर एजेंसी संचार एवं समन्वय तथा माह अक्तूबर एवं नवम्बर, 2012 में स्कूल सुरक्षा, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के सभी 11 जिलों से हितधारक शामिल हैं, का आयोजन किया गया। इन योजनाओं की, बाद में हितधारकों में तैयारी के स्तर का पता लगाने के लिए भी पुनरीक्षा की गई थी।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

ई.ए.एस.–भारत आपदा प्रबंधन कार्यशाला – 2012 के परिणामस्वरूप अनुवर्ती कार्यकलाप

5.47 "क्षेत्रीय जोखिम प्रबंधन हेतु क्षेत्रीय ढांचे के निर्माण" पर ई.ए.एस. इंडिया कार्यशाला, नई दिल्ली में 8–9 नवम्बर, 2012 को शुरू की गई थी। इस कार्यशाला को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इंडोनेशिया में 19 नवम्बर, 2011 को आयोजित छठे एशिया सम्मेलन के दौरान भूकंप की घटना के मामले में आपदा प्रबंधन एवं राहत पर ईस्ट एशिया कार्यशाला की मेजबानी करने के लिए अनुवर्ती घोषणा के रूप में संचालित किया गया था।

5.48 19 मार्च, 2013 को आयोजित ई.ए.एस.–इंडिया आपदा प्रबंधन कार्यशाला 2012 के अनुवर्तन के रूप में शुरू किए जाने वाली कार्यकलापों पर चर्चा करने तथा अंतिम रूप देने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। इसने बैठक में सिफारिश की थी कि ई.ए.एस. भूकंप जोखिम न्यूनीकरण सेंटर को एन.आई.डी.एम. की मौजूदा अवसंरचना की मदद से एन.आई.डी.एम. में स्थापित किया जाएगा। इसने यह भी सिफारिश की कि इसी सेट के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जानकारी आधारित इनपुट, जैसे कि दिशानिर्देश आदि सदस्य (एच.के.जी.), एन.डी.एम.ए. के मार्गदर्शन में उपलब्ध कराएगा। इसे उपाध्यक्ष, एन.डी.एम.ए. की मंजूरी प्राप्त है।

आपदा प्रबंधन सहायता पर भारत सरकार – यू.एस.ए.आई.डी. परियोजना

5.49 संयुक्त सचिव (डी.एम.) गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में, 2 अप्रैल, 2012 को आपदा प्रबंधन सहायता पर भारत सरकार–यू.एस.ए.आई.डी. परियोजना के तहत भारत में आई.आर.एस. के क्रियान्वयन के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई थी। इसमें निर्णय लिया गया था कि एन.आई.डी.

एम. को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों के लिए आई.आर.एस. मॉडलों हेतु प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिक से अधिक पाठ्यक्रम/सेमिनार/कार्यशालाएं तैयार करनी चाहिए तथा संचालित करने चाहिए। एन.आई.डी.एम. को आई.आर.एस. प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षुओं की उपलब्धता को रिकॉर्ड करने और पता लगाने के लिए आई.आर.एस. डेटाबेस प्रणाली रखनी चाहिए और आई.आर.एस. पाठ्यक्रम को अनुरक्षित एवं अद्यतन बनाना चाहिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र वन सेवा द्वारा अनुरोध किया गया है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मॉक ड्रिल में आई.आर.एस. को लागू करने को अंतिम रूप देने का काम भी कर रहा है।

6 जागरुकता सृजन

प्रस्तावना

6.1 यह मानते हुए कि जागरुकता आपदा प्रबंधन और समुदाय तैयारी के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण का आधार है, एन.डी.एम.ए. ने इस संबंध में अनेक पहलें आरंभ की हैं। चालू कार्यक्रम के रूप में कृत्रिम अभ्यास/ड्रिलें, जिला/उद्यम स्तरों पर जागरुकता सृजन, योजना बनाने तथा संसाधनों में मौजूद खामियों की पहचान करने के लिए नियमित रूप से संचालित की जा रही हैं। आपदा जोखिमों और असुरक्षितताओं के बारे में समुदाय को समझाने के लिए इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का पूर्ण उपयोग किया जा रहा है। जागरुकता सृजन पर ध्यान केंद्रित किए जाने के लिए साक्षात्कार लेख और प्रेस विज्ञप्तियां जारी किए जा रहे हैं। कृत्रिम अभ्यास अति महत्त्वपूर्ण पहलों में से एक पहल है जिसे एन.डी.एम.ए. ने प्राकृतिक और मानव–जनित आपदाओं दोनों के लिए आपदा प्रबंधन की अपनी कारगरता की समीक्षा करने में राज्य सरकारों और जिला प्रशासन को सुकर बनाने हेतु आरंभ किया है और जन जागरुकता सृजित करने के साथ कार्रवाई क्षमताओं का मूल्यांकन करना आरंभ किया है। ये अभ्यास राज्य सरकारों की सिफारिशों पर अति संवेदनशील (असुरक्षित) जिलों और उद्योगों में संचालित किए जाते हैं।

कृत्रिम अभ्यास

6.2 कृत्रिम अभ्यासों का उद्देश्य आपात कार्रवाई योजनाओं की पर्याप्तता तथा प्रभावोत्पादकता की जांच करना, प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर संबद्ध हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का उल्लेख करना, विभिन्न आपातकालीन सहायता कार्यों के प्रयासों के समन्वयन को वर्धित करना, तथा उन्हें सह–क्रियाशील बनाना, संसाधनों, जन शक्ति, उपस्कर, संचार और प्रणालियों में खामियों का पता लगाना है। यह अभ्यास आपदाओं का पूर्ण रूप से सामना करने के लिए अति संवेदनशील समूहों को भी सशक्त बनाते हैं।

6.3 ये अभ्यास चरण–दर–चरण (स्टेप–बाई–स्टेप) तरीके को अपनाकर एक सुनियोजित और व्यापक रीति से आयोजित किए जाते हैं। प्रारंभिक चरण में, विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को उजागर करने के लिए विषय–अनुकूलन एवं समन्वयन सम्मेलन आयोजित किया जाता है। अगले चरण में, अनुकरण किए गए परिदृश्यों में हितधारकों की कार्रवाई जानने के लिए टेबल टॉप अभ्यास किए जाते हैं। संपूर्ण आपदा प्रबंधन चक्र को कवर करने के लिए इन परिदृश्यों को निरूपित किया जाता है। इस चरण के अंत में, जो सबक निकलकर आते हैं वे सभी सहभागियों से साझा किए जाते हैं और सहभागियों को उनकी प्रतिक्रियाएं जानने के लिए काफी समय दिया जाता है तथा कृत्रिम अभ्यास के वास्तविक संचालन से पहले उनके अधीनस्थों को प्रशिक्षित किया जाता है। अभ्यास परिकल्पित परिदृश्य पर किया जाता है तथा विभिन्न सहभागियों की कार्रवाई को ध्यान में रखकर वह उत्तरोत्तर बढ़ता है। उस अभ्यास को मानीटर करने के लिए अनेक प्रेक्षकों को भी रखा जाता है तथा सहभागियों के अलावा, समाज से आए दर्शकों और हितधारकों को भी कृत्रिम अभ्यास देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कृत्रिम अभ्यास के बाद विस्तृत जानकारी दी जाती है जिसमें प्रेक्षकों से अपना फीडबैक देने के लिए कहा जाता है। इन अभ्यासों में पाई गई कमियों के बारे में राज्य और जिला प्रशासन को और विभिन्न उद्योगों के प्रबंधन वर्ग को भी संसूचित किया जाता है।

6.4 जमीनी स्तर पर तैयारी की संस्कृति पैदा करने में कृत्रिम अभ्यास बड़ा सहायक रहा है। इनमें से अधिकांश अभ्यासों में समुदाय और छात्रों ने बढ़–चढ़कर भाग लिया है। जिला प्रशासन, निगमित सेक्टर और अन्य प्रथम कार्रवाईकर्ताओं ने अपार उत्साह दर्शाया है। इन अधिकांश अभ्यासों में निर्वाचित जन प्रतिनिधि और राज्य के स्तर पर वरिष्ठ अधिकारीजन उपस्थित रहे। इन अभ्यासों का स्थानीय प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी जमकर प्रचार किया और इस प्रकार उन्होंने लोगों की बड़ी संख्या में जागरुकता सृजन का काम किया।

जागरुकता अभियान

6.5 आम लोगों के बीच जागरुकता फैलाने अपने प्रयास में जनसंपर्क एवं जागरुकता सृजन (पी.आर. एंड ए.जी.) प्रभाग ने इलेक्टॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से विभिन्न जन जागरुकता कार्यक्रमों की शुरूआत की। इस अभियान का फोकस लक्षित श्रोताओं (जनता) पर असर डालकर आपदा प्रबंधन हेतु उचित वातावरण तैयार करने पर है। ये जागरुकता अभियान विभिन्न संचार माध्यमों जैसे दूरदर्शन (टी.वी.), रेडियो, प्रिंट मीडिया, प्रदर्शनी आदि के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इन जागरुकता अभियानों को दो निम्नलिखित प्रधान उद्देश्यों के साथ जनता के बीच जागरुकता फैलाने पर केंद्रित किया गया है:

क) किसी भी आसन्न आपदा (भूकंप, चक्रवात बाढ़, भूस्खलन आदि) से निपटने के लिए देश के नागरिक को तैयार करना।

ख) एन.डी.एम.ए. के विभिन्न कार्यकलापों के बारे में जागरुकता फैलाना।

6.6 वर्ष 2012–13 के दौरान निम्नलिखित आपदा प्रबंधन जागरुकता अभियान शुरू किए गए।

श्रव्य–दृश्य (ऑडियो–विजुअल) अभियान

6.7 भूकंप, बाढ़, शहरी बाढ़, चक्रवात जैसी राष्ट्रीय आपदाओं पर ऑडियो–वीडियो स्पॉट तैयार किए गए और उन्हें दूरदर्शन (दूरदर्शन का राष्ट्रीय नेटवर्क और प्रादेशिक केंद्र), निजी टी.वी. चैनलों (राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक), लोक सभा टी.वी., डिजिटल सिनेमा, आकाशवाणी (रेडियो), एफ.एम. रेडियो चैनलों पर प्रसारित किया गया।

6.8 भूकंप आपदा और इसका प्रबंधन पर "सावधान है तो जान है", "सलाह से सलामती", "झुको, ढको, पकड़ो", "तैयारी में है समझदारी" और "गैर–संरचनात्मक सुरक्षा" शीर्षक वाले पाँच वीडियो स्पॉट तैयार किए गए और उनका टी.वी./रेडियो पर प्रसारण किया गया।

6.9 बाढ़ आपदा पर "अम्मा", "मैं तैयार हूँ", "अनेकता में एकता" और "एन.डी.आर.एफ. काम पर" शीर्षक वाले चार वीडियो स्पॉटों का टी.वी./रेडियो पर प्रसारण किया गया।

6.10 चक्रवात आपदा पर "मछुआरा" तथा "घर फिर बन जाएगा" शीर्षक वाले दो वीडियो स्पॉटों का भी टी.वी./रेडियो पर प्रसारण किया गया।

प्रिंट मीडिया के माध्यम से अभियान

6.11 भूकंप, बाढ़ तथा चक्रवात के प्रबंधन से जुड़े विषयों पर विभिन्न अखबारों और पत्रिकाओं में विज्ञापनों को देकर जागरुकता सृजन के लिए प्रिंट मीडिया का भी उपयोग किया गया। अग्निशमन सेवाओं के स्तर निर्धारण–उपस्कर की किस्म और प्रशिक्षण पर एन.डी.एम.ए. दिशानिर्देश के विमोचन के मौके पर बड़े राष्ट्रीय और प्रादेशिक अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कराए गए।

6.12 पूर्वी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में जापानी इंसेफेलाइटिस के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए, प्रशिक्षकों के नियम–पुस्तिका (मैनुअल) की 4000 प्रतियां, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए फ्लिप कार्ड की 1 लाख प्रतियां अभियान के लिए घर–घर वितरण हेतु छपवाई गईं और बंटवाई गई।

ऑडियो–वीडियो स्पॉटों का निर्माण

6.13 भूस्खलन आपदा पर हिंदी भाषा में 'डाकिया (पोस्टमैन)', "भू–वैज्ञानिक (जियोलॉजिस्ट)" और "हमारी गलती" शीर्षक वाले तीन ऑडियो–वीडियो स्पॉटों को एन.एफ.डी.सी. के माध्यम से तैयार किया गया। "सुरक्षा थैला (सेफ्टी किट)" पर दो ऑडियो–वीडियो स्पॉटों और "शहरी बाढ़" पर एक स्पॉट डी.ए.वी.पी. के माध्यम से तैयार किए गए।

आपदा न्यूनीकरण दिवस

6.14 एन.डी.एम.ए. और एन.आई.डी.एम. ने अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस जो हर साल अक्तूबर में मनाया जाता है, की तर्ज पर नई दिल्ली में 10 अक्तूबर, 2012 को 'आपदा न्यूनीकरण दिवस' मनाया।

6.15 इस अवसर पर श्री टी. नन्दकुमार, सदस्य, एन.डी.एम.ए., डॉ. मुजफ्फर अहमद, सदस्य, एन.डी.एम.ए. और श्री ए.के. मंगोत्रा, सचिव, आपदा प्रबंधन, गृह मंत्रालय तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति, अधिकारी एवं बच्चों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर श्री बी.के. शर्मा, पूर्व प्रधानाचार्य लुडलो कासल स्कूल, दिल्ली द्वारा सुरक्षित विद्यालय : लुडलो कासल स्कूल की यात्रा पर विशेष बातचीत की गई। पूरे देश से 15 स्कूलों ने एन.डी.एम.ए. और एन.आई.डी.एम. द्वारा आयोजित स्कूल सुरक्षा योजना प्रतियोगिता में भाग लिया।

7 आपदा जोखिम प्रशमन परियोजनाएं

राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.सी.आर.एम.पी.) चरण–I

7.1 राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.सी.आर.एम.पी.) विश्व बैंक की सहायता से देश में चक्रवात जोखिमों पर विचार करने की दृष्टि से बनाई गई है। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य संरचनात्मक और गैर–संरचनात्मक चक्रवात प्रशमन प्रयासों को सुदृढ़ बनाना, चक्रवात वाले तटीय जिलों में चक्रवात जोखिम और असुरक्षितता को कम करना तथा उनमें चक्रवात जोखिम प्रशमन की क्षमता विकसित करना है।

7.2 एन.सी.आर.एम.पी. से संबंधित वित्तपोषण और परियोजना करारों पर आर्थिक कार्य विभाग, विश्व बैंक तथा आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा की राज्य सरकारों के बीच 14.01.2011 को हस्ताक्षर हुए थे। यह परियोजना का प्रथम चरण है जिसका कार्यान्वयन 1496.71 करोड़ रुपए की लागत पर आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों तथा एन.आई.डी.एम. के समन्वय से एन.डी.एम.ए. द्वारा 31.10.2015 तक पांच वर्ष की अवधि में किया जाएगा। यह परियोजना 1198.44 करोड़ रुपए के अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आई.डी.ए.) ऋण के साथ अनुकूलनीय कार्यक्रम–ऋण के रूप में विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित की जाएगी। 298.27 करोड़ रुपए की शेष राशि आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य सरकारों द्वारा (घटक–ख के अधीन) दी जाएगी।

7.3 परियोजना के निम्नलिखित चार प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं :

क. सर्वत्र संपर्कता (72.75 करोड़ रुपए)

ख. चक्रवात जोखिम प्रशमन अवसंरचना (1164 करोड़ रुपए)

ग. चक्रवात संकट जोखिम प्रशमन, क्षमता निर्माण और ज्ञान सृजन (29.10 करोड़ रुपए) हेतु तकनीकी सहायता

घ. परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन सहायता (95.06 करोड़ रुपए)

ड. समग्र लागत (153.80 करोड़ रुपए) के 10 प्रतिशत की दर से अनावंटित और आकस्मिकता निधि।

7.4 घटक क, ग और घ को केन्द्रीय सरकार द्वारा विश्व बैंक सहायता के जरिए पूर्णतः वित्तपोषित किया जाएगा। घटक–ख को केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में वित्तपोषित किया जाएगा।

उपलब्धियां

7.5 एन.सी.आर.एम.पी. चरण–I के तहत 31.03.2013 तक की उपलब्धियों की निम्नानुसार चर्चा की गई है :

घटक क : पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली

7.6 सितम्बर, 2012 को प्रकाशित हित की अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट) के संबंध में नौ (9) फर्मों ने आवेदन किया था जिसमें से 6 फर्मों का 19 दिसम्बर, 2012 को इस प्रयोजन के लिए गठित समिति द्वारा चयन किया गया था। विश्व बैंक से प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आर.एफ.पी.) पर सहमति/अनापत्ति प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी.) 04.01.2013 को प्राप्त हुई। दिनांक 18.03.2013 को 6 चयनित फर्मों को आर.एफ.पी. भेजी गई और 30.06.2013 तक कार्य देने का लक्ष्य रखा गया।

घटक ख : चक्रवात जोखिम प्रशमन आधारढांचा

7.7 परियोजना के इस घटक में चक्रवात जोखिम प्रशमन प्रयास के लिए आधारढांचा विकास शामिल है। 31.03.2013 तक कार्य देने की प्रास्थिति और वास्तविक तथा वित्तीय उपलब्धियां निम्नानुसार है :

क. आंध्र प्रदेश :

i) **कार्य दिए जाना (अवार्ड ऑफ वर्क्स)** : वर्ष 2012–13 के दौरान 382 कार्यों के 297.65 करोड़ रुपए की रकम

के 187 पैकेजों के ठेके सौंपे गए हैं। इनमें से 45.3 करोड़ रुपए के 45 कार्यों के 45 पैकेज बहु–उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय (एम.पी.सी.एस.) से संबंधित हैं, और 206.8 करोड़ रुपए की रकम के 322 कार्यों के 145 पैकेज सड़कों के संबंध में हैं और 45.55 करोड़ रुपए की रकम के 15 कार्यों के 15 पैकेज सेतुओं (पुलों) के संबंध में हैं।

ii) **भौतिक और वित्तीय उपलब्धियां :** दिए गए 45 कार्यों में से आठ बहुउद्देश्यीय एम.पी.सी.एस. का कार्य पूरा हो चुका है और शेष का कार्य विभिन्न चरणों में है। 117 में से 111 सड़कें पूरी बन चुकी हैं तथा शेष का काम विभिन्न चरणों में है। 11 में से 9 पुलों का काम पूरा हो चुका है। शेष का काम विभिन्न चरणों में चल रहा है। 87.18 करोड़ रुपए की रकम इन कार्यों पर खर्च की गई है।

ख. ओडिशा :

i) **कार्य का दिया जाना :** वर्ष 2012–13 के दौरान 275 कार्यों के 336.00 करोड़ रुपए की राशि के 216 पैकेज के ठेके सौंपे गए थे। इनमें से 165.41 करोड़ रुपए के 150 कार्यों के 147 पैकेज बहु–उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय (एम.पी.सी.एस.) से संबंधित है और 170.58 करोड़ रुपए की राशि के 125 कार्यों के 69 पैकेज सड़कों से संबंधित है।

ii) **वास्तविक और वित्तीय उपलब्धि :** दिए गए 83 कार्यों में से एक एम.पी.सी.एस. पूरा किया गया है और शेष पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं। 71 सड़कों में से 22 सड़कें पूरी बन चुकी हैं और शेष कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इन कार्यों पर 39.50 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।

घटक–ग

7.8 इस घटक के तहत अध्ययन करने के लिए ठेकों के दिए जाने की प्रास्थिति निम्नानुसार है :

i) **13 तटीय राज्यों/संघ क्षेत्र राज्यों के लिए चक्रवात संकट, असुरक्षितता और जोखिम के लिए परामर्शी सेवाएं (एन.डी.एम.ए.) :** परामर्श के लिए हित की अभिरुचि (ई.ओ.आई.) 22 परामर्शी फर्मों से प्राप्त हुई थी। दिनांक 11.12.2012 को वित्तीय और तकनीकी बोलियों के लिए आर.एफ.पी. जारी करने के लिए छह फर्मों का चयन किया गया था। विश्व बैंक से आर.एफ.पी. पर पूर्व समीक्षा और एन.ओ.सी. दिनांक 15.02.2013 को प्राप्त हुई। आर.एफ.पी. 21.02.2013 को प्रारंभ किया गया। प्रस्ताव पूर्व सम्मेलन 08.03. 2013 को आयोजित किया। कार्य के दिए जाने का लक्ष्य 30.06.2013 तक पूरा किया जाना है।

ii) **आपदा के पश्चात आवश्यकता आकलन अध्ययन (एन.आई.डी.एम.) :** 10 नवम्बर, 2012 को प्रकाशित ई.ओ.आई. के उत्तर में आठ बोलियां प्राप्त हुई थीं। इनका समिति द्वारा पूर्व–निर्धारित पद्धति से मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन पर छह फर्मों का चयन किया गया है और एन.आई.डी.एम. द्वारा आर.एफ.पी को भेजा गया। परामर्शदाताओं से तकनीकी और वित्तीय बोलियां प्राप्त हुई हैं। तकनीकी बोली का मूल्यांकन प्रक्रियांतर्गत है। अध्ययन का काम दिनांक 30.06.2013 तक सौंपे जाने का प्रस्ताव है।

iii) **एन.आई.डी.एम. द्वारा एन.सी.आर.एम.पी.के तहत भारत में आपदा जोखिम कटौती के लिए दीर्घकालीन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण रणनीति तैयार करना:** सीड्स, एक परामर्शी फर्म, का इस कार्य के लिए चयन किया गया है। परियोजना अनुबंध दस्तावेज पर एन.आई.डी.एम और सीड्स तकनीकी सेवाओं के बीच 30 जुलाई, 2012 को हस्ताक्षर किए गए हैं। पहला प्रदेय (डिलीवरेबल) 14 अगस्त, 2012 को प्राप्त किया गया था। दूसरा प्रदेय (डिलीवरेबल) 24 अगस्त, 2012 को प्राप्त हुआ जिसमें मसौदा प्रारंभ रिपोर्ट और विस्तृत डिलीवरी अनुसूची और एन.आई.डी.एम. द्वारा सभी टिप्पणियां शामिल हैं। तकनीकी समिति ने 29 नवम्बर, 2012 को तीसरा प्रदेय (डिलीवरेबल) अनुमोदित किया।

घटक घ : लाभ मानीटरिंग अध्ययन :

7.9 समिति ने 11 जनवरी, 2013 को 6 उच्च रैंकिंग फर्मों का चयन किया। विश्व बैंक से आर.एफ.पी.पर पूर्व समीक्षा और एन.ओ.सी. 14 फरवरी, 2013 को प्राप्त हुआ। 21 फरवरी, 2013 को 6 चयनित फर्मों के लिए आर.एफ.पी. प्रारंभ किया गया। प्रस्ताव–पूर्व सम्मेलन 8 मार्च, 2013 को आयोजित किया गया। प्रस्तावित कार्य को 30 जून, 2013 से पहले अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

वित्तीय प्रबंधन :

7.10 वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए 31.03.2013 तक बजट आवंटन और विभिन्न यूनिटों के संगठनों के व्यय की स्थिति निम्नानुसार है :

राज्य/संगठन	वर्ष 2012–13 के दौरान आवंटित बजट (करोड़ रुपए में)			वर्ष 2011–12 से अग्रेनीत बजट (करोड़ रुपए में)			वर्ष 2012–13 के लिए कुल बजट (करोड़ रुपए में)		
	भारत सरकार	राज्य का हिस्सा	योग	भारत सरकार	राज्य का हिस्सा	योग	भारत सरकार	राज्य का हिस्सा	योग
आंध्र प्रदेश(ए.पी.)	47.76	4.37	52.13	26.78	6.48	33.26	74.54	10.85	85.39
ओ.एस.डी.एम.ए.	44.84	17.00	61.84	16.44	10.77	27.21	61.28	27.77	89.05
पी.एम.यू.	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.82
एन.आई.डी.एम.	0.54	0.00	0.54	0.07	0.00	0.07	0.61	0.00	0.61
योग	93.96	21.37	115.33	43.29	17.25	60.54	137.25	38.62	175.87

7.11 31.03.2013 तक वर्ष 2012–13 के लिए बजट के उपयोग की स्थिति निम्नानुसार है :

राज्य/संगठन	वर्ष 2012–13 के दौरान आवंटित बजट (करोड़ रुपए में)			वर्ष 2011–12 से अग्रेनीत बजट (करोड़ रुपए में)			वर्ष 2012–13 के लिए कुल बजट (करोड़ रुपए में)		
	भारत सरकार	राज्य का हिस्सा	योग	भारत सरकार	राज्य का हिस्सा	योग	भारत सरकार	राज्य का हिस्सा	योग
आंध्र प्रदेश(ए.पी.)	74.54	10.85	85.39	40.98	10.85	51.83	33.56	0.00	33.56
ओ.एस.डी.एम.ए.	61.28	27.77	89.05	28.50	7.65	36.15	32.78	20.12	52.90
पी.एम.यू.	0.82	0.00	0.82	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
एन.आई.डी.एम.	0.61	0.00	0.61	0.44	0.00	0.44	0.17	0.00	0.17
योग	137.25	38.62	175.87	70.74	18.50	89.24	66.51	20.12	86.63

7.12 वित्त वर्ष 2012–13 के लिए बजट का उपयोग आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 60.70% और ओ.एस.डी.एम.ए. द्वारा लगभग 40.60% ही पाया गया था। यह काफी कम पाया गया। दोनों राज्यों और एन.आई.डी.एम. को कार्यों के कार्यान्वयन में तेजी लाने और इस वर्ष के बजट का पूरा उपयोग करने के हेतु व्यय करने के लिए भी कहा गया।

संवितरण

7.13 31.03.2012 को परियोजना के तहत संवितरण शून्य था। 31.12.2012 तक 36.70 मिलियन अमरीकी डॉलर (198.22 करोड़ रुपए) का संवितरण प्राप्त किया गया है जिसमें से 18.10 मिलियन अमरीकी डॉलर विश्व बैंक द्वारा दिया गया अग्रिम है। 12.9 मिलियन अमरीकी डॉलर के अग्रिम के साथ वास्तविक व्यय के रूप में 01.01.2013 से 31.03.2013 की तिमाही के लिए विश्व बैंक के पास 5.62 मिलियन अमरीकी डॉलर (29.24 करोड़) का दावा दाखिल किया गया है। सी.ए.ए. के माध्यम से प्रतिपूर्ति दावे की शीघ्र आशा है। इस दावे की प्राप्ति के पश्चात परियोजना के तहत कुल संवितरण 31.03.2013 तक 55 मिलियन अमरीकी डॉलर होंगे।

राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.ई.आर.एम.पी.)

7.14 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भूकंपीय जोन IV और जोन V के राज्यों पर विशेष बल देते हुए देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना को कार्यान्वित करना प्रस्तावित करता है। इस परियोजना का उद्देश्य संरचनात्मक और गैर–संरचनात्मक भूकंप प्रशमन प्रयासों को सुदृढ़ बनाना है तथा विशेषकर अत्यधिक भूकंपीय जोन IV और V के उच्च जोखिम क्षेत्रों में देश में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भूकंप जोखिम और असुरक्षितता को कम करना है। इस परियोजना में एन.डी.एम.ए. द्वारा तैयार किए गए भूकंप दिशानिर्देशों के अनुसार स्कीमें/कार्यकलाप समाविष्ट होंगे। प्रारूप विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना के निम्नलिखित छह घटक होंगे:–

(i) प्रौद्योगिकीय–विधिक प्रणाली

(ii) संस्थागत सुदृढ़ीकरण

(iii) क्षमता निर्माण

(iv) जन जागरुकता

(v) अस्पतालों का पुनः मरम्मत कार्य (रेट्रोफिटिंग)

(vi) परियोजना प्रबंधन, मानीटरिंग और मूल्यांकन

7.15 परियोजना का प्रारूप विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और प्रारूप ई.एफ.सी. ज्ञापन गृह मंत्रालय को भेजे गए थे। तथापि, गृह मंत्रालय की इच्छा थी कि परियोजना में अंतर्ग्रस्त क्षमता निर्माण के विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवहार्यता की दृष्टि से परियोजना की समीक्षा की जाए तथा उसे चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वित किए जाने के बारे में विचार किया जाए।

7.16 अब प्रस्तावित किया गया है कि परियोजना को दो चरणों, नामतः तैयारी चरण और मुख्य कार्यान्वयन चरण, में कार्यान्वित किया जाए। यह प्रस्तावित है कि एन.ई.आर. एम.पी. की कुल अवधि 7 वर्ष हो जिसमें डी.पी.आर. में परिकल्पित रूप में संभावित अवधारणाओं की कारगरता/प्रमाण का आकलन करने के लिए एवं पूरी परियोजना की कारगरता को प्रदर्शित करने के लिए 2 वर्ष का तैयारी का चरण शामिल है।

7.17 तैयारी चरण में विभिन्न तैयारी कार्यकलाप होंगे जिनमें प्रौद्योगिकीय–विधिक प्रणाली, संस्थागत सुदृढ़ीकरण, जागरुकता सृजन करना भी शामिल हैं तथा क्षमता निर्माण जिसमें मास्टर प्रशिक्षक का प्रशिक्षण, सिविल इंजीनियरों, शिल्पकारों और राज–मिस्त्रियों के प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण भी शामिल होगा, का कार्य है तथा भूकंप जोन IV और जोन V पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तैयारी की अवधि का उपयोग विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विषय–वस्तु तैयार करने के लिए, एन.डी.एम.ए. द्वारा राष्ट्रीय रेट्रोफिटिंग नीति के अनुसार रेट्रोफिटिंग के दिशानिर्देश अलग से बनाए जा रहे हैं, तथा क्षमता विकास और जागरुकता सृजन करने के लिए अन्य विषय–वस्तु तैयार की जा रही है।

7.18 योजना आयोग ने तैयारी चरण पर प्रस्ताव के लिए अपना सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया है। इस पर एन.डी.एम.ए. की टिप्पणी सहित पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और व्यय विभाग से प्राप्त टिप्पणियों को गृह मंत्रालय को अग्रेषित किया गया है। परियोजना के लिए गृह मंत्रालय के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

भूस्खलन जोखिम प्रशमन स्कीम (एल.आर.एम.एस.)

7.19 भूस्खलन जोखिम प्रशमन स्कीम (एल.आर.एम.एस.) राज्यों द्वारा सिफारिश किए गए स्थल–विशिष्ट भूस्खलन प्रशमन प्रस्तावों का अग्रणी संस्थानों से स्थल–विशिष्ट भूस्खलन अध्ययनों/जांचों के लिए वित्तीय सहायता परिकल्पित करती है इसके अंतर्गत आपदा रोकथाम रणनीति, आपदा प्रशमन और संवेदनशील भूस्खलनों की मॉनीटरिंग में अनुसंधान एवं विकास (आर. एंड डी.) के काम शामिल हैं जिसके द्वारा पूर्व चेतावनी तंत्र और क्षमता निर्माण पहलें विकसित होती हैं।

7.20 प्रस्तावित स्कीम का उद्देश्य और अधिक बढ़कर प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू करना होगा ताकि भूस्खलन जोखिम प्रशमन के प्रभावशाली ढंग से समाधान के लिए बड़े पैमाने पर बाद में प्रत्युत्तर के लिए देश में वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी बढ़ाने के लिए एक तंत्र को स्थापित किया जा सके।

7.21 मसौदा प्रस्ताव तैयार किया गया और उसे खान मंत्रालय, भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, योजना आयोग, व्यय विभाग और गृह मंत्रालय को उनकी टिप्पणी प्राप्त करने के लिए भेजा गया।

7.22 योजना आयोग ने पहले ही परियोजना को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में शुरू करने के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन भेज दिया है। स्कीम को गृह मंत्रालय की निविष्टियों (इनपुट) के आधार पर संशोधित किया जा रहा है।

बाढ़ जोखिम प्रशमन स्कीम (एफ.आर.एम.एस.)

7.23 एन.डी.एम.ए. ने बाढ़ जोखिम प्रशमन स्कीम (एफ.आर.एम.एस.) तैयार की है। स्कीम में निम्नलिखित गतिविधियों पर राज्यों/संगठनों से प्रस्तावों/स्कीमों के वित्तपोषण पर विचार करने के लिए कार्यक्रम आधारित दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है :

i) मॉडल बहु–उद्देश्यीय बाढ़ आश्रयों के विकास के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं; और

ii) बाढ़ की दशा में निकास के लिए ग्रामीणों को पूर्व चेतावनी देने के लिए बाढ़ मॉडलों को तैयार करने के लिए नदी घाटी–विशिष्ट बाढ़–पूर्व चेतावनी प्रणाली और डिजिटल एलिवेशन मानचित्रों का विकास।

7.24 योजना आयोग ने पहले ही स्कीम को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में शुरू करने के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन और प्रायोगिक/प्रदर्शन परियोजनाओं का समर्थन किया है। स्कीम के प्रक्रियान्वयन के लिए 21 फरवरी, 2013 को गृह मंत्रालय में बैठक आयोजित की गई थी। गृह मंत्रालय के साथ चर्चा के आधार पर जल संसाधन मंत्रालय ने स्कीम के संबंध में कतिपय स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध किया है।

अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं

क. 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ओ.डी.एम.पी. के तहत एन.डी.एम.ए. द्वारा शुरू/पूरी की गई परियोजनाएं/स्कीमें

7.25 एन.डी.एम.ए. ने विभिन्न ख्यातिप्राप्त राष्ट्रीय संस्थानों जैसे आई.आई.एस.सी., एस.ई.आर.सी. आदि के माध्यम से कुछ अग्रणी परियोजनाएं और अध्ययनों का कार्यान्वयन शुरू किया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान "अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाओं" के अंतर्गत एन.डी.एम.ए. द्वारा शुरू किए गए और संपन्न किए गए कार्यकलापों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

भारत के संभाव्यवादी भूकम्प खतरा मानचित्र का विकास (पी.एस.एच.ए.)

7.26 एन.डी.एम.ए. ने भूकंपीय संकट विश्लेषण के लिए भूकंपों का एक राष्ट्रीय डाटा आधारित सूचीपत्र (केटेलॉग) बनाने के लिए भारत के संभाव्यवादी भूकंपीय खतरा मानचित्र के विकास पर अध्ययन शुरू किया उसके अंतर्गत ये शामिल होंगे – 'देश के छह या सात विभिन्न भूकंप प्रवण क्षेत्रों के प्रबल गति तनुकरण संबंधों का विकास/चयन तथा विभिन्न रिटर्न अवधियों के लिए 0.2^{0}x0.2^{0} के ग्रिड पर तल चट्टान स्तर पर पी.जी.ए. और एसए (Sa) के लिए राष्ट्रीय पी.एस.एच.ए. मानचित्र का विकास। भू–तकनीकी अन्वेषणों युक्त इस अध्ययन में वर्तमान डेटाबेस की खामियां शामिल होंगी। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, चैन्ने जिसने यह अध्ययन शुरू किया था, रिपोर्ट पेश कर चुका है जो एन.डी.एम.ए. द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। परियोजना पर व्यय 56.14 लाख रुपए रहा। रिपोर्ट की प्रतियां सभी संबंधितों को भेजी गई हैं और इन्हें एन.डी.एम.ए. की वेबसाइट पर भी रखा गया है।

भारतीय भू–भाग के भूकंपीय सूक्ष्म क्षेत्रीय वर्गीकरण (माइक्रोजोनेशन) का भू–तकनीकी अन्वेषण

7.27 तारीख 16.07.2008 को आयोजित भारतीय भूखंड भूकंपीय सूक्ष्म क्षेत्रीय वर्गीकरण (माइक्रोजोनेशन) पर राष्ट्रीय कार्यशाला में लिए गए फैसले के अनुसार, भारत में भूकंपीय सूक्ष्म क्षेत्रीय वर्गीकरण अध्ययन के लिए भू–तकनीकी अन्वेषण पर तकनीकी दस्तावेज की तैयारी का काम भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरू को सौंपा गया था जिसने तकनीकी दस्तावेज प्रस्तुत किया था जिसे स्वीकार किया जा चुका है। परियोजना पर कुल व्यय 39.50 लाख रुपए हुआ। रिपोर्ट की प्रति एन.डी.एम.ए. की वेबसाइट पर दी गई है।

मानचित्रकारिता (कार्टोग्राफी)

7.28 भारत के लिए मानचित्रकारी आधार के विकास के लिए रिपोर्ट की तैयारी का कार्य विनिर्दिष्ट कंटूर इंटरवल्स के साथ अपेक्षित मान पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मैपिंग संगठन (एन.ए.टी.एम.ओ.), कोलकाता को दिया गया है। एन.ए.टी.एम.ओ ने अपनी रिपोर्ट एन.डी.एम.ए. को प्रस्तुत कर दी है। परियोजना की कुल लागत 3.31 लाख रुपए है।

ब्रह्मपुत्र नदी कटाव अध्ययन

7.29 एन.डी.एम.ए. ने "ब्रह्मपुत्र नदी कटाव और इसके नियंत्रण" परामर्शी परियोजना का काम आई.आई.टी., रुड़की को दिया है। सिफारिशों सहित अध्ययन की अंतिम रिपोर्टें एन.डी.एम.ए. को प्राप्त हो गई हैं। अध्ययन के कार्यक्षेत्र में उपग्रह डेटा प्रोसेसिंग और विश्लेषण; हाइड्रोलोजिकल डेटा प्रापण, प्रोसेसिंग और विश्लेषण; और डिजाइन विश्लेषण और सिफारिशें शामिल हैं। अध्ययन ने ब्रह्मपुत्र नदी के संवेदनशील भागों की पहचान की है। रिपोर्ट की प्रतियां जल संसाधन मंत्रालय, सी.डब्ल्यू.सी., ब्रह्मपुत्र बोर्ड और असम सरकार को भेजी गई है और एन.डी.एम.ए. की वेबसाइट में अपलोड भी की गई हैं। इस परियोजना पर कुल व्यय 32.49 लाख रुपए है।

ख. ओ.पी.डी.एम.पी. के तहत वे परियोजनाएं/स्कीमें जिनके 12वीं योजना के दौरान जारी रहने की संभावना है

7.30 एन.डी.एम.ए. ने वर्ष 2011–12 में ओ.डी.एम.पी. के तहत निम्नलिखित परियोजनाएं भी शुरू की हैं जिनके 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा होने की संभावना है।

भारत में भवन की किस्मों की भूकंपीय असुरक्षितता का आकलन

7.31 भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न भवन प्ररूपों के सूची पत्र तैयारी का तथा भवन सूची पत्रों में अंकित विभिन्न अनेक प्रकारों के लिए असुरक्षितता दूर करने संबंधी कार्यों के विकास का काम देश के विभिन्न भागों में पांच भिन्न–भिन्न नोडल संस्थानों अर्थात् (1) आई.आई.टी., रुड़की, उत्तरी अंचल (2) आई.आई.टी. खड़कपुर, पूर्वी जोन, (3) आई.आई.टी., गुवाहाटी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, (4) आई.आई.टी. मुंबई, पश्चिम जोन और (5) आई.आई.टी. मद्रास, दक्षिणी जोन के सहयोग से आई.आई.टी., मुंबई को 126 लाख रुपए की प्राक्कलित लागत पर सौंपा गया है। आई.आई.टी., मुम्बई ने मसौदा अंतिम रिपोर्ट तैयार की है जिस पर विशेषज्ञों के साथ चर्चा की जानी है।

उन्नत भूकम्प खतरा मानचित्र तैयार करना

7.32 विशेषज्ञों की कार्य समिति (भू–भौतिकीय खतरे) की सिफारिश के अनुसार देश के विभिन्न भागों में उन्नत भूकम्प खतरा मानचित्र की परियोजना को 76.83 लाख रुपए की एक प्राक्कलित लागत पर भवन सामग्री प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बी.एम.पी.टी.सी.) के माध्यम से शुरू किया जा रहा है।

चल विकिरण का खोज प्रणालियों (एम.आर.डी.एस.) की स्थापना

7.33 आतंकवाद की बढ़ती हुई घटनाओं से संभावित आरडीडी विस्फोटों से खतरे का परिदृश्य गंभीर चिन्ता का रूप ले रहा है। यद्यपि आर.डी.डी. जनसमूह को नष्ट करने की युक्तियां नहीं है, फिर भी ये लोगों, क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र को संदूषित करने की संबद्ध समस्याओं के अलावा डर/भगदड़ और मनौवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करने के लिए उच्च संभावना वाले जनसमूह विघटन के हथियार हैं। एन.डी.एम.ए. ने विकिरणकीय आपातस्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी के इसके कार्यक्रम के भाग के रूप में 50 राजधानी और देश के महानगरों/अन्य प्रमुख शहरों में पहचान किए गए पुलिस स्टेशनों को निगरानी गाड़ियों और कुछ समुद्री पत्तनों, हवाई पत्तनों और सीमा जांच नाकों को साधारण मानीटरिंग उपस्करों और वैयक्तिक सुरक्षा कवच (गियर) से सज्जित करने का निर्णय लिया है। इस आशय के लिए चल (मोबाइल) विकिरण का पता लगाने की प्रणालियों (एम.आर.डी.एस.) नामक परियोजना को अनुमोदित किया गया है। (मोबाइल) विकिरण पता लगाने की प्रणाली (एम.आर.डी.एस.) परियोजना के तहत पहचान किए गए शहरों में पुलिस वैन को सज्जित करने के अलावा विकिरण का पता लगाने के उपस्करों से भी सज्जित किया जाना है। परियोजना की अनुमानित कुल लागत 7.48 करोड़ रुपए है।

आपदा से बचने के लिए केरल की उच्चभूमि (हाइलैण्डस) और पादगिरि (फुटहिल्स) में मृदा पाइपिंग पर अनुसंधान संबंधी परियोजना

7.34 मृदा पाइपिंग केरल में हाल में देखी गई एक घटना है। सतह के नीचे (सब–सर्फेस) मिट्टी के कटाव की प्रक्रिया खतरनाक है क्योंकि मिट्टी का कटाव भूमि के नीचे होता है। यह नई घटना है और इसका अध्ययन करने के लिए तथा प्रशमन के उपायों का सुझाव देने के लिए उचित इंस्ट्रुमेंटेशन होना चाहिए। केरल सरकार एन.डी.एम.ए. की वित्तीय सहायता से पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केन्द्र के माध्यम से इस घटना का अध्ययन करने और आपदा से बचने के उपाय सुझाने के लिए मृदा पाइपिंग परियोजना शुरू कर रही है। परियोजना की कुल लागत 87.11 लाख रुपए है। परियोजना के लिए एन.डी.एम.ए. का वित्तीय अंशदान 49.73 लाख रुपए और केरल सरकार का अंशदान 37.38 लाख रुपए है। केरल सरकार को परियोजना की प्रगति को सावधानीपूर्वक मानीटर करना है। केरल सरकार इस भूमि अवक्रमण प्रक्रिया को और फैलने से रोकने के लिए अनुसंधान दल द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट में सुझाए गए प्रशमन उपायों को क्रियान्वित करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाइयां करेगी।

राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क परियोजना

7.35 एन.डी.एम.ए. अखिल भारतीय आपदा समुत्थानशील राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क (एन.डी.सी.एन.) की स्थापना की प्रक्रिया में है। यह आश्वस्त सेवाएं जैसे कि श्रव्य, दृश्य, डेटा और ज्ञान आधारित सूचना सक्रियता के लिए विभिन्न हितधारकों और आपदा प्रबंध चक्र के सभी चरणों के दौरान प्रभावित समुदाय को सर्वत्र संबद्धता पर विशेष बल के साथ समग्र प्रबंध की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। एन.डी.सी.एन. आपातकालीन प्रचालन केन्द्रों (जो राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर स्थापित किए जाने हैं) के साथ संबद्धता प्रदान करने के लिए निकनेट, स्वेन, पोलनेट और डीएमएसनेट आदि का प्रयोग करेगा। एन.डी.सी.एन. एक अलग उपग्रह नेटवर्क स्थापित करेगा जो आपदा परिदृश्यों के दौरान खराब न होने वाला संचार प्रदान करने के लिए **वीएसएटी** नेटवर्क/**आईएनएमएआरएसएटी** फोनों के माध्यम से एन.ई.ओ.सी., एस.ई.ओ.सी. और डी.ई.ओ.सी. और मोबाइल ई.ओ.सी. को जोड़ेगा।

7.36 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) को तैयार करने के लिए परामर्शदाता के रूप में प्राइस वाटरहाउस कूपर प्रा. लि. (पी.डब्ल्यू.सी.) का चयन किया गया था। एन.डी.एम.ए. ने 26 दिसम्बर, 2011 को गृह मंत्रालय को डी.पी.आर. और ई.एफ.सी. भेजा था। गृह मंत्रालय ने अपने सम्प्रेषण से एन.डी.एम.ए. को प्रायोगिक परियोजना के रूप में पांच बहु–आपदा जिलों में एन.डी.सी.एन. को अनुप्रयोग का प्रदर्शन करने की सलाह दी थी। तथापि, एन.डी.एम.ए. के भीतर चर्चा के पश्चात् उपाध्यक्ष, एन.डी.एम.ए. के स्तर पर निर्णय लिया गया था कि एन.डी.सी.एन. पर प्रायोगिक परियोजना निम्नलिखित 14 स्थानों पर कार्यान्वित की जाए :

(i) दिल्ली में नियंत्रण कक्ष, एन.डी.एम.ए. (1)।

(ii) आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और ओडिशा राज्य की राजधानियों में स्थित राज्य आपातकालीन प्रचालन केन्द्र (एस.ई.ओ.सी.) (3)।

(iii) आंध्र प्रदेश (कृष्णा, खम्माम, कुरनूल) और ओडिशा (पुरी, जगतसिंहपुर, बालेश्वर) में प्रत्येक में तीन जिलों और उत्तराखंड (रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पिथोरागढ़) में चार जिलों में स्थित जिला आपातकालीन प्रचालन केन्द्र (डी.ई.ओ.) (कुल 10 जिले)।

7.37 प्रायोगिक परियोजना को एनआईसी के समर्थन से क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। इसलिए एन.डी.एम.ए. के अनुरोध पर एन.आई.सी. की प्रायोगिक परियोजना पर एक परियोजना प्रस्ताव तैयार किया है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एन.डी.एम.आई.एस.)

7.38 एन.डी.एम.आई.एस. पर आधारित भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) प्लेटफार्म के कार्यान्वयन के लिए परियोजना को एन.डी.एम.ए. द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। एन.डी.एम.आई.एस. का मुख्य उद्देश्य बेहतर पुनः निर्माण (मौजूदा प्रचलन को आवाज, वीडियो और डेटा द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए) के लिए आपदा के पश्चात् परिदृश्यों और (मानचित्रों में गतिशील सूचना के माध्यम से तीव्र, अधिक प्रभावी और अधिक कुशल कार्रवाई के लिए) आपदा के दौरान निर्णय समर्थन प्रणाली (डी.एस.एस.) का विकास और घटना पूर्व परिदृश्य (बिना तदर्थता के प्रशमन के लिए संसाधनों को प्राथमिकता देने के लिए अनिवार्य) के लिए असुरक्षितता विश्लेषण और जोखिम आकलन (वी.ए.एण्ड आर.ए.) के नाम वाली ज्ञान आधारित सूचना को तैयार करना है।

7.39 डी.पी.आर. को तैयार करने के लिए सदस्य, एन.डी.एम.ए. श्री बी. भट्टाचार्जी की अध्यक्षता में एन.आर.एस.सी., आई.एस.आर.ओ., एन.आई.सी. और एन.डी.एम.ए. से अधिकारियों के साथ एक तकनीकी समिति गठित की गई है। उक्त समिति ने 30–31 अगस्त, 2012 को आयोजित अपनी बैठक में परियोजना प्रस्ताव तैयार किया था जिसे सहमति के लिए अध्यक्ष, आई.एस.आर.ओ., को भेजा गया था। इसके प्रत्युत्तर में निदेशक, एन.आर.एस.सी. ने कतिपय दिशानिर्देशों के साथ अपना अनुमोदन भेजा है। एन.आर.एस.सी., हैदराबाद ने एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) तैयार किया है जिस पर एन.डी.एम.ए. के साथ हस्ताक्षर किए जाने हैं। यह जांच प्रस्ताव के अधीन है।

एन.डी.एम.ए. की वेबसाइट का पुनरुद्धार और उन्नयन करना

7.40 विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ एन.डी.एम.ए. की मौजूदा वेबसाइट के पुनरुद्धार और उन्नयन की जरूरत महसूस की गई थी। प्रक्रियागत औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् एन.डी.एम.ए. और मै. एमफेसिस लि. के बीच मार्च, 2012 में परामर्शी सेवाओं के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

8 राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल : आपातकालीन कार्रवाई को मजबूत करना

8.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 44 और 45 के उपबंधों के अधीन गठित राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल ने स्वयं को एन.डी.एम.ए. के एक सर्वाधिक दृष्टिगोचर और जीवन्त बल के रूप में स्थापित कर लिया है। दस एन.डी.आर.एफ. बटालियनें अपनी तैनाती के लिए कार्रवाई में लगने वाले समय को घटाने हेतु असुरक्षितता विवरण के आधार पर देश के दस विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं। चालू वर्ष (2012–2013) के दौरान एन.डी.आर.एफ. की दो और बटालियनें, एक हरिद्वार (उत्तराखंड) और दूसरी देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में, सरकार द्वारा अनुमोदित की गई हैं। नई स्वीकृत दो बटालियनों के लिए एन.डी.एम.एम/एन.डी.आर.एफ. द्वारा उपयुक्त स्थानों की तलाश की जा रही है। एन.डी.आर.एफ. की वर्तमान दस बटालियनों के स्थान चित्र 8.1 में दर्शाए गए हैं।

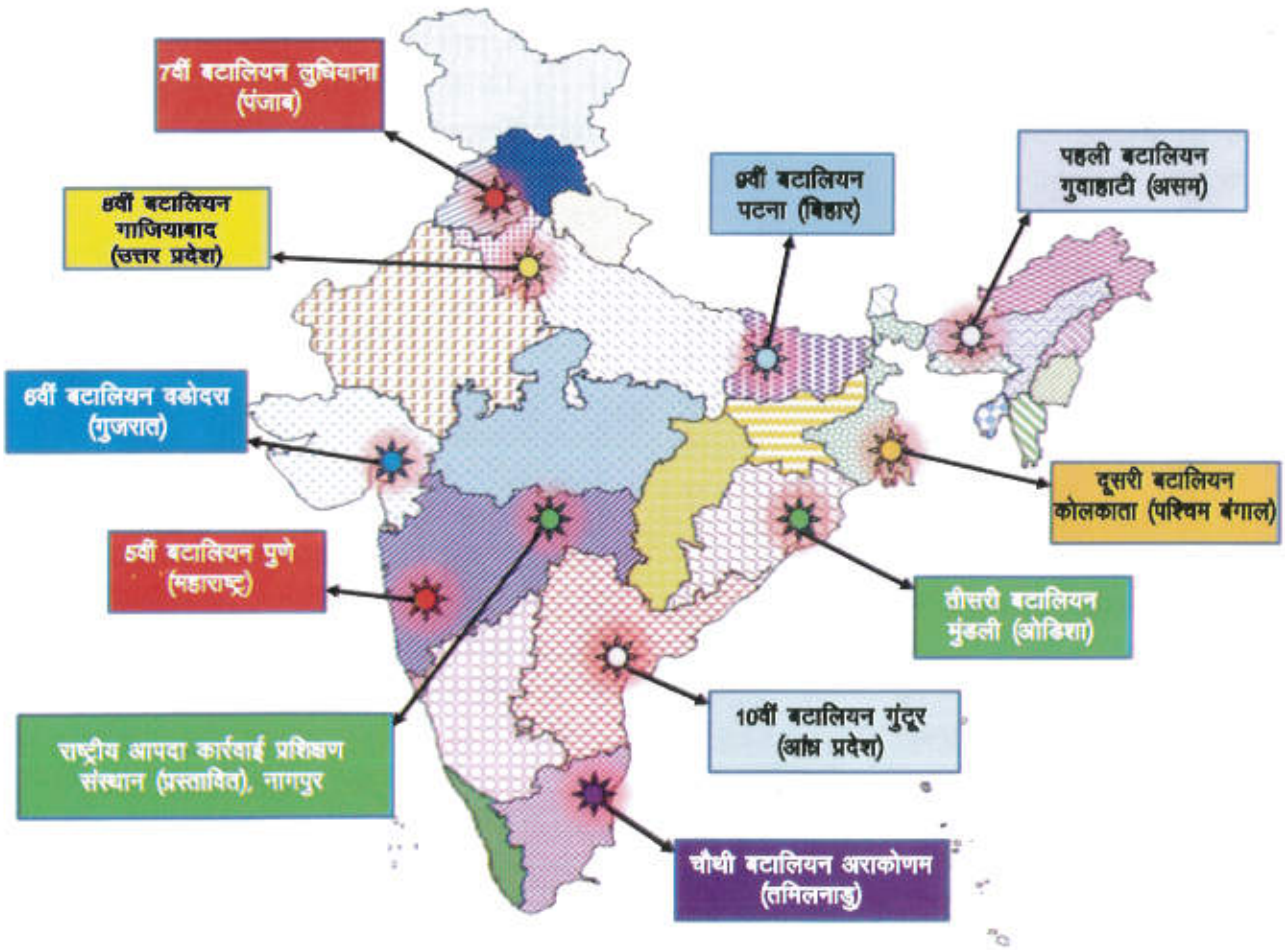

चित्र 8.1

8.2 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 ने प्राकृतिक और मानव–जनित आपदाओं पर विशेष कार्रवाई के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन.डी.आर.एफ.) के गठन के लिए विधायी उपबंध बनाया है। अधिनियम की धारा 45 के अनुसार राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख पर्यवेक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन और महानिदेशक, एन.डी.आर.एफ. की कमान और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करना है। अधिनियम की धारा 44(i) में निहित दूरदृष्टि (विजन) के साथ एन.डी.आर.एफ. धीरे–धीरे सभी प्रकार की प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं से निपटने में सक्षम एन.डी.एम.ए. के सर्वाधिक दृष्टिगोचर और जीवंत, बहु–विषयक और बहु–कुशल, उच्च तकनीक–प्राप्त बल के रूप में उभर रहा है।

दूरदृष्टि (विजन)

8.3 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 रोकथाम, प्रशमन और तैयारी पर बल देने के साथ–साथ आपदाओं के सकारात्मक, संपूर्ण और एकीकृत प्रबंधन के तत्कालीन कार्रवाई–केन्द्रित संलक्षण में आमूलचूल परिवर्तन पर विचार करता है। यह राष्ट्रीय दूरदृष्टि, अन्य बातों के साथ–साथ, सभी हितधारकों के बीच तैयारी की संस्कृति पैदा करने का लक्ष्य रखती है। एन.डी.आर.एफ. ने विभिन्न हितधारकों के साथ कृत्रिम ड्रिल और संयुक्त अभ्यास द्वारा संबंधित एन.डी.आर.एफ. बटालियनों के उत्तरदायित्व के क्षेत्र के भीतर उच्च कौशल–युक्त बचाव और राहत अभियान, नियमित और गहन प्रशिक्षण और पुनःप्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और परिचय अभ्यासों द्वारा इस दूरदृष्टि (विजन) को प्राप्त करने में अपना महत्त्व सिद्ध किया है।

एन.डी.आर.एफ. की भूमिका

8.4

- आपदाओं के दौरान विशिष्ट कार्रवाई
- आसन्न आपदा स्थितियों के दौरान सकारात्मक तैनाती
- अपने प्रशिक्षण और निपुणता का अर्जन और सतत उन्नयन
- संपर्क, टोह (सर्वेक्षण), रिहर्सल और मॉक ड्रिल
- राज्य कार्रवाई बल (पुलिस), नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड को बुनियादी और प्रचालन स्तर का प्रशिक्षण देना
- राज्य पुलिस का प्रशिक्षण और एस.डी.आर.एफ. बनाने में सहायता

समुदाय के साथ

- सामुदायिक क्षमता निर्माण कार्यक्रम
- जन जागरुकता अभियान
- प्रदर्शनी : पोस्टर, पैम्पलेट, साहित्य
- ग्राम स्वयं सेवकों और अन्य हितधारकों का प्रशिक्षण

संगठन

8.5 प्रारंभ में राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन.डी.आर.एफ.) का गठन बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ., सी.आई.एस.एफ. और आई.टी.बी.पी., प्रत्येक में से दो–दो बटालियन लेकर कुल आठ बटालियन के साथ किया गया था। प्रत्येक बटालियन में इंजीनियर, तकनीशियन, इलेक्ट्रीशियन, श्वान दल (डॉग स्क्वाड) और चिकित्सा/अर्द्ध चिकित्सा स्टाफ समेत प्रत्येक में खोज और बचाव दल के 44 कार्मिक और 18 स्वतःपूर्ण (सेल्फ–कन्टेन्ड) है। प्रत्येक बटालियन की कुल स्टाफ संख्या लगभग 1,149 हैं। सभी बटालियनें भूकंप, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन आदि सहित प्राकृतिक आपदाओं और रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय और नाभिकीय (सी.बी.आर.एन.) आपदाओं से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार निपटने के लिए सुसज्जित और प्रशिक्षित है। वर्ष 2011–12 में 2 और बटालियनों को शामिल करने और 2 बटालियन के और विस्तार (सरकार द्वारा अनुमोदित) से आज बल ने "विश्व में एकल बृहत्तम प्रतिबद्ध कार्रवाई बल" होने की अद्‌भूत विशिष्टता अर्जित कर ली है।

एन.डी.आर.एफ. : एन.डी.एम.ए. की उच्च प्राथमिकता

8.6 एन.डी.एम.ए. ने एन.डी.आर.एफ. को आपदा कार्रवाई हेतु प्रतिबद्ध विशेष बल के रूप में साबित करने के लिए अति आवश्यक प्रोत्साहन (आवेग) उपलब्ध करवाया है। सितम्बर, 2005 में अपने आरंभ से ही एन.डी.एम.ए. ने यह सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है कि एन.डी.आर.एफ. अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रशिक्षित और सुसज्जित हो। एन.डी.एम.ए. के अनुवर्ती प्रयासों से आज एन.डी.आर.एफ. "अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बहु–विषयक, बहु–कुशल, प्रशिक्षित और सुसज्जित एक हाइटेक विशेषज्ञ बल" बन गया है जो किसी प्राकृतिक आपदा या सी.बी.आर.एन. आपातस्थिति के लिए कार्रवाई करने में सक्षम है।

आपदा कार्रवाई

8.7 कई वर्षों से, एन.डी.आर.एफ. ने किसी प्राकृतिक आपदा और सी.बी.आर.एन. आपातस्थितियों से निपटने के लिए वास्तविक विशिष्ट कार्रवाई बल होने की छवि अर्जित करके

अपना एक विशेष स्थान बनाया है। इस बल की कार्रवाई करने का समय, राज्यों को इस बल की 'सक्रिय' उपलब्धता की अवधारणा और संकटापन्न आपदा परिदृश्य में बल की 'पूर्व–तैनाती' लेने की अवधारणा के कारण भी घटकर, बिल्कुल न्यूनतम रह गया है। राज्यों द्वारा भूकम्प, बाढ़ों, चक्रवातों, भूस्खलनों, इमारतों का ढहना, रेल दुर्घटनाओं और सी.बी.आर.एन. आपातस्थितियों में बचाव और राहत अभियानों के लिए एन.डी.आर.एफ. की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। एन.डी.आर.एफ. द्वारा वर्ष 2012–13 के दौरान किए गए कुछ मुख्य कार्रवाई अभियानों को आगामी पैराग्राफों में उल्लिखित किया गया है।

असम में बाढ़

8.8 25 जून, 2012 से आगे ब्रह्मपुत्र नदी में भारी जल–वृद्धि से क्षणिक बाढ़ की स्थितियों ने असम के 17 जिलों (832 गांवों) को प्रभावित किया, जिनमें बुरी तरह प्रभावित होने वाले जिलों में तिनसुखिया, धेमाजी, सोनितपुर, लखीमपुर, सिबसागर, कामरूप (रांगिया), जोरहाट (माजुली) और नागांव थे। ए.एस.डी.एम.ए., असम सरकार के अनुरोध पर एन.डी.एम.ए. ने एन.डी.आर.एफ. मुख्यालय को असम के बाढ़ प्रभावित जिलों में एन.डी.आर.एफ. के कार्मिकों की तैनाती के लिए अनुदेश दिया। बाद में 72 फुलाने योग्य नावों तथा जल में खोज और बचाव के उपस्कर सहित 599 कार्मिकों के 16 दलों (गुवाहाटी से 12 और कोलकाता एन.डी.आर.एफ. बटालियन से 04) को तैनात किया गया और असम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गहन बाढ़–बचाव और राहत कार्य किए गए। एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों ने फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाकर लगभग 32,207 बाढ़ प्रभावित लोगों की जानों को बचाया और 15,539 बाढ़ से प्रभावित लोगों में स्थानीय प्राधिकारियों के साथ 1,913 क्विंटल राहत सामग्री भी वितरित की। 8,389 लोगों को दवाइयां वितरित की गई और लगभग 3,483 पशुओं को टीका लगाया गया। एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों ने बाढ़ में डूबे लोगों के 13 शवों को भी बाहर निकाला।

जालंधर, पंजाब में बहु–मंजिला कारखाने के भवन का ढहना

8.9 16 अप्रैल, 2012 को जालंधर, पंजाब में लगभग पांच मंजिला कारखाने के भवन के ढहने पर जिला प्रशासन के अनुरोध पर ढही हुई बिल्डिंग संरचना में खोज और बचाव उपस्कर और श्वानीय (केनाइन) सहित एन.डी.आर.एफ. की 02 बटालियन तत्काल घटना स्थल पर पहुंच गई और खोज और बचाव कार्य किया। 24 घंटे के लगातार खोज और बचाव कार्यों में एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों ने सफलतापूर्वक भारी मलबे में फंसे 12 जिंदा पीड़ितों को बचाया और पीड़ितों के 19 शव निकाले।

ब्रह्मपुत्र, असम में नाव का पलटना

8.10 30 अप्रैल, 2012 को असम के धुबरी जिले में नौका पलट के डूबने की घटना के बारे में राज्य प्राधिकारियों के अनुरोध पर गोताखोरों, फुलाने वाली नाव और अन्य शीघ्र–जल खोज और बचाव उपस्कर सहित एन.डी.आर.एफ. बटालियन गुवाहाटी की 03 टीम (100 कार्मिक) स्थल पर पहुंची और डूबे हुए लोगों की खोज का अति कठिन कार्य किया। नदी के तेज प्रवाह ने पीड़ितों को नदी में काफी नीचे

(डाउनस्ट्रीम) में डुबा दिया था, जिसने कार्य को अत्यधिक कठिन बना दिया, परन्तु एन.डी.आर.एफ. बचावकर्ताओं के अथक प्रयासों से आठ दिनों के लंबे कार्य के दौरान डूबे हुए लोगों के 19 शवों को निकाला गया।

भोजपुर, बिहार में नाव के पलट कर डूबने की घटना में खोज और बचाव कार्य

8.11 10 सितम्बर, 2012 को जिला प्राधिकारियों के अनुरोध पर 04 नावों और अन्य जीवन रक्षक उपस्करों सहित एन.डी.आर.एफ. बटालियन पटना की 01 टीम (28 कार्मिक) ने सोन नदी, भोजपुर जिले में खोज और बचाव कार्य किया,

जहां यात्रियों को ले जाती हुई नाव पलट कर डूब गई थी। एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों ने 13 शवों को निकाला और जिला प्रशासन को सौंप दिया।

चक्रवात नीलम के दौरान बचाव और राहत कार्य

8.12 चक्रवाती तूफान नीलम 31 अक्टूबर, 2012 के महाबलीपुरम के पास पहुँचा। चेन्नई के मरीना बीच में तेज हवाओं ने तट पर रेत के ढेरों को एक तरफ धकेल दिया और समुद्री पानी ने लगभग 100 मीटर अंदर शहर में प्रवेश कर लिया। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर, इलुरू, पश्चिमी गोदावरी और पूर्व गोदावरी और तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में नावों और अन्य जीवन रक्षक उपस्करों सहित एन.डी.आर.एफ. की नौ टीमों (310 कार्मिकों) को संबंधित क्षेत्रों में निकट से निगरानी करने, स्थिति को मानीटर करने के लिए और किसी आपातकाल स्थिति के लिए तेजी से कार्रवाई करने के लिए पहले से ही तैनात किया गया था। एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों ने फंसे हुए 6,362 लोगों को सुरक्षित स्थानों को भेजकर उनके जीवन को बचाया।

पुणे, महाराष्ट्र में चार मंजिले भवन का ढहना

8.13 सहकार नगर, पुणे, महाराष्ट्र में 24 सितम्बर, 2012 को अत्याधुनिक उपस्करों और जीवन का पता लगाने वालों सहित एन.डी.आर.एफ. बटालियन पुणे की दो टीमें (78 कार्मिक) को तत्काल तैनात किया गया था, जहां निर्माणाधीन इमारत ढह गई थी। एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों ने अपने गहन खोज और बचाव अभियानों में भारी मलबे के नीचे फंसे 11 पीड़ितों के जीवन को सफलतापूर्वक बचाया। एन.डी.आर.एफ. द्वारा 10 शव भी बरामद किए गए।

गोदावरी, आंध्र प्रदेश में नाव का पलटना

8.14 04 नावों और अन्य जीवन रक्षक उपस्करों सहित एन.डी.आर.एफ. की एक टीम (30 कार्मिक) ने 18–19 नवम्बर, 2012 को गोदावरी नदी के निकट गांव कोनेरू लंका में खोज और बचाव कार्य किया; जहां एक यात्री नाव पलट गई थी और 04 महिलाओं के गुम होने की सूचना मिली थी। एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों ने सफलतापूर्वक 04 शवों को निकाला और संबंधित प्राधिकारियों को सौंप दिया।

गंग नहर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में खतरनाक रसायन का पता लगाना

8.15 गंग नहर, जिला गाजियाबाद को मोदीनगर के निकट अज्ञात रासायनिक पदार्थ वाले ड्रमों के ढेर का निरीक्षण करने के लिए 03 जुलाई, 2012 को जिला प्राधिकारियों के अनुरोध पर सी.बी.आर.एन. उपस्कर सहित एन.डी.आर.एफ. बटालियन गाजियाबाद की एक टीम (40 कार्मिक) स्थल पर पहुंची और नमूना एकत्रित किया जिसे डी.आर.डी.ई. ग्वालियर के अनुसार एन–विनायलकार्बाजोल और फिनोजी बेंजाइल अल्कोहल (खतरनाक रसायन) के रूप में पहचाना गया। बाद में, सी.बी.आर.एन. प्रशिक्षित एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों ने रसायन को नष्ट (डिस्पोज) कर दिया जो घातक हो सकता था यदि गंग नहर का पानी इससे जहरीला हो जाता।

कुंभ मेला, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में एतहियातन की गई पूर्व–तैनाती

8.16 16 नावों और अन्य जीवन रक्षक उपस्करों के साथ एन.डी.आर.एफ. बटालियन पटना की चार टीमें (139 कार्मिक) फरवरी, 2013 में कुंभ मेला के दौरान किसी संभावित आपातस्थिति का मुकाबला करने के लिए पहले से तैनात की गई थीं। एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों ने 5 व्यक्तियों को गंगा नदी में डूबने से बचाया और उपचार के लिए चिकित्सा प्राधिकारियों को सौंपा।

8.17 17 फरवरी, 2013 को भी 7 अन्य के साथ एक सेना कार्मिक को नदी में डूबने से बचाया जब अधिक गति के कारण सेना की एक नाव उलट गई थी।

उत्तर बस्तर कांकर, छत्तीसगढ़ में खोज और बचाव अभियान

8.18 14 मार्च, 2013 को भानुप्रताप पुर गांव, उत्तर बस्तर कांकर, छत्तीसगढ़ में पहाड़ की कोटर (केविटी) में फंसे एक व्यक्ति के बचाव के संबंध में राज्य प्राधिकारियों के अनुरोध पर सी.एस.एस.आर. और अन्य जीवन रक्षक उपस्करों सहित एन.डी.आर.एफ. बटालियन, मुंडाली की एक टीम (15 कार्मिक को भुवनेश्वर हवाई अड्डे से हवाई जहाज से भेजा गया था और टीम घटना–स्थल पर पहुंची और खोज तथा बचाव अभियान चलाया। एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों ने सफलतापूर्वक फंसे हुए पीड़ित व्यक्ति को बचाया।

इटावा, उत्तर प्रदेश में नाव का पलटना

8.19 21 फरवरी, 2013 को एक नाव के यमुना नदी में पलटने और 9 व्यक्तियों के गुम होने की घटना के संबंध में स्थानीय प्रशासन के अनुरोध पर फुलाने वाली नावों और अन्य जीवन रक्षक उपस्करों सहित एन.डी.आर.एफ. बटालियन, गाजियाबाद की एक टीम घटना के स्थान पर पहुंची और खोज तथा बचाव कार्य किया। एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों ने

डूबे हुए पीड़ितों के 07 शव निकाले और स्थानीय प्राधिकारियों को सौंपे।

विमान दुर्घटना में खोज और बचाव कार्य

8.20 30 नवम्बर, 2012 को दोपहर 14.05 घंटे पर गांव डजोनजू लीक, ब्लाक मैनगन, उत्तरी सिक्किम के पर्वतों में भारतीय वायु सेना का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और एक पायलट जहाज के अंदर फंस गया था। एन.डी.आर.एफ. को जहाज के मलबे में से फंसे हुए पायलट को निकालने का कार्य सौंपा गया था। एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों ने जख्मी पायलट को सफलतापूर्वक निकाल कर उसकी जिंदगी को बचाया और स्थानीय प्राधिकारियों को उसको अस्पताल पूर्व उपचार प्रदान करके पायलट हालत की स्थिर करने में सहायत दी।

पानी में डूबने की विभिन्न घटनाएं

8.21. राज्य और जिला प्राधिकारियों के अनुरोध पर एन.डी.आर.एफ. ने अपनी जिम्मेदारियों के संबंधित क्षेत्रों में देश भर में लोंगों के पानी में डूबने के बहुत से मामलों में स्थानीय प्रशासन की सहायता की थी। एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों ने 23 डूबने वाले पीड़ितों के जीवन को बचाया और विभिन्न डूबने के मामलों में अपने खोज और बचाव अभियानों के दौरान 56 मृतकों के शवों को बरामद।

अन्य तैनातियां

रक्षा–एक्सपो इंडिया 2012, प्रगति मैदान, नई दिल्ली

8.22 एन.डी.आर.एफ. बटालियन, गाजियाबाद की एक टीम (24 कार्मिक) एन.बी.सी. सूट और अन्य एम.एफ.आर. और सी.एस.एस.आर. उपस्करों सहित प्रगति मैदान में 29 मार्च से 01 अप्रैल, 2012 तक "रक्षा–एक्सपो इंडिया, 2012" के दौरान तैनात की गई थी।

अमरनाथ यात्रा के दौरान तैनाती

8.23 सुवाह्य (पोर्टेबल) आश्रय और अन्य एम.एफ.आर. और सी.एस.एस.आर. उपस्करों के साथ एन.डी.आर.एफ. बटालियन, भठिंडा की दो टीमें (93 कार्मिक) को अमरनाथ यात्रा के दौरान 25 जून से 02 अगस्त, 2012 तक कश्मीर घाटी में पहलगाम, चंदनवाड़ी, शेषनाग और जोजीपाल में तैनात की गई थीं। एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों द्वारा पिस्सूटाप से चंदनवाड़ी तक 06 शवों और 08 जख्मी पीड़ितों को ले जाया गया, 84 व्यक्तियों को अस्पताल–पूर्व उपचार प्रदान किया गया और लगभग 5,200 यात्रियों को अन्य प्रशासनिक सहायता प्रदान की गई थी।

इंटरनेशनल एअरोस्पेस एक्सपोजिशन एअरोइंडिया, 2013

8.24 सी.एस.एस.आर., सी.बी.आर.एन. और अन्य जीवन

रक्षक उपस्करों सहित एन.डी.आर.एफ. की तीन टीमों (117 कार्मिक) को किसी आपातकालीन स्थिति को संभालने के लिए 26 जनवरी से 12 फरवरी, 2013 तक की अवधि के दौरान बंगलुरु, कर्नाटक में आयोजित इंटरनेशनल एअरोस्पेस एक्सपोजिशन एअरो इंडिया प्रदर्शन, 2013 के दौरान तैनात किया गया था।

क्षमता निर्माण

8.25 आपदा प्रबंधन से परिचित होने के अभ्यास, जागरुकता पैदा करना और समुदाय क्षमता निर्माण सकारात्मक दृष्टिकोण के महत्वपूर्ण घटक हैं। चूंकि समुदाय निर्विवाद रूप से प्रथम प्रतिक्रियादाता होता है, इसलिए यदि किसी आपदा के मामले में कार्रवाई करने के बारे में स्थानीय लोगों को उचित ढंग से सुग्राही बनाया जाता है तो जीवन की हानि और सम्पत्ति की क्षति को काफी कम किया जा सकता है। इस प्रकार एन.डी.आर.एफ. स्वयं को बड़े पैमाने पर सामुदायिक क्षमता निर्माण और जन जागरुकता कार्यक्रमों में लगा रहा है, जिसमें उच्च संवेदनशीलता वाले क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर लोगों (प्रथम प्रतिक्रियादाताओं) और संबंधित सरकारी अधिकारियों का प्रशिक्षण शामिल है। वर्ष 2012–13 के दौरान देश के विभिन्न भागों में एन.डी.आर.एफ. द्वारा 3.10 लाख से अधिक सामुदायिक कार्यकर्ताओं और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षित किया गया है।

प्रशिक्षण

आई.ई.सी. पर एन.डी.आर.एफ. टीम का लॉजिस्टिक्स प्रशिक्षण

8.26 आई.ई.सी. (आई.एन.एस.ए.आर.ए.जी. बाहरी वर्गीकरण) के प्रति एन.डी.आर.एफ. यू.एस.ए.आर. टीम का लॉजिस्टिक्स मूल्यांकन प्रशिक्षण का पहला मॉड्यूल 15–17 जून, 2012 की अवधि के बीच स्विस लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञों द्वारा एन.डी.आर.एफ. बटालियन की मुंडली की अवस्थिति (लोकेशन) में आयोजित किया गया था। एन.डी.आर.एफ. की लॉजिस्टिक्स टीम के सदस्यों के अलावा, प्रशिक्षण में स्विस विकास निगम (एस.डी.सी.) के विशेषज्ञों द्वारा भी भाग लिया गया था।

आई.ई.सी. हेतु एन.डी.आर.एफ. टीम का श्वानीय प्रशिक्षण (केनाइन ट्रेनिंग)

8.27 मई–जून, 2012 के बीच एन.डी.आर.एफ. बटालियन, मुंडली में स्विस विशेषज्ञों द्वारा खोज (श्वानीय) प्रशिक्षण के तीन मॉड्यूल आयोजित किए गए थे। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय प्रत्युत्तर कार्यों के लिए एन.डी.आर.एफ. की भारी यू.एस.ए.आर. टीम का खोज घटक तैयार करना था। एन.डी.आर.एफ. की आई.ई.सी. टीम को वर्ष 2015 में आई.ई.सी. परीक्षा देने की आशा की जाती है।

एस.डी.आर.एफ. कार्मिकों को प्रशिक्षण

8.28 राज्यों की क्षमता निर्माण की पहलों के भाग के रूप में एन.डी.आर.एफ. बटालियन राज्य पुलिस कार्मिकों को आपदा कार्रवाई प्रशिक्षण देती रही हैं। वर्ष 2012–13 के दौरान विभिन्न राज्यों में एन.डी.आर.एफ. बटालियनों ने कुल 1,967 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया था।

कृत्रिम अभ्यास (मॉक एक्सरसाइज)

8.29 01 अप्रैल, 2012 से आगे एन.डी.आर.एफ. बटालियनों ने देश के विभिन्न भागों में विभिन्न हितधारकों के साथ रसायन (औद्योगिक आपदा), शहरी बाढ़, चक्रवातों, भूकम्प अनुरूपण, रेल दुर्घटनाओं आदि पर 85 कृत्रिम अभ्यास आयोजित किए हैं। कृत्रिम अभ्यासों के दौरान एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों ने

खोज और बचाव (एस.ए.आर.) अभियान, चिकित्सा प्रथम कार्रवाई (एम.एफ.आर.), बड़ी दुर्घटना के कल्पित परिदृश्य में ट्राइएज में फंसे पीड़ितों के बचाव के तरीकों, ढही इमारतों के ढांचे, पीड़ितों की खोज और लोकेशन संबंधी स्थिति तकनीकी, विसंदूषण के कार्यों आदि का प्रदर्शन किया। इन कृत्रिम अभ्यासों से लगभग 2,01,688 लोगों को लाभ प्राप्त हुआ।

9 प्रशासन एवं वित्त

सामान्य प्रशासन

एन.डी.एम.ए. सचिवालय

9.1 एन.डी.एम.ए. सचिवालय में पांच प्रभाग हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं–(i) नीति, योजना, क्षमता निर्माण और जागरुकता प्रभाग, (ii) प्रशमन प्रभाग, (iii) प्रचालन और संचार प्रभाग, (iv) प्रशासन और समन्वय प्रभाग,तथा (v) वित्त और लेखा प्रभाग।

नीति, योजना, क्षमता निर्माण और जागरुकता प्रभाग

9.2 यह प्रभाग सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की नीतियों, दिशानिर्देशों और योजनाओं के अनुमोदन और सभी राज्यों में क्षमता निर्माण एवं जागरुकता उपायों से जुड़े सभी मामलों को देखता है। आपदा प्रबंधन को विकास योजनाओं में शामिल कराना भी इस प्रभाग का महत्त्वपूर्ण कार्य है। इस प्रभाग में स्वीकृत कुल कर्मचारी 15 हैं–एक सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर का), तीन संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के), तीन सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के) तथा 8 सहायक स्टाफ।

9.3 क्षमता निर्माण भी इस प्रभाग का एक अन्य कार्य है जो एन.डी.एम.ए. का एक प्रमुख विषय है। इस प्रभाग ने इस प्रयास को पूरा करने और यह सुनिश्चित करने का काम अपने हाथ में ले रखा है कि तैयारी की संस्कृति सभी स्तरों पर उत्पन्न की जाए। यह समुदाय और जमीनी स्तर के अन्य हितधारकों को शामिल करने के साथ–साथ, इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट, दोनों संचार साधनों के उपयोग से जागरुकता सृजन करने की अवधारणा और निष्पादन का काम भी करता है।

प्रशमन प्रभाग

9.4 इस प्रभाग का उत्तरदायित्व चक्रवातों, भूकंपों, बाढ़ों, भूस्खलनों और पूर्ण सुरक्षित संचार तथा आई.टी. योजना आदि जैसे आपदा विषयों के बारे में मंत्रालयों और राज्यों के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर जोखिम प्रशमन परियोजनाओं का कार्य हाथ में लेना है। यह माइक्रोजोनेशन, असुरक्षितता विश्लेषण आदि जैसी परियोजनाओं के मार्गदर्शन तथा उनसे जुड़े विशेष अध्ययनों का कार्य भी कराता है। यह मंत्रालयों द्वारा स्वयं चलाई जा रही प्रशमन परियोजनाओं के डिजाइन और कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण तथा अनुवीक्षण भी करता है। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या 10 है जिनमें एक सलाहकार (संयुक्त सचिव के स्तर का), दो संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के), दो सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के) और 5 सहायक स्टाफ हैं।

प्रचालन और संचार प्रभाग

9.5 शीर्ष निकाय के रूप में, एन.डी.एम.ए. को किसी भी समय आपदा की स्थिति में सरकार को सलाह देने के लिए सदैव तैयार रहना अनिवार्य है जिसके लिए इसे नवीनतम सूचना से पूर्ण परिचित रहना आवश्यक है। महत्त्वपूर्ण क्रियाकलाप के लिए एन.डी.एम.ए. के पास दिन–रात आपदा विनिर्दिष्ट सूचना और आंकड़ों संबंधी जानकारी (इनपुट) देने की सुविधा के लिए एक प्रचालन केंद्र है तथा यह कार्रवाई के बाद के चरणों में भी प्रयासों का मार्गदर्शन करता है। यह प्रभाग पुनर्वास एवं पुनर्बहाली संबंधी कार्यों में भी निकटता से शामिल रहता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि समस्त नव–निर्मित वातावरण आपदा समुत्थानशील हो।

9.6 इस प्रभाग का काम समर्पित और अनवरत प्रचालनात्मक नवीनतम संचार प्रणाली का रखरखाव करना भी है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी खंड के आधारभूत घटक में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क तथा जी.आई.एस. आधारित अनुप्रयोगों पर बल सहित ज्ञान प्रबंधन और आंकड़ों के संयोजन के विशेष संदर्भ में आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली शामिल हैं। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत स्टाफ 19 हैं जिनमें एक सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर का), तीन संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के), चार सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के), दो ड्यूटी अधिकारी (अवर सचिव स्तर के) और 7 सहायक स्टाफ हैं।

प्रशासन और समन्वय प्रभाग

9.7 यह प्रभाग प्रशासन और समन्वय के सभी पहलुओं के लिए उत्तरदायी है। इसके क्रियाकलापों में मंत्रालयों/विभागों और राज्यों के साथ विस्तृत पत्राचार करना शामिल है। यह प्रभाग एन.डी.एम.ए. के सदस्यों और स्टाफ को सभी स्तरों पर प्रशासनिक एवं संभार–तंत्र संबंधी सहायता भी प्रदान करता है। इस प्रभाग में स्वीकृत कर्मचारियों की कुल संख्या 22 है जिसमें एक संयुक्त सचिव, एक निदेशक, दो अवर सचिव और 18 सहायक कर्मचारी हैं।

वित्त और लेखा प्रभाग

9.8 वित्त और लेखा प्रभाग लेखा–अनुरक्षण रखने, बजट बनाने, प्रस्तावों की वित्तीय संवीक्षा आदि विषयक कार्य करता है। यह प्रभाग व्यय की प्रगति को मॉनीटर करता है तथा अपनी प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आने वाले सब मामलों पर एन.डी.एम.ए. को सलाह देता है। इस प्रभाग में स्वीकृत कर्मचारियों की कुल संख्या 8 है जिनमें एक वित्तीय सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर का), एक निदेशक, एक सहायक वित्तीय सलाहकार (अवर सचिव स्तर का) और पांच सहायक कर्मचारी हैं। इसके कार्यों और उत्तरदायित्वों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

- एन.डी.एम.ए. के बजट का आहरण करना।
- सामान्य वित्तीय नियमावली (जी.एफ.आर.) की अपेक्षाओं के अनुसार विभागीय खातों का रखरखाव।
- नियंत्रण रजिस्टर बनाकर स्वीकृत अनुदानों में से किए गए व्यय की प्रगति पर निगरानी रखना और उसकी समीक्षा करना।
- प्रत्यायोजित शक्तियों के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सब मामलों पर एन.डी.एम.ए. को सलाह देना।
- स्कीम और महत्त्वपूर्ण व्यय प्रस्ताव तैयार करने में, उनसे उनके आरंभिक चरणों से ही, निकटता से जुड़े रहना।
- लेखा–परीक्षा आपत्तियों, निरीक्षण रिपोर्टों, प्रारूप लेखा परीक्षा पैराओं आदि के निपटारे का काम देखना,
- लेखा परीक्षा रिपोर्टों, लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) और प्राक्कलन समिति की रिपोर्टों पर तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित करना।
- आवधिक रिपोर्टों और विवरणियों की समय से प्रस्तुति को सुनिश्चित करना।

वित्त और बजट

एन.डी.एम.ए.–वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए व्यय (समेकित) (आयोजना)–अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013 की अवधि के लिए व्यय

एन.डी.एम.ए.– अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013 की अवधि के लिए बजट आबंटन एवं व्यय (आयोजना)

(लाख रुपए)

परियोजना का नाम	बजट आबंटन	व्यय
राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.ई.आर.एम.पी.)	100	0
भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना (एल.आर.एम.पी.)	100	0
आपदा प्रबंधन संचार नेटवर्क (डी.एम.सी.एन.)	500	0
अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं (ओ.डी.एम.पी.)	4200	3300.73
विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.सी.आर.एम.पी.)	10000	9395.90
बाढ़ जोखिम प्रशमन परियोजना (एफ.आर.एम.पी.)	100	0
योग	**15000**	**12696.63**

एन.डी.एम.ए.– अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013 की अवधि के लिए बजट आबंटन एवं व्यय (आयोजना)

(लाख रुपए)

वस्तु शीर्ष	ब.अ 2012.13	सं.अ. 2012.13	व्यय 2012.13
वेतन	700	770	750.7
मजदूरी	0.10	0.10	0
समयोपरि भत्ता	0.10	0.10	0
घरेलू यात्रा व्यय	270	270	269.92
विदेशी यात्रा व्यय	30	15.20	10.07
कार्यालय व्यय	400	525	524.34
किराया, दर और कर	5	5	0.00
प्रकाशन	55	38	36.20
अन्य प्रशासनिक व्यय	200	80	71.32
आपूर्ति एवं सामान	0.10	0.10	0.00
पी.ओ.एल.	0.50	0.50	0.00
विज्ञापन और प्रचार	1200	800	623.25
लघु कार्य	150	2	0.00
व्यावसायिक सेवाएं	125	100	93.85
अन्य प्रभार	20	20	0.23
सूचना प्रौद्योगिकी कार्यालय व्यय	25	25	21.47
सूचना प्रौद्योगिकी–मशीनरी और उपस्कर	150.20	50	37.44
कुल योग	**3331**	**2701**	**2438.36**

अनुबंध–I

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) का संघटन

वर्तमान संघटन

1.	डॉ. मनमोहन सिंह, भारत के प्रधानमंत्री	अध्यक्ष
2.	श्री एम. शशिधर रेड्डी	उपाध्यक्ष (16–12–2010 से)
3.	श्री बी. भट्टाचार्जी	सदस्य (15–12–2011 से)
4.	श्री जे. के. सिन्हा	सदस्य (18–04–2007 से)
5.	श्री टी. नन्दकुमार	सदस्य (08–10–2010 से)
6.	मेजर जनरल डॉ. जे. के. बंसल	सदस्य (06–10–2010 से)
7.	डॉ. मुजफ्फर अहमद	सदस्य (10–12–2010 से)
8.	श्री के. एम. सिंह	सदस्य (14–12–2011 से)
9.	डॉ. हर्ष के. गुप्ता	सदस्य (23–12–2011 से)
10.	श्री विनोद के. दुग्गल	सदस्य (22–06–2012 से)

संस्थापक सदस्य

1.	जन. एन. सी. विज	उपाध्यक्ष (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)
2.	लेफ्टि. जन. (डॉ.) जे. आर. भारद्वाज	सदस्य (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)
3.	डॉ. मोहन कान्डा	सदस्य (05.10.2005 से 04.10.2010 तक)
4.	प्रो. एन. विनोद चन्द्र मेनन	सदस्य (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)
5.	श्री एम. शशिधर रेड्डी	सदस्य (05.10.2005 से 04.10.2010 तक) सदस्य (11.10.2010 से 16.12.2010 तक)
6.	श्री के. एम. सिंह	सदस्य (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)
7.	श्रीमती पी. ज्योति राव	सदस्य (14.08.2006 से 13.08.2011 तक)
8.	श्री बी. भट्टाचार्जी	सदस्य (21.08.2006 से 20.08.2011 तक)
9.	श्री जे. के. सिन्हा	सदस्य (18.04.2007 से)

अनुबंध–II

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों की सूची

1.	डॉ. श्याम एस. अग्रवाल, सचिव (15.02.2013 से)
2.	डॉ. सुतानु बेहूरिया, सचिव (02.11.2011 से 31.08.2012 तक)
3.	श्रीमती अर्चना गोयल गुलाटी, वित्त सलाहकार (01.02.2012 से)
4.	श्री अमित झा, संयुक्त सचिव (27.02.2009 से 02.07.2012)
5.	श्रीमती सुजाता सौनिक, सलाहकार (18.12.2009 से)
6.	श्री पी.के. त्रिपाठी, सलाहकार (06.10.2010 से 04.01.2013)
7.	श्री सत्यजीत राजन, संयुक्त सचिव (15.11.2012 से)
8.	ब्रिगेडियर एस. विश्वनाथन, सलाहकार (26.11.2012 से)
9.	श्री एस.पी. वासुदेव, परियोजना निदेशक, एन.सी.आर.एम.पी. (19.01.2012 से)
10.	श्री आर.के. सिंह, निदेशक (20.09.2009 से)
11.	श्रीमती मधुलिका गुप्ता, संयुक्त सलाहकार (01.09.2010 से)
12.	श्रीमती प्रीति बांजल, संयुक्त सलाहकार (15.09.2010 से)
13.	कर्नल शशि भूषण, संयुक्त सलाहकार (31.08.2010 से 30.08.2012)
14.	कर्नल बी.बी. सिंह, संयुक्त सलाहकार (14.01.2011 से 31.01.2013)
15.	श्री बी.एस. अग्रवाल, संयुक्त सलाहकार (25.04.2011 से)
16.	श्री मुनीश गिरधर, निदेशक (6.07.2011 से 31.07.2012)
17.	डॉ. (श्रीमती) सुमन केसरी अग्रवाल, निदेशक (02.08.2012 से 16.01.2013)
18.	श्री विनय काजला, संयुक्त सलाहकार (31.08.2012 से)
19.	श्री आर.के. चोपड़ा, उप सचिव (04.04.2011 से)
20.	श्री एस.के. सिंह, निदेशक (23.07.2012 से)
21.	श्री भूपिंद्र सिंह, उप सचिव (25.02.2013 से)
22.	श्री एस.एस. जैन, उप परियोजना निदेशक, एन.सी.आर.एम.पी. (09.11.2012 से)
23.	श्री पी. ठाकुर, सहायक सलाहकार (01.05.2008 से 20.11.2012)
24.	डॉ. पवन कुमार सिंह, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (23.05.2008 से)
25.	डॉ. सुशांत कुमार जेना, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (01.08.2008 से)
26.	श्री जे.सी. बाबू, सहायक सलाहकार (03.10.2008 से)
27.	श्री एस.के. प्रसाद, सहायक सलाहकार (01.10.2008 से)
28.	श्री ए.के. जैन, सहायक सलाहकार (03.11.2008 से)

29.	श्री बुद्ध राम, सहायक वित्तीय सलाहकार (31.12.2008 से)
30.	श्रीमती विजयलक्ष्मी भारद्वाज, सहायक सलाहकार (19.01.2009 से)
31.	श्री नवल प्रकाश, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (22.05.2009 से)
32.	श्री एस.एम. अब्दुल फहीम, अवर सचिव (30.09.2009 से 27.04.2012 तक)
33.	डॉ. ए.के. सिन्हा (22.10.2010 से)
34.	श्री डी.पी. माझी, अवर सचिव (18.08.2011 से 17.04.2012 तक)
35.	श्री पार्था कंसबनिक, अवर सचिव (18.08.2011 से)
36.	श्री अमल सरकार, अवर सचिव (14.11.2012 से)
37.	श्री आर.के. सिन्हा, अवर सचिव (15.11.2012 से)
38.	श्री तुरम बारी, अवर सचिव (01.01.2013 से)
39.	श्री आर. के. यादव, परियोजना लेखाकार/प्रशासनिक अधिकारी, एन.सी.आर.एम.पी. (03.07.2012 से)